अनुबंध-1

(पैरा 2.1.4 के संदर्भ में: लेखापरीक्षा प्रतिचयन)

चयनित 132 जिलों के चयनित 356 प्रखंडों की सूची

जम्मू एवं कश्मीर	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
लेह	लेह
	खालसी
कारगिल	कारगिल
	शंकु
पुँछ	मेंढ़र
	हवेली
रजौरी	बुधहल
	रजौरी
रियासी	गुल गुलाबगढ़
	रियासी
अनंतनाग	कुकेरनाग
	पहलगाम

केरल	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
कासरगोड	परअप्पा
	कराडका
वायनाड	सुलतानबथेरी
	मनाथावडे
पलक्कड	अट्टापेड्डी
	कोलनगोडे
	चित्तूर
इडुक्की	इलम देसम
	देवीकुलम

मणिपुर	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
सेनोपति	माव-मारम
	पुरूल
चूड़ाचांदपुर	चूड़ाचांदपुर
	चूड़ाचांदपुर उत्तरी
उखरूल	उखरूल मध्य
	उखरूल उत्तरी

सिक्किम	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
पूर्वी जिला	गंगटोक
	पकयोंग
पश्चिमी जिला	गयालशिंग
	सोरेंग

त्रिपुरा	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
पश्चिम त्रिपुरा	जिरानिया
	जामपुजला
	बिशालगढ़
	मनडई
दक्षिण त्रिपुरा	बोकाफा
	रूपैछड़ी
	किल्ला

अंडमान एवं निकोबार	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
निकोबार	कार निकोबार
	नानकाउरी
दक्षिण अंडमान	पोर्ट ब्लेयर
	लिटिल अंडमान

दमन एवं दीव	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
दमन	दमन
दीव	दीव

छत्तीसगढ़	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
सरगुजा	अम्बिकापुर
	लुंदरा
जशपुर	पाथलगांव
	बगीचा
रायगढ़	उदयपुर (धरमजयगढ़)
	लैलुंगा
बिलासपुर	कोटा
	पेंड्रा रोड गोरिल्ला
	मारवाही
बस्तर	बस्तर
	जगदलपुर

कोंडागांव	कोंडागांव
	मकड़ी
सूरजपुर	सूरजपुर
	प्रतापपुर
बलराम पुर	वाड्राफनगर
	रामानुजगंज

आन्ध्र प्रदेश	
जिला	**चयनित ब्लॉक/मंडल**
आदिलाबाद	नारनौर
	उतनूर
	इंदरवैली
	अदिलाबाद
गुंटूर	गुंटूर
	मचेरला
	वेलदूरथी
	बोलापल्ली
विजयनगरम	सलूर
	पाचीपेंटा
	जी.आई.पुरम
	कुरूपम
वारंगल	महबूबाबाद
	मारीपेडा
	गुडूर
	कुरावी
खम्माम	कोथागुडेम
	तेकूलापल्ले
	येलांडू
	सिंगरेनी
विशाखापटनम	चिन्तापल्ले
	गुडेमकोथावीधि
	अराकू वैली
	जी. मदुगुला
श्री पोट्टीश्रीरामुलु नेल्लोर	नेल्लोर
	कोवूर
	गुडुर
	कावली

असम	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
कोकराझार	कोकराझार (पीटी)
	गोसाईगाँव (पीटी)
गोलपाड़ा	बालीजाना

	दूधनई
सोनितपुर	धेकियाजूली (पीटी)
	गोहपुर
लखीमपुर	उत्तरी लखीमपुर
	धकुआखाना (पीटी)
धेमाजी	जोनाई
	सिसीबरगांव
कार्बी आंगलोंग	रोंगखांग.डोंगकामोकाम
	सांमेलांगसो/हावड़ाघाट
कामरूप (आर)	बोको
	छायगांव
	रामपुर/गोरोईमारी
उदलगुरी	उदलगुरी
	हरीसिंगा

बिहार	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
पश्चिम चंपारण	सिघाव
	गौनाहा
	रामनगर
	मेनातनर
अररिया	रानीगंज
	फॉरबिसगंज
किशनगंज	पोठिया
	ठाकुरगंज
पूर्णिया	पूर्णिया ईस्ट
	धमदाहा
	बनमंखी
कटिहार	मनिहारी
	कोरहा
	अमदाबाद
	कटिहार
गोपालगंज	कूचायकोट
	हथुआ
	भोरे
सिवान	सिसवान
	रघुनाथपुर
	दरौली
	सिवान
भागलपुर	पिरपैंती
	कहलगांव
	सोन्हौला
	रंगरा चौक
बांका	कटोरिया

	बौसी
	चानन
कैमूर (भभुआ)	अधौरा
	चैनपुर
	भभुआ

गुजरात	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
साबरकांठा	खेदब्रहमा
	भिलोदा
	विजयनगर
पंचमहल	संतरामपुर
	कडाना
	घोघमबा
दोहद	झालोद
	दोहद
नवसारी	चिखली
	बंसडा
वल्साड़	कपराडा
	घरमपुर
सूरत	मांडवी
	सूरत सिटी
तापी	व्यारा
	सौंगध
वड़ोदरा	जेतपुरपावी
	छोटा उदयपुर
	कावंत

झारखंड़	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
पूर्वी सिंहभूम	गोलमुरी-सह-जुगसलाय
	पोटका
	चकुलिया
दुमका	शिकारीपारा
	रामगढ़
राँची	कांके
	नामकुम
	मन्दर
	बेरो
खूँटी	खूँटी
	कारा
गुमला	गुमला
	घाघरा

	सिसाई
सिमडेगा	थेथान्वृंगर
	सिमडेगा
पश्चिमी सिंहभूम	चक्रधरपुर
	चाईबासा
	बंदगाँव
	खूंटपानी

कर्नाटक	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
बेलगाम	बेलगाम
	गोकक
बीदर	बसावकल्याण
	होमनाबाद
रायचूर	देवदुर्गा
	मानवी
बेल्लारी	बेल्लारी
	कुदलिगी
चित्रदुर्ग	चल्लाकेरे
	चित्रदुर्ग
देवांगिरी	देवांगिरी
	हड़पन्नहल्ली
तुमकुर	पावागडा
	तुमकुर
बैंगलोर	अनेकल
	बैंगलोर उत्तरी
मैसूर	मैसूर
	हेग्गाददेवनकोटे

मध्य प्रदेश	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
रतलाम	रतलाम
	सैलाना
धार	कुकशी
	धार
खारगोन (पश्चिम निमार)	भगवानपुरा
	झीरनया
बरवानी	सेंधवा
	राजपुर
बेतुल	भैंसदेही
	घोदाडोंगरी
दिंदोरी	दिंदोरी
	शाहपुरा

मांडला	बिछिया
	घुघरी
छिदंवारा	जमाई
	हराई
	तमिया
सेओनी	लखनादन
	घनसौर
बालाघाट	बैहर
	पारसवाडा

महाराष्ट्र	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
नन्दुरबार	नवापुर
	शहादे
धूले	सकरी
	शिरपुर
जलगाँव	चोपडा
	यावल
	जलगांव
	रवेर
अमरावती	धरनी
	चिखलदरा
	वरूद
गढ़चिरौली	एटापल्ली
	धनौरा
	अहेरी
चंद्रपुर	चिमूर
	चंद्रपुर
	वरोरा
यवतमल	यवतमल
	केलापुर
	पुसाद
	घटनजी
नासिक	नासिक
	दिंदोरी
	सुरगाना
थाणे	धनाऊ
	पालघर
	तलासरी
नागपुर	नागपुर (शहरी)
	रामटेक
	हिंगना

ओड़िशा	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
संभलपुर	बमारा
	कोचिंदा
	जुजुमारा
	जमंकिरा
सुंदरगढ़	राजागंगापुर
	कुवरमुन्डा
	बिसरा
	बालीसंकर
केंदुझर	केंदुझर सदर
	घाटगांव
	पटाना
	तेलकोई
मूयरभंज	जाशीपुर
	खुंटा
	उडाला
	बनगिरिपोसी
कंधमाल	बालीगुडा
	डेरिंगबाड़ी
	फिरिंगिया
	रायकिया
कालाहांडी	जयापटना
	भवानीपटना
	कोकासारा
रायगडा	रायगडा
	गुनुपुर
	भीष्मकाटक
कोरापुट	बोपारीगुडा
	कोटपद
	पौट्टंगी
	जैपोर
नबरंगपुर	ऊमरकोट
	दाबूगान
	रायगढ़

राजस्थान	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
अलवर	राजगढ़
	थानागाजी
	लक्ष्मणगढ़
करौली	तोडाभीम
	सपोत्रा
सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर

	गंगापुर
दौसा	लालसोट
	दौसा
जयपुर	जाम्वारामगढ़
	बस्सी
	संगानेर
सिरोही	आबु रोड़
	पिंडवाड़ा
डुंगरपुर	डुंगरपुर
	सिमलवाड़ा
बांसवाड़ा	कुशालगढ़
	बागीडोरा
उदयपुर	गिरवा
	कोट्रा
	झडोल
प्रतागढ़	धारियाबाद
	पीपलखूंट

तमिलनाड़ु	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
तिरूवेल्लूर	मिन्जुर
	गुम्मीडीपून्डी
	एल्लापुरम
	पून्डी
कांचीपुरम्	थोमस मलाई
	कट्टनकोलाथुर
	थिरूकलाउकुन्दरम
	थिरूपोरूर
वेल्लौर	अलंगायम
	अनायकुट
	माधानुर
	जोलरपेट
तिरूवनामलाई	जवादुमलई
	थंड्रमपेट
	तिरूवन्नामलई
	किलेन्नाथुर
विलुप्पुरम	कलरायन हिल्स
	जिंगी
	वनुर
	कनाई
सलेम	पी.एन. प्लायम
	येरकौड
	गंगावल्ली
	कोलातुर

नामाकल	कोल्ली हिल्स
	नामगिरी पेट
	सेन्दामंगलम
	वेन्नानदुर
नीलगिरी	गुदालुर
	कोटागिरी
धर्मपुरी	पप्पीरेड्डीपट्टी
	हरूर

पश्चिम बंगाल	
जिला	**चयनित ब्लॉक**
दार्जीलिंग	फनसिदेवा
	दार्जिलिंग पुलबाज़ार
	जोरेबुन्ग्लोव सुकियापोखरी
जलपाईगुड़ी	कलचिनी
	मल
	धूपगुरी
बर्द्धमान	जमालपुर
	मेमारी – I
	कलना – II
	मेमारी – II
बांकुरा	रानीबूँध
	रायपुर
	छटना
	खत्रा
पुरूलिया	काशीपुर
	बूँदवान
	मनबाजार - II
	बलरामपुर
पश्चिम मेदिनिपुर	नरायणगढ़
	बिनपुर - II
	देबरा
	नयाग्राम

अनुबंध-2

(पैरा 2.1.4. के संदर्भ में: लेखापरीक्षा प्रतिचयन)

चयनित जिलों एवं ब्लॉकों की सं.

क्र.सं.	राज्य के नाम	जिलों की सं.	ब्लॉकों की सं.
1.	आन्ध्र प्रेदश	7	28
2.	असम	8	17
3.	बिहार	10	32
4.	छत्तीसगढ़	8	17
5.	गुजरात	8	19
6.	जम्मू एवं कश्मीर	6	12
7.	झारखंड़	7	20
8.	कर्नाटक	9	18
9.	केरल	4	9
10.	मध्य प्रदेश	10	21
11.	महाराष्ट्र	10	30
12.	मणिपुर	3	6
13.	ओड़िशा	9	33
14.	राजस्थान	10	23
15.	सिक्किम	2	4
16.	तमिलनाडु	9	32
17.	त्रिपुरा	2	7
18.	पश्चिम बंगाल	6	22
19.	अडंमान एवं निकोबार	2	4
20.	दमन एवं दीव	2	2
	कुल	**132**	**356**

अनुबंध-2(i)

(संदर्भ पैरा 2.3 के संदर्भ में: लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रेवश बैठक	पृष्ठ संख्या	निर्गम बैठक	पृष्ठ संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	-	-
2.	अंडमान निकोबार	28 मई 2013	13	11 सितम्बर 2014	13
3.	असम	20 मई 2014	140	02 फरवरी 2015	199
4.	बिहार	30 जुलाई 2014	80	20 जनवरी 2015	82
5.	छत्तीसगढ़	11 जून 2014	72	-	-
6.	दमन एवं दीव	-	-	-	-
7.	गुजरात	27 मई 2014	16	-	-
8.	जम्मू	18 जुलाई 2014	124	-	-
9.	झारखंड	29 मई 2014	88	-	-
10.	कर्नाटक	जून 2014	66	10 नवम्बर 2014	66
11.	केरल	03 जून 2014	49	-	-
12.	मध्य प्रदेश	जून 2014	269	-	-
13.	महाराष्ट्र	-	-	-	-
14.	मणिपुर	जुलाई 2014	29	- 2014	28
15.	ओडिशा	22 मई 2014	32	-	-
16.	राजस्थान	-	-	26 मार्च 2015	230
17.	सिक्किम	-	60	-	59
18.	तमिलनाडु	30 मई 2014	210	20 नवम्बर 2014	210
19.	त्रिपुरा	03 जून 2014	145	17 दिसम्बर 2014	154
20.	पश्चिम बंगाल	जून 2014	32	-	-

अनुबंध-3

(संदर्भ पैरा 3.2 के संदर्भ में: ज.जा.उ.यो. निधि का अनुचित निर्धारण तथा कम जारी किया जाना)

क्र.सं.	28 मंत्रालयों/विभागों के नाम	मंत्रालय के लिए अनुशंसित ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निधियों का निर्धारण (प्रतिशत में)
संवर्ग I	**ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निधियों के निर्धारण के लिए बाध्यता नहीं वाले मंत्रालय/विभागों**	0.0
संवर्ग II	**मंत्रालयों/विभागों जिन्हे आंशिक निर्धारण करना अनिवार्य था (उनके योजना व्यय के 7.5% से कम)**	--
1	दूरसंचार विभाग	0.25
2	कपड़ा मंत्रालय	1.20
3	जल संसाधन मंत्रालय	1.30
4	खाद्य एवं लोक वितरण विभाग	1.40
5	संस्कृति मंत्रालय	2.00
6	आयुष विभाग	2.00
7	आ.एवं.श.ग.उ. मंत्रालय	2.40
8	पर्यटन मंत्रालय	2.50
9	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2.50
10	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	8.20
11	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	3.60
12	खनन मंत्रालय	2.00
13	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	6.70
संवर्ग III	**मंत्रालयो/विभागों जिन्हे उनके अपने निर्धारण योजना व्यय के 7.5 से 8.2% के बीच अनिवार्य होगा।**	
1	उच्च शिक्षा विभाग	7.50
2	कृषि एवं सहकारिता विभाग	8.00
3	वृ.ल.सू.उ. मंत्रालय	8.20
4	कोयला मंत्रालय	8.20
5	युवा मामले विभाग	8.20
6	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	8.20
7	पंचायतीराज मंत्रालय	8.20
8	खेल विभाग	8.20
9	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.20
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	8.20
संवर्ग IV	**मंत्रालयों/विभागों जिन्हे निर्धारण हेतु ज.जा.उ.यो अंतर्गत उनके अपने योजना व्यय के 8.2% से अधिक निर्धारण अनिवार्य होगा।**	--
1	भूमि संसाधन विभाग	10.00
2	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	10.00
3	विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	10.70
4	ग्रामीण विकास विभाग	17.50
5	जनजातीय मामलों का मंत्रालय	100.00

अनुबंध-4

(पैरा 3.2 (ख) के संदर्भ में: ज.जा.उ.यो. निधि का कम जारी करना)

(₹ करोड़ में)

अवधि-वार तथा योजनाएँ-वार कम निर्गम

योजना का नाम	अवधि	निधियों का कुल आवंटन	ज.जा.उ.यो. शीर्ष '796' के अंतर्गत निर्धारित निधियाँ	ज.जा.उ.यो. शीर्ष '796' के अंतर्गत जारी निधियाँ जैसा योजनाओं द्वारा प्रतिवेदित हैं।	कम निर्गम
1	2	3	4	5	6=4-5
स.शि.अ.	2011-12	61734.36	6518.23	2276.26	4241.97
	2012-13	69875.30	7475.67	2632.90	4842.77
	2013-14	49130.24	5265.57	2910.09	2355.48
म.भो.पो.	2011-12	9901.91	1110.66	1087.49	23.17
	2012-13	10867.90	1277.26	1172.75	104.51
	2013-14	10927.21	1417.23	1339.82	77.41
आई.सी.टी.	2011-12	500.00	53.50	53.21	0.29
	2012-13	352.70	37.50	37.45	0.05
	2013-14	559.14	42.28	42.28	0
				कम निर्गम की कुल राशि	**11645.65**

अनुबंध-5

(पैरा 3.2(ख) के संदर्भ में: ज.जा.उ.यो. निधि का जारी नही किया जाना)

आई.सी.टी

राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	वर्ष जिसमें निधियाँ जारी नहीं की गयी थीं
अंडमान एवं निकोबार	2011-12 एवं 2013-14
कर्नाटक	2013-14
केरल	2013-14
मध्य प्रदेश	2011-12,2012-13 एवं 2013-14
राजस्थान	2011-12 एवं 2013-14
ओडिशा	2013-14
तमिलनाडु	2012-13 एवं 2013-14
त्रिपुरा	2012-13
पश्चिम बंगाल	2012-13

आर.एम.एस.ए.

राज्य का नाम	वर्ष जिसमें निधियाँ जारी नही की गयी थीं
बिहार	2011-12 एवं 2013-14
गुजरात	2011-12 एवं 2013-14
जम्मू एवं कश्मीर	2011-12
झारखंड	2012-13
महाराष्ट्र	2011-12 एवं 2012-13
सिक्किम	2012-13

टी.ई.एस

राज्य/सं.शा.क्षे.का नाम	वर्ष जिसमें निधियाँ जारी नहीं की गयी थीं
अंडमान एवं निकोबार	2011-12 एवं 2013-14
बिहार	2011-12 एवं 2012-13
त्रिपुरा	2012-13 एवं 2013-14

अनुबंध-6

(पैरा 3.2 (ख) के संदर्भ में: ज.जा.उ.यो. निधि का कम जारी करना)

(₹ करोड़ में)

अवधि-वार तथा योजनाएं-वार कम निर्गम					
परिषद का नाम	**अवधि**	**निधियों का कुल आवंटन**	**ज.जा.उ.यो. शीर्ष '796' के अंतर्गत निर्धारित निधियाँ**	**ज.जा.उ.यो. शीर्ष '796' के अंतर्गत जारी निधियाँ जैसा योजनाओं द्वारा प्रतिवेदित हैं।**	**कम निर्गम**
1	2	3	4	5	6=4-5
वि.अ.आ.	2011-12	3204.50	240.00	240.00	0
	2012-13	3473.75	298.58	196.08	102.50
	2013-14	3087.90	240.31	209.33	30.98
	कुल	**9766.19**	**778.89**	**645.41**	
इं.गां.रा.मु.वि.	2012-13	55	4.13	4.13	0
	2013-14	111.50	8.36	6.38	1.98
	कुल	**166.50**	**12.49**	**10.51**	
अ.भा.त.शि.प.	2013-14	412.50	30.94	27.75	3.19
	कुल	**412.50**	**30.94**	**27.75**	
				कुल	**138.65**

अनुबंध-7

(पैरा 3.2 (ख) के संदर्भ में: ज.जा.उ.यो. निधि का कम जारी करना)

(₹ करोड़ में)

अवधि-वार तथा योजनाएँ-वार कम जारी करना					
परिषद का नाम	**अवधि**	**निधियों का कुल आवंटन**	**ज.जा.उ.यो. शीर्ष '796' के अंतर्गत निर्धारित निधियाँ**	**ज.जा.उ.यो. शीर्ष '796' के अंतर्गत जारी निधियाँ जैसा योजनाओं द्वारा प्रतिवेदित है**	**आधिक्य/कमी**
1	2	3	4	5	6=4-5
कर्क रोग, मधुमेह, हृदयवाहिका सबंधित रोग तथा हृदयाघात की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (क.रो.म.ह्.ह्.रो.नि.रा.का.)	2011-12	125.00	10.00	14.96	-4.96
	2012-13	300.00	24.60	0.01	24.59
	2013-14	300.00	32.70	9.30	23.40
कुल		**725.00**	**67.30**	**24.27**	
वृद्धों के स्वास्थय देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (वृ.स्वा.रे.रा.का.)	2011-12	75.00	0	0	0
	2012-13	150.00	12.30	4.82	7.48
	2013-14	50.00	5.45	0.30	5.15
कुल		**275.00**	**17.75**	**5.12**	
आधारभूत संरचना अनुरक्षण	2011-12	4280.00	327.00	373.96	-46.96
	2012-13	4928.00	527.64	573.30	-45.66
	2013-14	4928.00	537.13	489.83	47.30
कुल		**14136.00**	**1391.77**	**1437.09**	
प्रतिरक्षण (पी.पी.आई.)	2011-12	871.00	101.90	26.00	75.90
	2012-13	1605.00	171.51	27.39	144.12
	2013-14	1605.00	174.94	41.40	133.54
कुल		**4081.00**	**448.35**	**94.79**	
राज्य पी.आई.पी. के लिए नम्य पूल-आर.सी.एच. नम्य पूल तथा मिशन नम्य पूल (न.पू.रा.पी.आई.पी.-आर.सी.एच. एवं एम.एफ.पी.)	2011-12	9890.00	1334.00	656.54	677.46
	2012-13	10789.51	1155.21	940.4	214.81
	2013-14	11111.01	1211.07	1237.11	-26.04
कुल		**31790.52**	**3700.28**	**2834.05**	
कुल योग		**51007.52**	**5625.45**	**4395.32**	
वर्ष-वार अधिक/कम आवंटन					
2011-12		15241.00	1772.90	1071.46	701.44
2012-13		17772.51	1891.26	1545.92	345.34
2013-14		17994.01	1961.29	1777.94	183.35
कुल कम जारी					**1353.75**
कुल अधिक जारी					**-123.62**

अनुबंध-8

(पैरा 3.4 के संदर्भ में: वर्ष के अंत में निधियों का जारी करना)

वर्ष के अंत के दौरान ज.जा.उ.यो. अंतर्गत योजना-वार एव वर्ष-वार जारी सहायता अनुदान (प्रत्येक वर्ष मार्च को) **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	योजनाओं का नाम	राज्य का नाम	2011-12		2012-13		2012-13	
			तिथि	राशि	तिथि	राशि	तिथि	राशि
I	एन.पी.सी.ड़ी.सी.एस	मध्य प्रदेश	29.3.12	1.42	-	-	-	-
			30.03.12	0.07	-	-	-	-
		असम	30.3.12	0.22	-	-	-	-
			30.3.12	0.07	-	-	-	-
		छत्तीसगढ़	30.03.12	0.07	-	-	-	-
		सिक्किम	30.3.12	0.08	-	-	-	-
			30.3.12	0.07	-	-	-	-
कुल				**2.00**	-	-	-	-
II	आधारभूत संरचना अनुरक्षण	छत्तीसगढ़	27.03.2013	8.34	-	-	-	-
		गुजरात	0	0.00	-	-	25.03.2014	13.32
		केरल	27.03.2013	0.26	-	-	-	-
		पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	25.03.2013	6.20
		मेघालय	-	-	-	-	25.03.2013	13.99
		त्रिपुरा	27.03.2013	1.27	-	-	-	-
कुल			-	**9.87**	-	-	-	**33.51**
III	प्रतिरक्षण (पी.पी.आई.)	बिहार	01.03.2012	0.62	-	-	-	-
		हिमाचल प्र.	-	-	14.03.13	1.95	-	-
		लक्षद्वीप	-	-	14.03.13	0.04	-	-
		दा. एवं ना. हवेली	-	-	14.03.13	0.06	-	-
		महाराष्ट्र	01.03.2012	2.30	-	-	-	-
		ओडिशा	-	-	14.03.13	6.37	-	-
		कर्नाटक	-	-	14.03.13	10.33	-	-
		केरल	-	-	14.03.13	3.71	-	-
		छत्तीसगढ़	-	-	14.03.13	4.92	-	-
कुल			-	**2.92**	-	**27.38**	-	-
IV	मिशन नम्य पूल	हिमाचल प्रदेश	29.03.2012	13.00	-	-	-	-
		ओडिशा	29.03.2012	9.00	-	-	-	-
		राजस्थान	29.03.2012	40.00	-	-	-	-
		तमिनाडु	29.03.2012	25.00	-	-	-	-
		उत्तराखंड़	29.03.2012	3.14	-	-	-	-
कुल			-	**90.14**	-	-	-	-
V	आर.सी.एच.नम्य पूल	आन्ध्र प्रदेश	30.03.2012	10.73	-	-	-	-
		छत्तीसगढ़	30.03.2012	10.05	-	-	-	-
				14.95	-	-	-	-
		दादर एवं नगर हवेली	30.03.2012	0.08	-	-	-	-
				0.10	-	-	-	-
				0.05	-	-	-	-
		दमन एवं दीव	30.03.2012	0.01	-	-	-	-
		गुजरात	30.03.2012	2.79	-	-	-	-

				2.21	-	-	-	-
		हरियाणा	30.03.2012	1.12	-	-	-	-
				5.67	-	-	-	-
				3.21	-	-	-	-
				3.21	-	-	-	-
		जम्मू एवं कश्मीर	30.03.2012	1.43	-	-	-	-
		झारखंड	30.03.2012	2.79	-	-	-	-
		कर्नाटक	30.03.2012	9.19	-	-	-	-
				5.81	-	-	-	-
		केरल	20.03.2012	8.71	-	-	-	-
				2.73	-	-	-	-
		मध्य प्रेदश	30.03.2012	8.86	-	-	-	-
				26.14	-	-	-	-
		ओडिशा	30.03.2012	8.51	-	-	-	-
				21.49	-	-	-	-
		पांड़िचेरी	30.03.2012	0.24	-	-	-	-
		पंजाब	20.03.2012	4.15	-	-	-	-
				2.33	-	-	-	-
			30.03.2012	3.24	-	-	-	-
		राजस्थान	30.03.2012	41.44	-	-	-	-
		तमिनाडु	14.03.2012	17.90	-	-	-	-
				8.47	-	-	-	-
		उत्तराखंड	30.03.2012	8.48	-	-	-	-
		पश्चिम बंगाल	29.03.2012	25.90	-	-	-	-
कुल			-	**262.00**	-	-	-	-
कुल योग			**49** मामले	**366.93**	**7** मामले	**27.38**	**3** मामले	**33.51**
59 मामले में ₹ 427.82 करोड़								

अनुबंध-9 (i)

(पैरा सं. 3.8.1 के संदर्भ में : ज.जा.उ.यो निधियों हेतु पृथक लेखे का अनुरक्षण न किया जाना)

राज्य का नाम	योजना का नाम	अभ्युक्तियां
असम	स.शि.अ., रा.मा.शि.अ., म.भो., सू. एवं सं.प्रौ., अ.शि.यो.	• ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त निधि के संबंध में पृथक लेखे नहीं रखे गए थे। ज.जा.उ.यो सहित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त सभी निधियों को एक ही निधि में संचित किया गया था। इस प्रकार, प्राप्त की गई ज.जा.उ.यो. निधियों में से व्यय की राशि,गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा अंत शेष को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
बिहार	रा.मा.शि.अ.	• राज्य में जनजातीय व्यक्तियों तथा परिवारों को प्रत्यक्ष तथा विशिष्ट लाभ प्रदान करने के लिए व्यय दर्शाने वाले पृथक अभिलेख/लेखे रखने के लिए कोई कार्यपद्धति नहीं अपनायी गई थी।
दमन एवं दीव	म.भो., स.शि.अ., और रा.मा.शि.अ.	• चूँकि ज.जा.उ.यो. निधियों तथा सं.रा.क्षे की अपनी निधियों को जिला तथा ब्लॉक स्तर पर मिला दिया गया था, इसलिए जिला, ब्लॉक तथा विद्यालय स्तर पर ज.जा.उ.यो के कोई पृथक विस्तृत लेखे नहीं थे।
गुजरात	स.शि.अ., रा.मा.शि.अ., म.भो., तथा सू. एवं सं.प्रौ.	• मि.डे.म के अलावा व्यय को मॉनीटर करने के लिए किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत कोई पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे। तथापि राज्य परियोजना निदेशक, एस ए एस तथा सभी चयनित जिलों के जि.प.स. ज.जा.उ.यो. अनुदान हेतु पृथक लेखाओं का अनुरक्षण नहीं कर रहे थे।
झारखंड	म.भो. एवं स.शि.अ.	• ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो तथा सामान्य के अंतर्गत व्यय का भेद करने हेतु कोई पृथक अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
कर्नाटक	म.भो. एवं रा.मा.शि.अ.	• जिला तथा विद्यालय स्तर पर ज.जा.उ.यो. संघटक हेतु कोई पृथक आबंटन नहीं किया गया था।
मध्य प्रदेश	स.शि.अ., म.भो., रा.मा.शि.अ. एवं अ.शि.यो.	• न तो ज.जा.उ.यो. निधियों हेतु किसी स्तर पर व्यय के कोई पृथक अभिलेख अनुरक्षित किए गए थे और न ही पृथक उपयोग प्रमाणपत्र भा.स. को प्रस्तुत किए गए थे।
मणिपुर	स.शि.अ., म.ओ., रा.मा.शि.यो., अ.शि.यो.	• विभाग ने ज.जा.उ.यो हेतु निर्दिष्ट निधियों हेतु पृथक लेखे अनरक्षित नही किए थे।
राजस्थान	रा.मा.शि.अ., म.भो.यो.	• न तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में पृथक खाता खोला गया और न ही पृथक अभिलेख पुस्तिका अनुरक्षित की गई थी। इस प्रकार,आर एम एस ए के वास्तविक उपयोग तथा शेष का सत्यापन नहीं किया जा सका। • जिला स्तर पर कोई पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए गए थे।
तमिलनाडु	रा.मा.शि.अ., अ.शि.यो.	• प्राप्त की गई निधियों के संचित खाते में रखा गया है। ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत व्यय पर नजर रखने के लिए कोई पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए गए है। • तमिलनाडु में टी ई एस हेतु कोई पृथक संचित लेखा नहीं है। भा.स. राज्य को सीधे निधियां जारी करती है। तत्पश्चात निधियां राज्य बजट के माध्यम से आबंटित की जाती है। ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत व्यय पर नजर रखने के लिए कोई पृथक लेखा नही बनाया गया है।
आन्ध्र प्रदेश	स.शि.अ.	• एस पी डी, आर वी एम (स.शि.अ.) आ.प्र. हैदराबाद जि.प.अ. को अन्य शीर्षों के अंतर्गत जारी निधियों सहित ज.जा.उ.यो. निधियां (केन्द्रीय तथा राज्य दोनो अंश) जारी कर रहे हैं। स.शि.अ. निधियां जारी करते समय अन्य निधियों से ज.जा.उ.यो. निधियों का कोई विभाजन नही था। इसके परिणामस्वरूप ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत प्रत्येक शैक्षिक संस्थान के पास आबंटित की गई वास्तविक राशियाँ उपलब्ध नहीं थी।

झारखंड	स.शि.अ.	• भा.स. तथा राज्य सरकार तीन अलग-अलग शीर्षों अर्थात् ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो. तथा सामान्य के अंतर्गत स.शि.अ. के कार्यान्वयन हेतु झा.शि.प.प के बैंक खाते में सीधे निधियां जारी करती है। झा.शि.प.प. ने अ.ज.जा., अ.जा. या सामान्य का भेद किए बिना स.शि.अ. के अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार ये निधियां जिलों/विघालयों को सीधे संवितरित की। परिणामत: भा.स. तथा राज्य सरकार द्वारा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत संस्वीकृत निधियों का केवल अ.ज.जा के लिए ही उपयोग नहीं किया जा रहा था।
केरल	म.भो.,सू. एवं सं.प्रौ. एवं अ.शि.यो.	• कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करते समय राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक योजना के लिए लिए पृथक बजट शीर्षों/उप शीर्षो के अंतर्गत निर्दिष्ट ज.जा.उ.यो. निधियों को नही रखा गया था।

अनुबंध-9 (ii)

(पैरा सं. 3.8.1 के संदर्भ में : ज.जा.उ.यो. निधि के पृथक लेखे का गैर-अनुरक्षण)

राज्य का नाम	योजना का नाम	अभ्युक्तियां
मध्यप्रदेश	रा.क.रो.म.ह.वा.रो. एवं ह.घा.रो. एवं नि.का., रा.वृ.स्वा.से.का., रा.पी.आई.पी.न.पू.	• वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान भा.स द्वारा राज्य एन सी डी प्रकोष्ठ को तीन निर्दिष्ट संघटकों जैसे सामान्य शीर्ष, जनजातीय उप योजना तथा अनुसूचित जाति संघटक योजना के अंतर्गत केन्द्रीय अंश तथा राज्य अंश की राशि जारी की गई थी लेकिन दोनों अंशों को राज्य एन सी डी प्रकोष्ठ तथा राज्य स्वास्थ्य समितियों की कॉर्पस निधि में मिला दिया गया तथा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत निर्दिष्ट किए बिना जिला एन सी डी प्रकोष्ठ तथा जिला स्वास्थ्य समितियों को जारी की गई थी। • इसके अतिरिक्त व्यय के पृथक अभिलेख नहीं रखे गए थे। • ज.जा.उ.यो. निधियों हेतु पृथक उपयोग प्रमाणपत्र भा.स. अथवा राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
	आ.अ.यो.	• भा.स. ने तीन विभिन्न संघटकों अर्थात् सामान्य शीर्ष, ज.जा.उ.यो. तथा अ.जा.यो. में निधियां जारी की थी लेकिन राज्य स्तर पर बजट में ज.जा.उ.यो. निधियों के लिए पृथक कोड नही खोला गया तथा आ.अ.यो. निधियों के लिए प्रावधान सामान्य अनुदान अर्थात् अनुदान सं.-19 के अंतर्गत किया गया तथा जिलों को निर्दिष्टीकरण किए बिना निधियां जारी की गई। • वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान भा.स. द्वारा ज.जा.उ.यो. के रूप में जारी की गई ₹207.40 करोड़ की कुल निर्दिष्ट निधियों को सरकार द्वारा सामान्य निधियों के तौर पर माना गया था।
झारखंड	रा.क.रो.म.ह.वा.रो. एवं ह.घा.रो. एवं नि.का.	• ज.जा.उ.यो., अ.जा.उ.यो. तथा सामान्य के अंतर्गत इस योजना पर जिला स्तर पर किए गए व्यय को राज्य एन सी डी प्रकोष्ठ द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार पृथक रूप से नहीं दर्शाया गया था, तथापि व्यय विवरण समेकित आधार पर तैयार किए गए थे।
	रा.पी.आई.पी.न.पू.	• भा.स. ने 2011-14 के दौरान ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत ₹259.42 करोड़ तथा राज्य सरकार ने ₹64.57 करोड़ की निधियां जारी की। जे.आर.एच.एम.एस. ने ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत जिलों को पृथक रूप से निधियां जारी करने के बजाय ज.जा.उ.यो., अ.जा.उ.यो. तथा सामान्य के अंतर्गत समेकित आधार पर निधियां संस्वीकृत की।
असम	रा.क.रो.म.ह.वा.रो. एवं ह.घा.रो. एवं नि.का.	• रा.ग्रा.स्वा.मि. के एन सी डी प्रकोष्ठ द्वारा भा.स. से ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत प्राप्त निधि के संबंध में कोई पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए गए थे। ज.जा.उ.यो सहित सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त सभी निधियों को एक ही कोष में संचित किया गया था।
ओडिशा	रा.क.रो.म.ह.वा.रो. एवं ह.घा.रो. एवं	• 2011-14 की अवधि के दौरान ज.जा.उ.यो. शीर्ष के अंतर्गत ₹2.35 करोड़ आबंटित किए गए जबकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ₹6.68 करोड़ का कुल व्यय सामान्य शीर्ष के अंतर्गत

	नि.का.	व्यय कर दिया गया। पृथक ज.जा.उ.यो. लेखे का अनुरक्षण न किए जाने के कारण ज.जा.उ.यो. तथा गैर-ज.जा.उ.यो. शीर्षों के अंतर्गत व्यय अलग-अलग नहीं किया जा सका।
	रा.वृ.स्वा.से.का.	• **2011-14 के दौरान ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत ₹40.00 लाख के राज्य अंश सहित कुल ₹3.54 करोड़ जारी किए गए थे। लेकिन ज.जा.उ.यो. शीर्ष के अंतर्गत किए गए व्यय के लिए कोई पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किये गये थे। उक्त अवधि के दौरान ज.जा.उ.यो. संघटक सहित सामान्य शीर्ष में कुल ₹5.47 करोड़ का व्यय किया गया था।**
	रा.पी.आई.पी.न.पू.	• व्यय की तुलना में ज.जा.उ.यो. के आबंटन संघटक का पृथक्करण न करना।
जम्मू व कश्मीर	रा.वृ.स्वा.से.का.	• 2011-12 में लेह जिले में रा.वृ.स्वा.से.का. के पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए गए थे।
कर्नाटक	आ.अ.यो.	• आ.अ.यो. के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नियमित कर्मचारियों के केवल वेतन संघटक को पूरा करने के लिए भा.स. निधियां जारी करती है। अत: भा.स. द्वारा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत जारी ₹59.28 करोड़ की निधि का अनुसूचित जनजातियों को व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक दोनों स्तर पर लाभ नहीं मिला।
सिक्किम	आ.अ.यो.	• विभाग ने, राज्य में आ.अ.यो. के कार्यान्वयन हेतु भा.स. से ज.जा.उ.यो. के लिए प्राप्त निधि के लिए पृथक लेखाओं का अनुरक्षण नही किया था।
राजस्थान	रोग प्रतिरक्षण	• ज.जा.उ.यो. के लिए कोई पृथक व्यय दर्ज नहीं किया गया था।
बिहार	रोग प्रतिरक्षण	• 2011-14 की अवधि के दौरान ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत टीकाकरण हेतु कोई पृथक आबंटन प्राप्त नहीं किया गया था। • व्यय के पृथक अभिलेखों का अनुरक्षण नही किया गया था।
	रा.पी.आई.पी.न.पू.	• राज्य ने निधियां अलग-अलग निर्दिष्ट नहीं की थी तथा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत विभिन्न जिलों में अ.ज.जा की जनसंख्या के अनुसार पृथक रूप से निधियां जारी नहीं की थी राज्य अथवा जिला स्तर पर व्यय (₹12.12 करोड़) के कोई पृथक अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
तमिलनाडु	रा.पी.आई.पी.न.पू.	• राज्य संस्था ने ज.जा.उ.यो. संघटक हेतु कोई पृथक लेखाओं का अनुरक्षण नहीं किया है। परिणामत: वार्षिक लेखा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत प्राप्तियों तथा व्यय को नहीं दर्शाता।
दमन व दीव	रा.पी.आई.पी.न.पू.	• दीव जिले हेतु कोई निधियां आबंटित नहीं की गई थी।
केरल	रा.क.रो.म.ह्र.वा.रो. एवं ह्र.घा.रो. एवं नि.का., रा.वृ.स्वा.से.का., रा.पी.आई.पी.न.पू., आ.अ.यो. टीकाकरण	• ज.जा.उ.यो. निधियों का पृथक रूप से अनुरक्षण नहीं किया गया था।

अनुबंध-10 (i)

(पैरा सं. 3.8.2 के संदर्भ में: केन्द्रीय सरकार द्वारा कम/विलम्बित निर्गम)

राज्य का नाम	योजना का नाम	अभ्युक्तियां
गुजरात	स.शि.अ.	• भारत सरकार ने 2011-14 वर्षों के दौरान ₹1286.61 करोड़ राशि के अनुदान जारी नही किए, कार्यक्रम पूर्ण केन्द्रीय सहायता से वंचित रहा।
छत्तीसगढ़	स.शि.अ. तथा रा.मा.शि.अ.	• ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान कोई राशियां प्रदान नहीं की गई थी जबकि आर एम एस ए के लिए 2013-14 के दौरान निधि का नौ प्रतिशत जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत स.शि.अ. हेतु निधियों का केवल 18 प्रतिशत से 22 प्रतिशत आबंटित किया गया था।
आन्ध्र प्रदेश	स.शि.अ. सू. एवं सं.प्रौ.	• 2012-13 तथा 2013-14 वर्षों के लिए राज्य परियोजना निदेशक, आर.वी.एम (स.शि.अ.) आ.प्र. तथा हैदराबाद को संबंधित वर्ष के बिलकुल अंत[1] में केन्द्रीय अंश जारी किया गया था। • वर्ष 2011-12 के लिए ₹2.63 करोड़ का केन्द्रीय अंश दिसम्बर 2013 में जारी किया गया था लेकिन राज्य सरकार ने ₹27.10 लाख का अपना अंश जनवरी 2014 में जारी किया है। इस प्रकार क्रमशः 20 महीने तथा 12 महीने से अधिक का विलम्ब था।
त्रिपुरा	म.भो., रा.मा.शि.अ., सू. एवं सं.प्रौ., अ.शि.यो.	• सभी चयनित योजनाओं में निधियों का केन्द्रीय अंश जारी करने का संदर्भ लिए बिना राज्य अंश जारी किया गया था। इस प्रकार, संबंधित केन्द्रीय अंश के अनुरूप राज्य द्वारा जारी वास्तविक निधियों का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका तथा राज्य अंश जारी करने में हुए विलम्ब को भी परिकलित नहीं किया जा सका। • ₹56.73 लाख के राज्य अंश में से राज्य द्वारा 2011-12 से 2013-14 के दौरान केवल ₹36.25 लाख ही जारी किए गए थे।
सिक्किम	रा.मा.शि.अ.	• राज्य-अंश के कम तथा एक से दो वर्षों तक विलम्ब से जारी किये जाने के कारण भा.स. द्वारा 2010-11 वर्ष से संबंधित ₹3.23 करोड़ का अनावर्ती अनुदान मार्च 2012 में जारी किया गया था तथा 2009-10 एवं 2010-11 वर्षों से संबंधित ₹7.62 करोड़ के अनावर्ती अनुदान की अंतिम किश्त भा.स. द्वारा मार्च 2014 में जारी की गई।

[1] 24.02.2013 को ₹2460.00 लाख तथा 27.03.14 को ₹102.38 लाख

अनुबंध-**10 (ii)**

(पैरा सं. 3.8.2 के संदर्भ में: केन्द्रीय सरकार द्वारा कम/विलम्बित निर्गम)

राज्य का नाम	योजना का नाम	अभ्युक्तियां
जम्मू एवं कश्मीर	रा.क.रो.म.ह्र.वा.रो. एवं ह्र.घा.रो. एवं नि.का., रा.वृ.स्वा.से.का.	• 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान भारत सरकार द्वारा रा.क.रो.म.ह्र.वा.रो. एवं ह्र.घा.रो. एवं नि.का. तथा रा.वृ.स्वा.से.का. के अंतर्गत कोई निधियां जारी नहीं की गई थीं।
केरल	रा.वृ.स्वा.से.का.	• इडुकी जिले में सात के.स्वा.के/प्रा.स्वा.के. में भा.स. ने 2011-14 की अवधि के दौरान कोई निधियां जारी नहीं की थीं। • इडुक्की जिले के सात के स्वा.के./प्रा.स्वा.के. में कोई योजना कार्यान्वित नहीं की गई थीं।
असम	रा.वृ.स्वा.से.का.	• स्वा. एवं प.क.मं द्वारा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत 2011-14 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई थी।
	रोग प्रतिरक्षण	• ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत रोग प्रतिरक्षण हेतु 2011-14 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई थी।
	रा.पी.आई.पी.न.पू.	• 2011-14 के दौरान ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत आर.सी.एच.एफ.पी. हेतु कोई निधि जारी नहीं की गई थी।
झारखण्ड	रा.वृ.स्वा.से.का.	• भा.स. ने 2011-14 के लिए ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत रा.वृ.स्वा.से.का. में कोई निधि जारी नहीं की।
	रोग प्रतिरक्षण	• 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान भा.सं तथा राज्य ने जा.जा.उ.यो. के अंतर्गत रोग प्रतिरक्षण हेतु कोई राशि जारी नही की।
मध्यप्रदेश	आ.अ.यो.	• तीन संघटकों अर्थात् ए.एन.एम./एल.एच.वी. प्रशिक्षण, एच.एफ.डब्ल्यू टी सी तथा एम.पी.डब्ल्यू प्रशिक्षण के प्रति भा.स. ने ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत कोई अनुदान जारी नहीं किया।
	रोग प्रतिरक्षण	• भा.स. द्वारा ज.जा.उ.यो. के लिए प्रतिरक्षण के अंतर्गत 2011-12 से 2013-14 के दौरान कोई निश्चित राशि जारी नहीं की गई थी।
कर्नाटक	रोग प्रतिरक्षण	• भा.स. द्वारा 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत ज.जा.उ.यो. हेतु कोई राशि जारी नहीं की गई थी।
राजस्थान	रोग प्रतिरक्षण	• भा.स. द्वारा 2011-12 से 2013-14 के दौरान कोई ज.जा.उ.यो. निधि जारी नहीं की गई थी।
सिक्किम	रोग प्रतिरक्षण	• भा.स. द्वारा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम हेतु कोई निधि उपलब्ध नहीं करायी गई थी।
महाराष्ट्र	रा.क.रो.म.ह्र.वा.रो. एवं ह्र.घा.रो. एवं नि.का.	• 2012-13 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई थी।
	रा.वृ.स्वा.से.का.	• 2011-12 से 2013-14 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई थी।
	आ.अ.यो.	• 2011-12 से 2013-14 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई थी।
	रोग प्रतिरक्षण	• 2011-12 से 2013-14 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई थी।
	रा.पी.आई.पी.न.पू.	• 2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई थी।

अनुबंध-**11 (i)**

(पैरा सं. 3.8.3 के संदर्भ में: राज्य सरकार द्वारा कम/विलम्बित निर्गम)

राज्य का नाम	योजना (योजनाओं) का नाम	अभ्युक्तियां
आन्ध्रप्रदेश	सू. एवं सं.प्रौ., अ.शि.यो.	• राज्य सरकार द्वारा 2012-13 के दौरान ₹1.46 करोड़ (25 प्रतिशत) का अपना अंश जारी नहीं किया गया।
असम	स.शि.अ., रा.मा.शि.अ., म.भो., सू. एवं सं.प्रौ., अ.शि.यो.	• राज्य सरकार ने 2011-12 के दौरान ₹65.12 लाख (50 प्रतिशत) तथा 2013-14 के दौरान ₹27.12 लाख (25 प्रतिशत) का अपना अंश जारी नहीं किया है। • 2011-14 के दौरान भा.स. द्वारा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत जारी निधि के अनुरूप राज्य का अंश प्राप्त नहीं किया गया था।
जम्मू एवं कश्मीर	रा.मा.शि.अ.	• ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत ₹19.72 करोड़ की जारी निधि के प्रति (2011-12 ₹00.00 लाख, 2012-13 ₹6.39 करोड़ और 2013-14 ₹13.33 करोड़) राज्य ने ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत अपना 25% अंश पृथक रूप से जारी नहीं किया।
झारखण्ड	रा.मा.शि.अ.	• भा.स. ने 2011-14 के दौरान ₹136.77 करोड़ जारी किए लेकिन राज्य सरकार ने अपना अंश जारी नहीं किया।
मध्य प्रदेश	अ.शि.यो.	• वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य का अंश जारी नहीं किया गया था।
मणिपुर	स.शि.अ., म.भो. एवं अ.शि.यो.	• आर.एम.एस.ए के अतिरिक्त 2011-14 की अवधि के लिए ज.जा.उ.यो. हेतु राज्य के अंश का अंशदान लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं दिखाया जा सका।
कर्नाटक	अ.शि.यो.	• राज्य सरकार ने 2011-14 के दौरान राज्य का अंश जारी नहीं किया था।

अनुबंध-11 (ii)

(पैरा सं. 3.14 के संदर्भ में : राज्य की हिस्सेदारी के निर्मुक्तीकरण में कमी/देरी)

राज्य का नाम	योजना का नाम	अभियुक्तियाँ
आंध्र प्रदेश	एस.एस.ए. आर.एम.एस.ए आई.सी.टी.	• वर्ष 2011-12 के लिए अपने 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹105.29 करोड़ के प्रति केवल ₹75.01 करोड़ निर्मुक्त किए गए। अत: ₹30.28 करोड़ की कम निधियों का निर्मुक्तिकरण किया गया। • राज्य सरकार द्वारा 2012-13 के दौरान अपनी 25 प्रतिशत हिस्सेदारी अर्थात ₹9.40 करोड़ के लिए ₹8.32 करोड़ निर्मुक्त किए गए। अत: राज्य की हिस्सेदारी में ₹1.08 करोड़ की कमी थी। • 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्सेदारी (25 प्रतिशत) के रूप में निर्मुक्त किए जाने वाले ₹1.58 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹64.70 लाख निर्मुक्त किए। अत: ₹92.80 लाख का कम निर्मुक्तिकरण हुआ। 2012-14 के लिए, राज्य की कुल ₹2.19 करोड़ की हिस्सेदारी के प्रति ₹1.92 करोड़ निर्मुक्त किए गए। 2012-14 की अवधि के लिए ₹26.37 लाख का कम निर्मुक्तिकरण हुआ।
पश्चिम बंगाल	आई.सी.टी., टी.ई.एस.	• आई.सी.टी. के मामले में, स्कूली शिक्षा विभाग को निधियों का निर्मुक्तिकरण करने में वित्त विभाग द्वारा 25 दिवस से एक वर्ष चार माह तक का विलंब किया गया। • आई.सी.टी. के मामले में, वर्ष 2013-14 के दौरान भा.स. द्वारा केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में 2000 विद्यालयों के लिए ₹38.73 करोड़ स्वीकृत किए गए जिसमें से ₹7.75 करोड़ ज.जा.उ.यो. शीर्ष में निर्मुक्त किए गए। ₹7.75 करोड़ में से केवल ₹3.75 करोड़ ही खर्च किए गए तथा शेष ₹4.00 करोड़ भा.स. से विलम्ब से निधि प्राप्त होने के कारण (मार्च 2014) आहरित नहीं किए जा सके। • राज्य सरकार ने अपनी ₹5.00 करोड़ की हिस्सेदारी में से ₹8.46 लाख निर्मुक्त किए गए। • अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए स्कूली शिक्षा विभाग ने ज.जा.उ.यो. के लिए दिसम्बर 2013 में लेखाशीर्ष खोला। परिणामस्वरूप, इसने वित्त वर्ष 2011-12 और 2012-13 में ज.जा.उ.यो. के लिए निधि का निर्मुक्तिकरण नहीं किया जा सका यद्यपि मार्च 2012 (₹67.46 लाख) और अगस्त 2013 (₹29.50 लाख) में ₹96.96 लाख प्राप्त किए गए थे। • एस.सी.ई.आर.टी. के क्रियान्वयन के लिए, राज्य द्वारा 25 प्रतिशत हिस्से का अंशदान दिया जाना था तथापि कोई हिस्सा निर्मुक्त नहीं किया गया।
सिक्किम	आर.एम.एस.ए. टी.ई.एस	• राज्य द्वारा 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹2.53 करोड़ की हिस्सेदारी के विरूद्ध केवल ₹1.57 करोड़ की हिस्सेदारी निर्मुक्त की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹0.96 लाख का निर्मुक्तिकरण कम हुआ। • ₹43.82 लाख की राज्य हिस्सेदारी कम प्राप्त हुई।
झारखण्ड	एस.एस.ए. एम.डी.एम.	• 2011-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निधियों के निर्मुक्तिकरण में चार से सात माह का विलम्ब हुआ। • 2011-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निधियों के निर्मुक्तिकरण में दो से चार माह का विलम्ब हुआ।
कर्नाटक	आर.एम.एस.ए	• 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान राज्य ने अपनी हिस्सेदारी क्रमश: 46 दिवस 72 दिवस तथा 86 दिवस पश्चात् निर्मुक्त की गई।
महाराष्ट्र	एस.एस.ए. आर.एम.एस.ए	• 2011-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी क्रमश: 39 दिवस 110 दिवसों की देरी से निर्मुक्त की गई। • 2011-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी 65 से 192 दिवसों की देरी से निर्मुक्ति की गई।

मणिपुर	एम.डी.एम. आर.एम.एस.ए	• राज्य सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता, केन्द्र सरकार द्वारा निर्मुक्त किए जाने की तिथि से, 170 से 851 दिवसों की देरी से निर्मुक्त की गई। • राज्य सरकार की हिस्सेदारी के निर्मुक्तीकरण में 145 से 186 दिवसों का विलम्ब हुआ।
ओडिशा	आर.एम.एस.ए.	• 2011-14 के दौरान राज्य द्वारा अपनी हिस्सेदारी के अंतरण में 15 से 59 दिवसों का विलम्ब किया गया।
राजस्थान	आर.एम.एस.ए.	• यह देखा गया कि राज्य द्वारा जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत आर.एम.एस.ए. के लिए समान हिस्सेदारी का निर्मुक्तिकरण 17 से 148 दिवसों की देरी से किया गया।

अनुबंध-12 (i)

(पैरा सं. 3.8.3 के संदर्भ में : राज्य सरकार द्वारा निर्मुक्तिकरण में कमी/देरी)

राज्य का नाम	योजना का नाम	अभियुक्तियाँ
कर्नाटक	एन.पी.सी.डी.सी.एस	• योजना के लिए राज्य की हिस्सेदारी प्रदान नहीं की गई। अत: योजना के क्रियान्वयन के लिए ₹1.87 करोड़ अस्वीकार कर दिए गए। • राज्य की हिस्सेदारी से टी.एस.सी. के लिए ₹9.47 लाख प्राप्त हुए। तथापि निदेशालय की वित्तीय विवरणी दर्शाती है कि राज्य सरकार से योजना के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हुई।
बिहार	एन.पी.सी.डी.सी.एस.	• 2011-14 के दौरान राज्य ने इसकी हिस्सेदारी प्रदान नहीं की गई।
असम	एन.पी.सी.डी.सी.एस.	• 2012-14 के दौरान टी.एस.पी. के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त निधि के समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी निर्मुक्त नहीं की गई।
जम्मू एवं कश्मीर	एन.पी.सी.डी.सी.एस.	• राज्य सरकार द्वारा अपनी 20% हिस्सेदारी जो ₹2.24 करोड़ थी का अंशदान नहीं किया गया।
	प्रतिरक्षण	• 2011-12 से 2013-14 के दौरान राज्य सरकार ने निर्धारित अनुपात में अपनी हिस्सेदारी का अंशदान नहीं किया।
बिहार	एन.पी.एच.सी.ई.	• चूंकि राज्य के योजना परिव्यय को स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं किया गया था अत: राज्य ने स्वयं की हिस्सेदारी का निर्मुक्तिकरण नहीं किया।
जम्मू एंव कश्मीर	एन.पी.एच.सी.ई.	• राज्य ने अपनी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी, जो ₹1.23 करोड़ थी, का अंशदान नहीं किया।
असम	आई.एम.एस.	• 2011-13 के दौरान ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त की गई निधि के समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी निर्मुक्त नहीं की गई।
सिक्किम	एफ.पी.एस.पी.आई.पी.	• भारत सरकार से ₹1.94 करोड़ प्राप्त होने के बावजूद 2013-14 के दौरान ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत राज्य की हिस्सेदारी निर्मुक्त नहीं की गई।

अनुबंध-12 (ii)

(पैरा सं. 3.8.3 के संदर्भ में : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्मुक्तिकरण में कमी/देरी)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	भा.स. द्वारा निर्मुक्त कुल निधियाँ	जिलों की संख्या जिनके लिए भा.स. द्वारा निधियाँ निर्मुक्त की गई।	कुल जनसंख्या में पाँच चयनित जिलों की जनजातीय जनसंख्या का %	जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में निर्मुक्त की जाने वाली निधियाँ	ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत वास्तविक रूप में जारी की गई निधियाँ	ज.जा.उ.यो. निधियों के निर्मुक्तिकरण में कमी
1.	**एन.पी.एच.सी.ई.**	624.56	4	47%	293.54	79.43	214.11
2.	एन.पी.सी.डी.सी.एस.	1313.66	5	44%	578.01	263.39	314.62
						कुल	528.73

अनुबंध-13 (i)

(पैरा सं. 3.8.4 के संदर्भ में : ज.जा.उ.यो. निधियों का अनुपयोग/न्यून उपयोग)

राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	योजना का नाम	अभियुक्तयाँ
छत्तीसगढ़	एस.एस.ए., एम.डी.एम व आर.एम.एस.ए.	• एस.एस.ए. में 85 से 88 प्रतिशत और एम.डी.एम. में 87 से 93 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया गया। आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत 2011-12 और 2012-13 के दौरान उपलब्ध निधियों का मात्र 6 से 27 प्रतिशत जबकि 2013-14 में 74 प्रतिशत उपयोग किया गया। • निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण एस.एस.ए. के अंतर्गत भा. स. की ₹4626.85 करोड़ की हिस्सेदारी के प्रति भा.स. द्वारा मात्र ₹2465.84 करोड़ (53 प्रतिशत) निर्मुक्त किए गए। तथापि एम.डी.एम के अंतर्गत ₹1585.39 करोड़ की उपलब्ध निधियों के प्रति पिछले तीन वर्षों में ₹1445.74 करोड़ (91 प्रतिशत) का उपयोग किया गया।
दमन व दीव	एस.एस.ए	• 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान भा.स. द्वारा आवंटित ₹1.22 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया।
गुजरात	एम.डी.एम.	• एम.डी.एम. के ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 के दौरान उपलब्ध निधियों के प्रति क्रमश: मात्र ₹9.25 करोड़ (12.67 प्रतिशत), ₹11.05 करोड़ (14.09 प्रतिशत), और ₹21.33 करोड़ (22.42 प्रतिशत) का व्यय किया गया।
जम्मू व कश्मीर	एस.एस.ए एम.डी.एम आर.एम.एस.ए. टी.ई.एस.	• जिला स्तर के कार्यालयों ने निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया और एस.एस.ए. निधियों (सी.ई.ओ.[2]) के उपयोग में 2011-12 के दौरान 19% और 46%, 2012-13 के दौरान 17% और 61% तथा 2013-14 के दौरान 15% और 35% की कमी रही। • भारत सरकार से ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत प्राप्त (2011-14) निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका और अप्रोज्य/उपलब्ध निधियाँ 33% से 65% के बीच रहीं। • 2011-14 के दौरान कुल ₹453.27 करोड़ के निर्मुक्तिकरण के प्रति विभाग मात्र ₹394.15 करोड़ का ही उपयोग कर सका जो 2011-12 और 2012-13 के दौरान 38% और 81% रहीं। • 2011-14 की अवधि के दौरान अभिलक्षित जिलो[3] में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (नि.शि.प्र.स.) द्वारा निधियों का पूर्णरूपेण उपयोग नहीं किया गया और निधियों के उपयोग में कमी 2011-12 और 2012-13 के दौरान 0% से 100% और 2013-14 में 54% से 100% के बीच रही।
मध्य प्रदेश	आर.एम.एस.ए. और एस.एस.ए.	• आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका और मार्च 2014 के अंत में ₹117.01 करोड़ अव्ययित शेष के रूप में पाए गए। • 2011-12 से 2012-13 के दौरान एस.एस.ए. के अंतर्गत कुल उपलब्ध निधियों में से 28 से 37 प्रतिशत तक निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।
राजस्थान	टी.ई.एस.	• कुल ₹1.23 करोड़ की निधि में से मात्र ₹60.76 लाख का ही उपयोग किया जा सका। अत: 2013-14 के दौरान ₹62.34 लाख का उपयोग नहीं किया जा सका। राज्य की ₹30.77 लाख की हिस्सेदारी के प्रति केवल ₹6.80 लाख।
तमिलनाडु	आई.सी.टी.	• 2011-12 के दौरान आई.सी.टी. योजना के अंतर्गत ₹58.12 करोड़ (भा.स. की हिस्सेदारी ₹43.60 करोड़ और राज्य की हिस्सेदारी ₹14.52 करोड़) प्राप्त हुए। इसमें से, ₹15.05 करोड़ (भा.स. हिस्सेदारी- ₹11.29 करोड़ और राज्य की हिस्सेदारी ₹3.76 करोड़) ज.जा.उ.यो. के लिए निर्धारित किए गए। समग्र राशि विगत दो वर्षों से राज्य के खाते में निष्क्रिय पड़ी है।
अडंमान और निकोबार	आई.सी.टी.	• 2012-13 के दौरान मा.वि.सं.मं. ने ज.जा.उ.यो. के तहत ₹5.38 लाख स्वीकृत किए गए परतुं प्राधिकार पत्र प्राप्त न होने के कारण धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका। • प्रशासन ने ₹1.98 करोड़ की राशि का जनजातीय छात्रों के प्रत्यक्ष लाभ के लिए उपयोग न

[2] अनंतनाग, कारगिल, लेह, पूँछ, राजौरी और रिआसी

[3] अनंतनाग, कारगिल, लेह, पूँछ, राजौरी और रिआसी

	एम.डी.एम.	करके उसका एम.डी.एम के प्रबंधन निगरानी और मूल्यांकन घटक के लिए विपथन किया गया। • यह प्रमाणित किए जाने के लिए कि 2013-14 के दौरान ₹8.25 लाख की लागत पर की गई खाद्य पदार्थों की आपूर्ति का वास्तविक रूप में जनजातीय छात्रों के लाभ के लिए उपयोग किया गया था, कोई साक्ष्य नहीं था।

अनुबंध-13 (ii)

(पैरा सं. 3.8.4 के संदर्भ में : ज.जा.उ.यो. निधि का अनुपयोग/न्यून उपयोग)

राज्य का नाम	योजना का नाम	अभियुक्तियाँ
मध्यप्रदेश	एन.पी.सी.डी.सी.एस.	• कुल उपलब्ध निधियों में से 2011-12 से 2013-14 के दौरान बचत 77 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच थी। • क्षेत्रीय कार्यकर्ता अर्थात् जिला, सी.ए.सी. और एस.एच.सी. में उपलब्ध निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण मार्च 2012 और मार्च 2013 को राज्य एन.सी.डी. सैल और जिला एन.सी.डी. सैल के पास क्रमश: ₹1.48 करोड़ और ₹0.74 करोड़ तथा ₹10.26 करोड़ व ₹8.89 करोड़ अप्रयुक्त था।
	एन.पी.एच.सी.ई.	• ₹957.97 लाख की कुल उपलब्ध निधियों में से ₹549.66 लाख की निधियों का 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान उपयोग नहीं हो सका और बचत 70 प्रतिशत से 94 प्रतिशत के बीच थी। • क्षेत्रीय कार्यकर्ता अर्थात् सी.एच.सी., पी.एच.सी. और एस.एच.सी. को निधियों का निर्मुक्तिकरण न किए जाने के कारण मार्च 2012 और मार्च 2013 महिने के अंत में राज्य एन.सी.डी. सैल और जिला एन.सी.डी सैल के पास क्रमश: ₹0.01 करोड़ और ₹1.19 करोड़ तथा ₹3.46 करोड़ व ₹6.67 करोड़ अप्रयुक्त थे।
	एफ.पी.एस.पी.आई.पी.	• आर.सी.एच.एफ.पी. और एम.एफ.पी. के अंतर्गत निधियों का, जो क्रमश: 5 से 18 प्रतिशत और 14 से 44 प्रतिशत के बीच थी, 2011-12 से 2013-14 के दौरान उपयोग नहीं किया जा सका। • वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान भा.स. द्वारा एम.एफ.पी. के अंतर्गत ज.जा.उ.यो. के निर्धारित किसी भी निधि का निर्मुक्तिकरण नहीं किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार, मध्यप्रदेश की जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत और ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत भा.स. निर्मुक्त निधियाँ 8 प्रतिशत थीं। अत: ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत भा.स. द्वारा 2011-12 से 2013-14 के दौरान किए गए कुल निर्मुक्तिकरण के प्रति 13 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सेदारी कम निर्मुक्त की गई।
आंध्र प्रदेश	एन.पी.सी.डी.सी.एस.	• नमूनाकृत केंद्रीत जिलो[4] में 2011-14 के दौरान जिला एन.पी.सी.डी.सी.एस. सैलों को राज्य एन.पी.सी.डी.सी.एस. सैलों से ₹1.71 करोड़ (जिसमें ज.जा.उ.यो. हिस्सेदारी शामिल है) प्राप्त हुए जिसमें से ₹15.47 लाख की मामूली सी राशि खर्च की गई। ₹1.71 करोड़ की राशि में जिला चिकित्सालय में हृदय संबधी देखभाल ईकाई थी स्थापना के लिए प्राप्त ₹1.25 करोड़ शामिल हैं। जिला सैल द्वारा बताया गया कि निधियों का उपयोग न किए जाने का कारण निधियों के निर्मुक्तिकरण के समय राज्य एन.पी.सी.डी.सी.एस. सैलों द्वारा निधियों के उपयोग के लिए निश्चित दिशा-निर्देशों की सूचना न देना था।
	एन.पी.एच.सी.ई	• ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत प्राप्त ₹57.43 लाख की सम्पूर्ण राशि राज्य एन.पी.सी.डी.सी.एस. सैलों के पास अप्रयुक्त पड़ी है।

[4] एस.पी.एस.आर. नैल्लोर

	एफ.पी.एस.पी.आई.पी.	• 31 मार्च 2014 को सात नमूना जिलों[5] में आर.के.एस. (₹2.94 करोड़), ए.एम.जी. (₹2.65 करोड़) और यू.टी.एफ के अंतगर्त (₹68.14 लाख) रूपये का काफी अधिक अव्ययित शेष उपलब्ध था। • इसी प्रकार, 31 मार्च 2014 को आर.के.एस (₹9.75 लाख), ए.एम.जी. (₹12.86 लाख) और यू.टी.एफ (₹21.63 लाख) संघटकों के अंर्तगर्त सी.एच.सी/पी.एच.सी स्तर पर बहुत अधिक अव्ययित शेष उपलब्ध था।
सिक्किम	एन.पी.सी.डी.सी.एस.	• 2011-12 और 2012-13 के दौरान एस.एच.एस.,एन.सी.डी. सैल को राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वा.प.क.म.), भारत सरकार से ₹8.98 करोड़ (भा.स. ₹7.94 करोड़ और राज्य की हिस्सेदारी ₹1.04 करोड़) की निधियाँ प्राप्त हुई जिसमें ज.जा.उ.यो. के लिए ₹63.22 लाख भी शामिल थे। कुल उपलब्ध निधियों के प्रति 2011-12 से 2013-14 के दौरान क्रमश: 17 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 38 प्रतिशत निधियों का उपयोग हुआ। निधियों के उपयोग में असफलता इस बात की ओर इंगित करती है कि सम्पूर्ण लेखापरीक्षा अवधि के दौरान योजना को वांछित तरीके से क्रियान्वित नहीं किया गया जिसका परिणाम उत्तरोत्तर बचतों में हुआ जो 62 प्रतिशत से 84 प्रतिशत के बीच रहीं। • 2011-12 के दौरान भा.स. से प्राप्त कुल ₹3.14 करोड़ की प्राप्तियों के प्रति राज्य की ₹1.04 करोड़ की हिस्सेदारी विलम्ब से, 2012-13 के बिलकुल अंत में (जनवरी और मार्च 2013), निर्मुक्त की गई। राज्य की हिस्सेदारी का विलंबित निर्मुक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बचत के अतिरिक्त निधि के अनुपयोग का भी कारण बना।
	एन.पी.एच.सी.ई.	• भा.स. और राज्य सरकार से प्रदान की गई निधि की तुलना में व्यय बहुत कम था जिसका परिणाम कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रारम्भिक दो वर्षो में 87 प्रतिशत और 50 प्रतिशत बचतों में हुआ। • 2011-12 व 2012-13 के दौरान भा.स. से प्राप्त कुल ₹1.69 करोड़ की प्राप्तियों के प्रति राज्य की ₹50.76 लाख की हिस्सेदारी का निर्मुक्तिकरण 2012-13 (जनवरी और मार्च 2013) के अंत में किया गया जिसका परिणाम वर्ष के दौरान 50% से अधिक अव्ययित राशि में हुआ।
जम्मू एवं कश्मीर	एन.प्री.सी.डी.सी.एस.	• वर्ष 2011-14 के दौरान एन.पी.सी.डी.सी.एस. का क्रियान्वयन मंद गति से हुआ क्योंकि अव्ययित निधियाँ 43 प्रतिशत से 96 प्रतिशत के बीच थीं। • कारगिल और लेह जिलों में काफी निधियाँ क्रमश: 50 से 99 प्रतिशत और 26 से 38 प्रतिशत के बीच अव्ययित रहीं।
	एन.पी.एच.सी.ई.	• योजना के मदं क्रियान्वयन का परिणाम उपलब्ध निधियों के अनुपयोग में हुआ जो 41 से 80 प्रतिशत के बीच था। • 2011-12 से 2013-14 के दौरान कारगिल और लेह जिलों में उपलब्ध निधियों का अनुपयोग 31 से 63 प्रतिशत और 30 से 34 प्रतिशत के बीच रहा।
	आई.एम.एस	• अव्ययित अनुदान शेष 10 से 21 प्रतिशत के बीच था।
	प्रतिरक्षण	• 2011-12 से 2013-14 के दौरान बहुत अधिक मात्रा में 29 से 69 प्रतिशत के बीच अव्ययित निधियाँ थीं।
	एफ.पी.एस.पी.आई.पी.	• 2011-12 से 2013-14 के दौरान आर.सी.एच.एफ.पी. के अंतर्गत निधियों का अनुपयोग 17 से 19 प्रतिशत और एम.एफ.पी. के अंतर्गत निधियों का अनुपयोग 31 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच था।
ओडिशा	आई.एम.एस.	• 2011-14 की अवधि के दौरान ₹200.57 करोड़ के आवंटन(आवंटन में राज्य की हिस्सेदारी सहित) के प्रति ₹184.42 करोड़ का उपयोग किया गया। ₹16.15 करोड़ का अव्ययित शेष छोड़ते हुए।

[5] विशाखापत्तनम, गुंटुर एस.पी.एस.आर., नैल्लोर, वारंगल, खम्मम, आदिलागढ़ विजयानंरम

झारखण्ड	आई.एम.एस.	• भा.स. द्वारा 2011-14 के दौरान ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत आई.एम.एस. में ₹83.13 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई जिसमें से राज्य सरकार द्वारा मात्र ₹60.97 करोड़ की राशि आवंटित की गई और सपूंर्ण आवंटित निधि का व्यय 2011-14 के दौरान किया गया। परिणामस्वरूप, राज्य की कार्पस निधि में ₹22.16 करोड़ पड़े थे।
राजस्थान	प्रतिरक्षण	• 2013-14 में भा.स. से ₹13.05 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई जबकि ₹8.95 करोड़ का व्यय किया गया। अत: ₹4.10 करोड़ की बचत थी।

अनुबंध-14

(पैरा सं. 3.8.5 के संदर्भ में: अन्य कमियाँ)

राज्य का नाम	अभियुक्तियाँ
मणिपुर	• 2011-14 के दौरान, एन.आर.एच.एम. के क्रियान्वयन के लिए जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत अवसरंचना रखरखाव योजना (अ.स.र.यो.) के लिए भा.स. ने ₹17.13 करोड़ की राशि निर्मुक्त की। इसमें से ₹16.32 करोड़ की राशि एन.आर.एच.एम. के अन्य निगम/योजना अर्थात प्रतिरक्षण के लिए व्यय की गई। ₹12.12 करोड़ की राशि जिला प्रतिरक्षण अधिकारियों और ₹4.20 करोड़ की राशि प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए जिला परिवार कल्याण बोर्ड, चर्चदिपुर पर खर्च की गई। इसका परिणाम ₹16.32 करोड़ की निधि के विपथन में हुआ। योजना के दिशानिर्देशों के प्रतिकूल निधियों के विपथन के कारणों को रिकार्ड नहीं किया गया। • परिवार कल्याण निदेशालय के अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि सितम्बर 2013 और मार्च 2014 के बीच एन.आर.एच.एम के अंतर्गत आई.एम.एस. के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना की ₹1.94 करोड़ की निधियों को आपूर्तियों की प्राप्ति/देनदारियों के भुगतान के ब्यौरों को दर्शाने वाले उप-वाउचरों को सलंग्न किए बिना 21 पूर्णत: वाउचर आक्स्मिक बिलों (पू.वा.आ.वि.) के माध्यम से आहरित किया गया। इनमें से, मार्च 2014 के दौरान ₹77.95 लाख की राशि नौ पू.वा.आ.वि. के द्वारा बिना पुष्टिकारक बाउचर कार्य के लिए स्टोर की मदों के प्रबंधन, एम.बी., मजदूरी का भुगतान और ए.पी.आर. इत्यादि के निर्माण कार्यों के लिए आहरित की गई। भुगतान को दर्शाने वाला कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था अत: लेखापरीक्षा की तिथि (अगस्त 2014) तक यह राशि आहरण एवं भुगतान अधिकारी के पास अप्रदत रही।

अनुबंध-15

(पैरा सं. 4.5.1.1 के संदर्भ में: कस्तूरबा गाँधी बालिका विघालय की स्थापना में कमियाँ)

राज्य	अभियुक्तियाँ
महाराष्ट्र	• 35 जिलों में से, 10 जिलों में क.गा.बा.वि. प्रारम्भ किए गए और मार्च 2012 के पश्चात कोई नया विद्यालय नहीं खोला गया। 25 जिलों को योजना में शामिल नहीं किया गया।
जम्मू एवं कश्मीर	• योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया जिससे कि उन ब्लॉकों को जिनमें 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता 30 प्रतिशत से कम है योजना के अंर्तगर्त लाया जा सके। तथापि तीन जिलों, जिनकी नमूना जाँच की गई में देखा गया कि उन जिलों के पास 2011 की जनगणनानुसार अ.जा./अ.ज.जा. की आबादी और महिला साक्षरता दर का आधारभूत आकंड़ा उपलब्ध नहीं है। क.गा.बा.वि. 2001 की जनगणना के आकड़ों के आधार पर खोले गए। • 2004-05 से 2010-11 की अवधि के दौरान मा.सं.मं. द्वारा ₹44.23 करोड़ की लागत से राज्य के 20 जिलों में 99 क.गा.बा.वि. के निर्माण की मंजूरी दी गई। ₹11.02 करोड़ (श्रीनगर कार्यालय के बाढ़ प्रभावित होने के कारण कुल निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया) का व्यय करने के पश्चात केवल 13 कार्य पूरे किए गए, 52 कार्य प्रगति पर हैं और 34 कार्य विभिन्न कारणों से प्रारम्भ नहीं किए जा सके (9/2014)। • उन 6 जिलों में, जिनकी नमूना जाँच की गई, 2005-06 से 2010-11 के बीच 31 क.गा.वा.वि. को मंजूरी दी गई, केवल एक विघालय अपने स्वंय के भवन में चलाया जा रहा था और 30 विघालय किराये के भवनों में चलाए जा रहे हैं। इन 31 स्वीकृत विद्यालयों में से 5 जिलों के 19 विद्यालयों में आवास की सुविधा थी जबकि 3 स्कूल (पूँछ) बिना हॉस्टल की सुविधा के चलाए जा रहे है जो कि योजना के दिशा-निर्देशों के विरूद्ध है। • क.गा.बा.वि. दूंगी (जिला राजौरी) का प्रत्यक्ष सर्वेक्षण दर्शाता है कि क.गा.बा.वि. भवन का निर्माण पूर्ण न होने के कारण किसी भी भवन में छात्रों को हॉस्टल व शिक्षा की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। वर्दी उपलब्ध करवाने में भी कमी देखी गई। इसके अतिरिक्त क.गा.क.वि. डूंगी (जिला राजौरी) के अधूरे हॉस्टल भवन को स्थानीय निवासियों द्वारा मवेशियों के शेड के रूप में उपयोग किया जा रहा है। • क.गा.क.वि. (जिला पूँछ को डे बोर्डिंग के रूप में चलाया जा रहा है और कुछ छात्रों को स्कूल आने-जाने के लिए प्रतिदिन 20 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ती है जिससे क.गा.क.वि. की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।
गुजरात	• राज्य के 89 क.गा.बा.वि. में से 21 किराये के निजी भवनों में और पाँच सरकारी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल भवनों/अध्यापकों के कवार्टरस में चलाए जा रहे थे (मार्च 2014)। यघपि भा.स. द्वारा सभी 89 क.गा.बा.वि.[6] के लिए भवनों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी परंतु केवल 21 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर थे और पाँच स्थानों पर वर्क आर्डर जारी किए गए थे (अक्टूबर 2014)। नमूना जाँच वाले जिलों में 20 क.गा.वा.वि. में से पाँच क.गा.बा.वि.[7] किराये के निजी भवनों में चलाए जा रहे थे और दो क.गा.बा.वि.[8] अध्यापकों के क्वार्टरस में चलाए जा रहे थे। चार क.गा.क.वि. के सयुंक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि :- • क.गा.क.वि. संतरामपुर में, जो कि किराये के भवन में चलाया जा रहा था, अवसरंचनात्मक सुविधाँए यथा पृथक पुस्तकालय कक्ष, कम्प्यूटरस, शौचालय, चारदीवारी, क्रीड़ा स्थल, अध्यापन व निवास के लिए पृथक कक्ष इत्यादि उपलब्ध नहीं थी।

[6] 86 क.गा.वा.वि. 2011-12 से पहले और तीन 2012-13 के दौरान

[7] दाहोद-फतेहपुरा व भालोड़, पंचमहल-खानपुर, संतरामपुर और शाहेरा

[8] वलसाड़-धर्मपुर और कापराडा

	• क.गा.बा.वि. खांगेला (दाहोद) और संतरामपुर (पंचमहल) में हॉस्टल के लिए पृथक भवन नहीं थे और इनमें से प्रत्येक विघालय में तीन हॉल हॉस्टल व अध्यापन दोनों के लिए उपयोग किए जा रहे थे। • क.गा.बा.वि. संतरामपुर में 51 छात्रों और सात अध्यापकों के लिए एक स्नानघर व एक शौचालय उपलब्ध कराया गया था। • क.गा.वा.वि. खांगेला को उपलब्ध कराए गये आर.ओ. प्लांट और वाटर कूलर को संस्थाथित व चालू नहीं किया गया था। • क.गा.वा.वि. खांगेला, दाहोद को दिए गए ग्यारह कम्प्यूटर निष्क्रिय पड़े थे और क.गा.वा.वि., कापराड़ा को उपलब्ध कराए गए 11 कम्प्यूटर, अध्यापक व कम्प्यूटर कक्ष में वाइरिगं के अभाव में उपयोग में नहीं लाए गए।

अनुबंध-16

(पैरा सं. 4.5.1.1 (iii) के संदर्भ में *:* आधारभूत सुविधाओं का अभाव)

राज्य	अभियुक्तियाँ
जम्मू एवं कश्मीर	• 3 जिलों (राजौरी, पूँछ और रिआसी) के 6 ब्लॉकों में क्रमश: 405 और 822 विघालयों में आधारभूत सुविधाएँ जैसे सुरक्षित जल, चारदीवारी उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।
गुजरात	• राज्य और जिला प्राधिकारी छात्रों को क्रीड़ास्थल, पुस्तकालय कक्ष और कम्प्यूटर कक्ष की सुविधाएँ प्रदान करने में असफल रहें यघपि इन्हें मार्च 2013 तक उपलब्ध कराया जाना था। सयुंक्त निरीक्षण के दौरान (जून से अगस्त 2014) दाहोद, पचंमहल और वड़ोदरा जिलों के चार विघालयों[9] में पेयजल की सुविधा नहीं थी जबकि जिले के प्राधिकारियों द्वारा यह सूचित किया जा रहा था कि जिले के सभी विघालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध थी। • सयुंक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि आठ विघालयो[10] में चारदीवारी नहीं थी और दो विद्यालयों[11] के टॉयलट ब्लॉक क्षतिग्रस्त व बेकार पाए गए। अत: छात्रों की सुरक्षा और इन विघालयों में समुचित अवसरंचनात्मक सुविधाएँ सुनिश्चित नहीं की गई।

[9] दाहोद-(i) दौलतगंज कुमार शाला (यू पी एस) और (ii) उपला फलिया वर्ग, मेलोनिया (पी.एस.), पंचमहल-पटेल फलिया वर्ग, रिछंवानी (यू.पी.एस.) और वडोदरा- अबांला वर्ग (पी.एस.)

[10] दाहोद-फाटक फलिया वर्ग, जेकोट (पी.एस.), विला डूंगरी (पी.एस.), दौलतगंज कुमार शाला (यू.पी.एस.) पंचमहल-अशिवदा (पी.एस.), दुधाली ना मुवादा (पी.एस.) करेटा (यू.पी.एस.), वलसाड़-जरिया संरपंच कलिया (पी.एस.) और वरोली तलत (यू.पी.एस.)

[11] पंचमहल-चंदपुरी फलिया (पी.एस.), दांतोल और वलसाड़-वरोली तलत (यू.पी.एस.)

अनुबंध-17

(पैरा सं. 4.5.1.1 (iv) के संदर्भ में: स्कूल यूनिफोर्मस का वितरण नहीं किया जाना)

महाराष्ट्र	• **दो[12] चयनित जिलों, एक[13] ब्लॉक और दो विद्यालयों में वर्दियाँ वितरित नहीं की गई।**
छत्तीसगढ़	• 76 विद्यालयों में से कोण्डागाँव जिले के मकड़ी ब्लॉक के दो विद्यालयों और जसपुर जिले के बगीचा ब्लॉक के एक विद्यालय में 2011-12 के दौरान 188 छात्रों को वर्दी का वितरण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि 2011-12 के दौरान 26 विद्यालयों, 2012-13 के दौरान 23 विद्यालयों और 2013-14 के दौरान 20 विद्यालयों में, प्रत्येक विद्यार्थी को, दो वर्दियों के मानदण्ड के विपरीत, वर्दी का एक सैट वितरित किया गया।
झारखण्ड	• स्पेशल फोकस चिल्ड्रन के लिए मुफ्त वर्दी के प्रावधान को एक वर्ष पश्चात् नियमों में शामिल किया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2011-12 के लिए भा.स. द्वारा राज्य को मुफ्त वर्दी के लिए निधियों का निर्मुक्तिकरण नहीं किया गया। • 2012-13 के दौरान वर्दियों के विलंम्बित वितरण के कारण 40 विघालयों में, जिनकी नमूना जाँच की गई, 2011-12 और 2013-14 के दौरान अ.ज.जा. के विधार्थी भी मुफ्त वर्दी से वंचित रहे। • नमूना जाँच वाले क.गा.बा.वि. में आंठवी कक्षा तक के विधार्थियों को 2011-14 की संपूर्ण अवधि के लिए वर्दी का केवल एक सैट प्रदान किया गया।
जम्मू एवं कश्मीर	• 29 और 31 मार्च, 2014 को वर्ष 2013-14 के दौरान विधार्थियों के लिए वर्दियों का प्रावधान करने के लिए सी.ई.ओ. अनंतनाग को ₹2.68 करोड़ की राशि 29 व 31 मार्च 2014 को निर्मुक्त की गई जो खर्च नहीं की जा सकी। सी.ई.ओ. अन्नतंनाग ने बताया कि निधियों को निर्मुक्त किए जाने के एक दिन के अंदर उसका विवेकपूर्वक उपयोग सम्भव नहीं है। 2011-14 की सम्पूर्ण अवधि के दौरान अनतंनाग, लेह और कारगिल के क.गा.बा.वि. में भर्ती बालिकाओं को वर्दियों नहीं दी गई थीं। राजौरी और रिआसी के क.गा.बा.वि. में 2013-14 के दौरान वर्दी का केवल एक सैट जारी किया गया और पुँछ में 2011-14 के दौरान वर्दी के दो सैट के मानदण्ड के विपरीत केवल एक सैट जारी किया गया।
असम	• एस.एस.ए. निधि में से वर्दी के दो सैट, जिसमे शर्ट व पैंट, स्कर्ट आदि शामिल थे, प्रदान किए गए परंतु स्कूल बैग, जूते, जुराबें व टाई नहीं दिए गए।
आंध्र प्रदेश	• सात नमूना जिलों में किसी भी शैक्षणिक सस्थांन में, जिनकी नमूना जाँच की गई थी, विद्यालयों को वर्दी का पूरा सैट नहीं दिया गया। इसके स्थान पर लड़को को पैटं शर्ट और लड़कियों को ड्रैस दी गई।
मध्य प्रदेश	• चयनित दस जिलों में 84 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 49291 विधार्थियों को स्कूलों में नामांकित किया गया जिसमें से 33722 अ.ज.जा. के थे। यह देखा गया कि इस सत्य के बावजूद कि सभी विधार्थियों को मुफ्त वर्दी और पाठ्यपुस्तकें दी गई, 689 विधार्थियों द्वारा बीच में ही स्कूल छोड़ दिया जिनमें से 619 अनुसूचित जनजाति के थें। • दस चयनित जिलों में यह पाया गया कि 2011-14 की अवधि के लिए 84 चयनित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों, नौ क.गा.बा.वि. और छः छात्रा हॉस्टल के सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में दो वर्दी सेटों अर्थात् लड़कियों के लिए सलवार, कुर्ता और लड़कों के लिए पैंट-शर्ट के लिए ₹400 की निर्धारित राशि का अंतरण किया गया था।

[12] धुले और नंदूबार

[13] नवापुर एस.एस.ए. 8 वर्दियों का वितरण

अनुबंध-18

(पैरा सं. 4.5.1.1(v) के संदर्भ में: अ.ज.जा. छात्रों के बहिष्कार के मामले)

राज्य	अभ्युक्तियां
मध्य प्रदेश	• दस चयनित जिलों के 21 ब्लाकों के 84 विद्यालयों, छ: के.जी.बी.बी. तथा छ: बालिका छात्रावासों से प्रस्तुत सूचना के अनुसार, यह पाया गया था कि वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-114 के दौरान क्रमश: 338, 332 तथा 351 नियमित शिक्षकों की तैनाती की गई थी तथा उनमें से क्रमश: केवल 167,158 तथा 160 उन जिलों जहॉ विद्यालय स्थित थे, से बुलाए गए थे। • दीनदोरी ब्लाक के के.जी.बी.वी., शाहपुरा के सिवाय के.जी.बी.बी. तथा बालिका छात्रावासों में किसी नियमित शिक्षिकों को तैनाती नहीं की गई थी।
झारखण्ड	• जनजातीय बच्चों को संवितरित पुस्तकें स्थानीय भाषा (कुरूख, संथाली, हो) में छपी नहीं थीं। • कक्षा 1 से VIII तक के बच्चों के पास केवल 3 से 11 पुस्तकें उपलब्ध थीं परंतु पुस्तकें उनकी मातृभाषा में नहीं थीं। न तो किसी पुस्तक का प्रकाशन और न ही छात्रों को संवितरित पुस्तकें उनकी मातृ भाषा में थी। • 2011-14 के दौरान 167 से 192 के बीच के शिक्षकों में से 8 से 14 के बीच के शिक्षक जिले के बाहर से बुलाए गए थे तथा किसी भी शिक्षक को जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने हेतु कोई विशेष प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।
छत्तीसगढ़	• हमने पाया कि केवल दो जिलों में, तैनात किए गए 100 प्रतिशत शिक्षक उसी जिले के थे जबकि बिलासपुर, में 79 से 81 प्रतिशत बस्तर में, 57 से 73 प्रतिशत जशपुर में, 83 से 86 प्रतिशत रायगढ़ में, 60 से 90 प्रतिशत तथा 60 से 75 प्रतिशत तैनात किए गए शिक्षक उसी जिले के थे। इस प्रकार, स.शि.अ. दिशानिर्देशों में उल्लेखित शिक्षक के रूप में स्थानीय जिलों के देशीय वक्ता की तैनाती के मानदण्डों का अनुपालन नहीं किया गया था। • यद्यपि कक्षा 1 से कक्षा VIII के लिए एक से सात पुस्तकें निर्धारित की गई थीं फिर भी सरकार द्वारा स्थानीय भाषा की कोई पुस्तिका तैयार नहीं की गई थी। नमूना जांच किए गए विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को जनजातीय बोली के ज्ञान सहित जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने हेतु गैर-जनजातीय शिक्षकों को कोई विशेष प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।
गुजरात	• शिक्षकों को उनके मूल जिलों अथवा आस-पास के जिलों में तैनात किया गया है जिससे वह स्थानीय भाषा/बोली से अच्छी तरह अवगत हो। शिक्षकों को स्थानीय भाषा/बोली हेतु कोई विशेष प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।
असम	• 2011-14 के दौरान, विद्यालयों के 106 नियमित शिक्षकों में से 63 शिक्षकों (59.43 प्रतिशत) शिक्षक कर्बी अंगलोंग जिले के बाहर से बुलाए गए थे। जिले के बाहर के सभी शिक्षकों को स्थानीय बोली के ज्ञान सहित जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने हेतु कोई विशेष प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। चयनित विद्यालयों के प्रत्यक्ष सत्यापन में यह पाया गया था कि नमूना जांच की गई कक्षाओं V तथा VI के छात्रों हेतु निर्धारित पांच पुस्तकों में से केवल एक पुस्तक स्थानीय भाषा (कर्बी) में थी।
महाराष्ट्र	• दो चयनित जिलों में चार[14] चयनित ब्लाकों में उन्नीस विद्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि 371 शिक्षकों में से 43 शिक्षक मूल निवासी थे तथा शेष अन्य जिलों से थे। किसी भी शिक्षक को जनजातीय क्षेत्र में कार्य करने हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

[14] नवापुर,शाहादा,सकरी तथा शिरपुर

जम्मू एवं कश्मीर	• 2011-14 के दौरान न तो पाठ्यक्रम तथा पुस्तिका में स्थानीय भाषा को शामिल किया गया था और न ही जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने हेतु शिक्षकों को कोई प्रशिक्षण प्रदान किया गया था • इस प्रकार, समुदाय में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके स्थानीय भाषाओं में शैक्षणिक सामग्रियों की अनुपलब्धता तथा जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने हेतु गैर-जनजातीय शिक्षकों हेतु विशेष प्रशिक्षण, जैसा दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है, के प्रयासों की कमी के कारण उनकी अध्ययन सामग्री के माध्यम से सामजिक तथा सांस्कृतिक सहायता छात्रों को प्रदान नहीं की जा सकी।

अनुबंध-19

(पैरा सं. 4.5.1.1(vi) के संदर्भ में *:* शिक्षको की कमी)

राज्य	अभ्युक्तियां
छत्तीसगढ़	• भा.स. द्वारा शिक्षकों के 253453 पद संस्वीकृत किए गए थे। यह पाया गया था कि 2013-14 के दौरान केवल 190920 पद (75 प्रतिशत) भरे गए थे तथा शेष 62533 पद (25 प्रतिशत) रिक्त थे। एक विश्लेषण ने आगे प्रकट किया कि: • प्राथमिक विद्यालय शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद में रिक्तताएं 19 से 34 प्रतिशत के बीच थी। • उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के पद में 68 प्रतिशत रिक्तताएं थीं।
गुजरात	• राज्य में 43,176 विद्यालयों में से, 5,698 छात्रों वाले 64 विद्यालय किसी भी शिक्षक के बिना चलाए जा रहे थे जबकि 874 विद्यालयों को सितंबर 2014 तक राज्य में एक शिक्षक के साथ चलाया जा रहा था। नमूना जांच किए गए जिलों में, 7301 विद्यालयों में से 153 विद्यालयों में मार्च 2014 तक केवल एक शिक्षक था जबकि तीन विद्यालयों (वलसाड़ जिला) में 156 अ.ज.जा. छात्र थे तथा कोई शिक्षक नहीं था।
असम	• कर्बी अंगलोंग जिले में छात्र-शिक्षक अनुपात 22:1 था जो 40:1 के निर्धारित अनुपात की तुलना में अधिक था तथा विद्यालयों में शिक्षको की तैनाती आवश्यकता आधारित नहीं थी। 2013-14 के दौरान, आठ नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से तीन में, एक से तीन शिक्षक आर.टी.ई. अधिनियम 2009 में निर्धारित मापदण्डों से अधिक थे। जबकि तीन विद्यालयों में एक से चार शिक्षक आवश्यकता से कम थे। शिक्षकों की अनियमित तैनाती के कारण उन विद्यालयों के छात्र जहाँ शिक्षक आवश्यकता से कम थे, गुणवत्ता शिक्षा से वंचित थे।

अनुबंध-20

(पैरा सं. 4.5.1.2(ii) के संदर्भ में : रसोईघर सह भण्डार का अभाव)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	अभ्युक्तियां
1.	अण्डमान एंव निकोबार	• निकोबार एंव दक्षिण अण्डमान जिले में खाना अस्वच्छ अस्थायी रसोईघर तथा खुले स्थान में पकाया गया था। • रसोई घर उपकरणों के प्रापण हेतु भा.स. द्वारा संस्वीकृत 0.70 लाख की ज.जा.उ.यो. राशि का गैर-जनजातीय क्षेत्रो में विद्यालयों हेतु उपयोग किया गया था। • दोपहर का भोजन प्रदान करने हेतु कोई भोजन खाने का स्थान नहीं था तथा छात्रों को प्लास्टिक के लंच बाक्स में भोजन लेते पाया गया।
2.	मध्य प्रदेश	• 84 चयनित विद्यालयों में से 30 में रसोई घर सह भण्डार उपलब्ध नहीं था। • 6 विद्यालयों में पेय जल उपलब्ध नहीं था। • 56 विद्यालयों में बर्तन उपलब्ध नहीं थे।
3.	गुजरात	• नमूना जांच किए गए जिलों में 125 इकाईयों में रसोई घर सह भण्डार उपलब्ध नहीं था। • 1922 जनजातीय जिला विद्यालयों में से 533 बिना रसोईघर सह भण्डार के थे। • 1389 कच्चे रसोई घर शैड वाले थे। • नमूना जांच किए गए जिले में ₹4.36 करोड़ का उपयोग रसोईघर उपकरणों के प्रापण के लिए नहीं किया गया था।
4.	असम	• 8 चयनित जिलों में से 6 में 68 चयनित विद्यालयों में से 64 विद्यालयों ने 16 विद्यालयों में रसोई घर-सह-भण्डार न होना प्रकट किया। • भोजन को अस्वस्छ स्थिति में कक्षा/खुले स्थान में पकाया गया था।
5.	पश्चिम बंगाल	• 6 नमूना जांच किए गए जिलों में 88 विद्यालयों में से 44 विद्यालयों की स्थिति काफी खराब थी अर्थात् 6 विद्यालयों में रसोई घर सह भण्डार नहीं था तथा 2 में पक्का रसोई घर नहीं था। • 23 विद्यालयों ने पिछले 3 वर्षों के दौरान रसोई घर उपकरण प्राप्त नहीं किए थे। • 14 विद्यालयों में पर्याप्त जल व्यवस्था नहीं थीं।
6.	दमन एंव दीव	• दमन के 2 विद्यालयों में अलग रसोई घर अथवा पर्याप्त जल नहीं था।
7.	तमिलनाडु	• चयनित 9 जिलों में, 4690 रसोई घर सहभण्डार में से केवल 122 (2.60%) को पूरा किया गया था तथा 634 केन्द्रों में निर्माण कार्य प्रगति में था तथा ₹115.38 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया है।
8.	राजस्थान	• 10 चयनित जिलो में, 8482 विद्यालय बिना रसोईघर सह भण्डार के थे। • दूगंरपूर के सिवाय 9 चयनित जिलों (अलवर, बासंवारा, डोंसा, जयपुर, करौली, प्रतापगढ़, सवई मधोपूर, सिरोही तथा उदयपुर में रसोई घर उपकरण काफी कम संख्या में उपलब्ध थे। • 3 जिलों (अलवर, प्रतापगढ़, जयपुर) में रसोई गैस उपकरण उपलब्ध नहीं थे।
9.	सिक्किम	• 2 विद्यालयों में रसोईघर विद्यालयों से अलग नहीं थे।
10.	मणिपुर	• भोजन पकाने के लिए कोई रसोईघर शैड नहीं पाए गए थे। • भोजन कक्षा, विद्यालय के पास सामुदायिक हाल अथवा खुले स्थानों जैसे अस्थायी प्रबंधनों में पकाया गया था।

अनुबंध-21

(पैरा सं. 4.5.1.2(iv) के संदर्भ में : खाद्य अनाज का कुप्रबंधन)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1	**छत्तीसगढ़**	• नमूना जांच किए गए विद्यालयों में 2011-12 से 2013-14 के दौरान 4948 से 5361 छात्रों के लिए 141718 कि.ग्रा. से 156844.1 कि.ग्रा. के बीच अपेक्षित खाद्य अनाज के प्रति केवल 105938.7 कि.ग्रा. से 124694.2 कि.ग्रा. खाद्य अनाज का आवंटन किया गया था।
2	**असम**	• योजना स्तर पर म.भो. प्रदान करने में कमी 41 दिनो से 53 दिनो के बीच थी। • आठ चयनित जिलों में से चार में खाद्य अनाज वास्तविक आवश्यकता से 5.36 प्रतिशत से 29.82 प्रतिशत तक कम आबंटित किया गया था तथा उसका भी पूरा उपयोग नहीं किया गया था। • ₹13.84 से ₹653.61 लाख का रसोई खर्च बिना उपयोग शेष रहा। • कुल ₹57.23 लाख की भोजन पकाने की राशि को प्रधान सचिव, बी.टी.सी., कोकराझार द्वारा 2012-13 से अगस्त 2014 तक बिना उपयोग किए रखा गया था। • 2013-14 के दौरान, 59 (68 में से) चयनित विद्यालयों में यह पाया गया था कि पकाया गया भोजन पी.ए.बी. द्वारा स्वीकृत विद्यालय दिवसों से कम प्रदान किया गया था। म.भो. प्रदान करने में कमी 01 दिन से 197 दिनों के बीच थी।
3	आन्ध्र प्रदेश	• अपेक्षित खाद्य अनाज, आंबटित खाद्य अनाज, अपेक्षित भोजन पकाने की लागत, आंबटित भोजन पकाने की लागत आदि से सबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।
4	**राजस्थान**	• एक विद्यालय में निधियां प्रदान न किए जाने के कारण छात्रो को म.भो. प्रदान नहीं किया गया था। • करौली जिलों के 35 से 53 के बीच छात्रों वाले दो विद्यालयों में 2011-12 से 2013-14 के दौरान म.भो. नियमित रूप से प्रदान नहीं किया गया था।
5	पश्चिम बंगाल	• एक वर्ष में 230 दिनों के लिए म.भो. प्रदान करने के अनुबंध के प्रति यह देखा गया था कि 88 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 74 (84 प्रतिशत) 2011-14 के दौरान इस अनुबंध की अनुपालना नहीं कर सके थे। • इन 33 विद्यालयों, जिन्होंने 200 से 229 दिनों तक म.भो. प्रदान किया था, में से 30 ने 150 से 199 दिनों 9 में 100 से 149 दिनों तथा 2 विद्यालयों ने 100 दिनों से कम तक म.भो. प्रदान किया था।
6	त्रिपूरा	• 28 नमूना जांच किए गए में से 25 विद्यालयों को 2011-12 के दौरान चावल की अपेक्षित प्रमात्रा आबंटित नहीं की गई थी जबकि 2012-13 के दौरान 21 विद्यालयों तथा 2013-14 के दौरान 24 विद्यालयों में पर्याप्त प्रमात्रा का गैर-आबंटन पाया गया था। 2011-12, 2012-13 एंव 2013-14 के दौरान चावल आबंटन क्रमश: 51, 72 एंव 66% था। • पश्चिम त्रिपूरा जिले में जीरीनिया ब्लॉक के अंतर्गत बलराम ठाकर पारा एस.बी. विद्यालय में जनवरी 2011 से फरवरी 2013 तक 26 महीनों के लिए चावल का निरन्तर (ऋणात्मक) शेष था। • नमूना जांच किए गए विद्यालयों में नकारात्मक शेष की मौजूदगी 1 महीने से 15 महीनों के बीच थी तथा चावल की बकाया प्रमात्रा 121 कि.ग्रा. से 1084 कि.ग्रा. के बीच थी। • विद्यालयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार भोजन पकाने की लागत भी प्रदान नहीं की गई थी। • पश्चिम त्रिपुरा जिले में बिसालगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत पेकूजीला हाई स्कूल ने अक्टूबर 2011 से मार्च 2014 तक लगातार 30 महीनों तक अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन पकाने की लागत प्राप्त नहीं की थी तथा नकारात्मक शेष ₹43,323 (मार्च 2014) तक बढ़ा। • 28 नमूना जांच किए गए में से 19 विद्यालयों को 2011-12 के दौरान भोजन पकाने की कम लागत मिली जबकि 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान आंकड़ा क्रमश: 20 तथा 18 था।

अनुबंध-22

(पैरा सं. 4.5.1.3(i) के संदर्भ में : अनुचित अवसंरचना)

राज्य	अभ्युक्तियां
मध्य प्रदेश	• विद्यालय में अवसंरचना की मूल आवश्यकता का निर्धारण 2009-10 में किया गया था परंतु 10 चयनित जिलों में 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान संस्वीकृत निर्माण कार्य उपरोक्त निर्धारण के अनुसार नहीं था। 15 निर्माण कार्य उन 15 विद्यालयों हेतु संस्वीकृत किए गए थे जहां सुविधाएं पहले से उपलब्ध थीं। तथापि, राज्य में 989 विद्यालय ऐसी सुविधाओं अर्थात, पुस्तकालय, विज्ञान पुस्तकालय, गतिविधि कक्ष, शौचालयों, पेय जल के बिना चलाए जा रहे थे।
असम	• 33 चयनित विद्यालयों में से 32 विद्यालय बड़े पैमाने पर त्रूटिपूर्ण अवसंरचना के साथ कार्य कर रहे थे तथा इसलिए उन विद्यालयों के छात्र आसानी से शिक्षा प्रदान करने हेतु अपेक्षित उपयुक्त सुविधाओं से वंचित रहे। • 8 जिलों में 309 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, शौचालय तथा पेयजल प्रदान करने हेतु ₹79.88 करोड़ की लागत का निर्माण कार्य, कार्य आदेशों को जारी करने से 6 से 19 महीनों के बीत जाने के पश्चात भी अपूर्ण रहा।
राजस्थान	• वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 हेतु संस्वीकृत क्रमश: 65 (951 मे से) तथा 2392 सिविल कार्य को 17 से 28 महीनों के बीत जाने के पश्चात भी प्रारम्भ नहीं किया गया था (मार्च 2014) तथा 2010-11 (2011-12 में संस्वीकृत) के 388 विद्यालयों (951 में से) का सिविल कार्य मार्च 2014 तक अपूर्ण पड़ा था। • 17 से 28 महीनो के बीत जाने के पश्चात भी विद्यालय के सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य के गैर-निष्पादन के कारण छात्र अपेक्षित सुविधाओं से वंचित थे।
त्रिपूरा	• चयनित 14 विद्यालयों में से 12 विद्यालयों में विज्ञान पुस्तकालाएं, विज्ञान प्रयोगशाला, गणित तथा कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं प्रदान नहीं की गई थीं। केवल ब्लैक बोर्ड तथा फर्नीचर जैसी अवसरंचना सुविधाएं इन विद्यालयों को आर.एम.एस.ए. निधियों के अंतर्गत प्रदान की गई थी।
कर्नाटक	• वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान राज्य आर.एम.एस. द्वारा संस्वीकृत कुल 2123 सिविल कार्य को 2013-14 के दौरान प्रारम्भ किया गया था। सितंबर 2014 तक कोई कार्य समाप्त नहीं किया गया है। • एक विद्यालय[15] की नमूना जांच ने प्रकट किया कि सिविल कार्य जनवरी 2014 में आरम्भ किया गया था तथा भूमि की खुदाई का काम केवल पांच दिनों के लिए प्रारम्भ किया गया था तथा आगे कोई कार्यक्रम नहीं था।
ज.एंव क.	• चयनित छ: जिलों में कुल 445 माध्यमिक विद्यालयों में से 377, 380, 412, 242 तथा 435 विद्यालय क्रमश: पुस्तकालय, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, समेकित प्रयोगशाला कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष तथा बालिका गतिविधि कक्षों के बिना चल रहे थे। • इसी प्रकार, चयनित छ: जिलों में कुल 157 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से 88,108,107,66 तथा 157 विद्यालय क्रमश: पुस्तकालय, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, समेकित प्रयोगशाला कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष तथा बालिका गतिविधि कक्षों के बिना चल रहे थे। विद्यालयों को अवसरंचना प्रदान करने में कमी इस सबंध में निधियों की अप्राप्ति के कारण थी।
तमिलनाडु	• 2010-11 में, भा.स. ने 5893 सिविल निर्माण कार्यो नामत: नई विद्यालय इमारत का निर्माण, विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, शिक्षको के मकान आदि को संस्वीकृत किया है। • 1752 निर्माण कार्यों (अतिरिक्त कक्षाएं तथा विज्ञान प्रयोगशाला) के प्रति लो.नि.वि. ने केवल 763 निर्माण कार्य प्रारम्भ किए है तथा शेष 989 निर्माण कार्यों को आज तक (मई 2014) अभी भी प्रारम्भ किया जाना है। • चयनित नौ जिलों में, 948 निर्माण कार्यों की संस्वीकृति के प्रति 494 विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रारम्भ किए गए थे तथा 454 विद्यालयों में निर्माण कार्य अभी भी प्रारम्भ किए जाने थे।

[15] जी.एच.एस., बेनछीनमर्दी (कोलावी), गोकाक

	• 344 नई विद्यालय ईमारतों के निर्माण का कार्य अभी भी तिथि तक प्रारम्भ किया जाना था। जिसमें में 126 नई विद्यालय ईमारतों का नौ चयनित जिलों में निर्माण किया जाना था।
गुजरात	• पी.ए.बी. ने प्रत्येक गणित तथा विज्ञान प्रयोगशाला किटों के 644 सेटों (प्रत्येक में 10 किटे शामिल है) के प्रापण हेतु ₹1.93 करोड़ की राशि स्वीकृत (2013-14) की जिसमें नमूना जांच किए गए जिलों हेतु 127 सेट शामिल थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विज्ञान प्रयोगशाला किटों का प्रापण तथा विद्यालयों में इसका संवितरण नहीं किया गया था। • लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 326 विद्यालयों में से केवल 100 विद्यालयों (मार्च 2014) का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था जबकि शेष 226 विद्यालयों का निर्माण विभिन्न घटको अर्थात् भूमि की अनुपलब्धता (25 विद्यालय), अपर्याप्त निधि (एक विद्यालय), लंबित भूमि मैपिंग (एक विद्यालय), ड्राफ्ट निविदा दस्तावेजों को तैयार करने में विलम्ब (66 विद्यालय), अभिकरण निर्धारित की गई परंतु कार्य प्रारम्भ न करने (111 विद्यालय) तथा कार्य आदेश जारी न करने (19 विद्यालय) के कारण प्रारम्भ नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि खोले गए चार विद्यालयों (2011-12) को छात्रों की अनुपलब्धता के कारण 2013-14 में बंद कर दिया गया था। इसने योजना की कमी को विद्यालयों की स्थापना आवश्यकता का निर्धारण किए बिना की गई थी तथा निर्माण कार्य हेतु कार्यान्वयन अभिकरण को अंतिम रूप देने में विलम्ब को दर्शाया जिसने विद्यालयों के छात्रों को उपयुक्त अवसरंचनात्मक सुविधा से वंचित किया।

अनुबंध-23

(पैरा सं. 4.5.1.3(ii) के संदर्भ में : सामुदायिक संघटन एवं अभिनव हस्तक्षेप)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्ति
1.	मध्य प्रदेश	• 10 जिलो के 20 विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान नही किए गए थे।
2.	असम	• 8 नमूना जांच किए गए जिलों में भा.स. से निधि प्राप्त नहीं की गई थी।
3.	ओडिशा	• विद्यालय स्तरों पर कोई सामुदायिक संघटन कार्य प्रारम्भ नहीं किए गए थे क्योंकि ऐसे कार्य प्रारम्भ करने के समर्थन में कोई अभिलेख तथा दस्तावेज 33 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में उपलब्ध नहीं थे।
4.	तमिलनाडु	9 चयनित जिलों में, डी.पी.सी. द्वारा कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किए गए थे।
5.	जम्मू एवं कश्मीर	मुफ्त पुस्तके, कार्य पुस्तिका एंव स्टेशनरी मद, यूनिफार्म/जूते; साईकल/व्यील चेयर आवास एवं भोजन हेतु प्रभार, छात्रों हेतु वजीफा आदि जैसे प्रोत्साहन 2011-14 के दौरान राज्य में अ.ज.जा. छात्रों को प्रदान नहीं किए गए थे।
6.	बिहार	• 10 नमूना जांच किए गए जिलों के 63 विद्यालयों में पुस्तकें, कार्यपुस्तिकाएँ तथा लेखनसामग्रियां 11923 अ.ज.जा. छात्रों सहित किसी भी छात्र को प्रदान नहीं की गई थी। • 3 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में 211 अ.ज.जा. बालिका छात्रों को यूनिफार्म प्रदान नहीं की गई थीं। • दो नमूना जांच किए गए विद्यालयों में 198 अ.ज.जा. छात्रों में से 27 अ.ज.जा. छात्रो को निधियों की अनुपलब्धता के कारण साईकले प्रदान नहीं की गई थीं। • 63 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 7 ने साईकल की खरीद के लिए 349 अ.ज.जा. छात्रों को धन के संवितरण का दावा किया परंतु खरीद के समर्थन में बाउचर उपलब्ध नहीं थे। • 10 नमूना जांच किए गए जिलों में 63 विद्यालयों के 11923 अ.ज.जा. छात्रों सहित किसी भी छात्र को आवास एवं भोजन प्रभार प्रदान नही किए गए थे। • 51 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में भर्ती 3511 अ.ज.जा. छात्रों को निधियों की अनुपलब्धता एंव प्रशासनिक कारणों के कारण वजीफा प्रदान नहीं किया गया था।
7.	महाराष्ट्र	• महाराष्ट्र सरकार ने 2011-12 तथा 2013-14 के दौरान अ.ज.जा. छात्रों को जूते, यूनिफार्म, साईकल, भोजन एवं आवास अथवा वजीफा जैसे प्रत्याशित लाभ प्रदान नहीं किए गए थे। 2012-13 के दौरान, केवल 31 प्रतिशत छात्रों को पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं तथा लेखनसामग्री प्रदान की गई थीं परंतु जूते, यूनिफार्म, साईकल, भोजन एंव आवास अथवा वजीफा जैसे अन्य लाभ प्रदान नहीं किए गए थे।
8.	आन्ध्र प्रदेश	• सात नमूना जिलों में, अ.ज.जा. छात्रों को पुस्तके, कार्यपुस्तिकाएं, लेखन सामग्रियां, यूनिफार्म, जूते तथा साईकल/व्यील चेयर प्रदान नहीं की गई थीं। सात नमूना जिलों में किसी भी नमूना जांच किए गए शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रहे अनावासी अ.ज.जा. छात्रों को आवास एवं भोजन प्रभार अदा नहीं किए गए थे।
9.	राजस्थान	• आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत 20 चयनित विद्यालयों में भर्ती अ.ज.जा. छात्रों को कोई पुस्तके, कार्य पुस्तिका, लेखन सामग्री, यूनिफार्म, जूते आदि प्रदान नहीं किए गए थे।
10.	छत्तीसगढ़	• 94 से 98 प्रतिशत अ.ज.जा. छात्रों को वजीफा दिया गया था। • 22 से 35 प्रतिशत अ.ज.जा. छात्रों को साईकल/व्यील चेयर का संवितरण किया गया था। • किसी भी अ.ज.जा. छात्र को कोई यूनिफार्म तथा आवास एवं भोजन के प्रभार प्रदान नहीं किए गए थे। • छात्रो को साईकल तथा व्यील चेयर की सुविधा आंशिक रूप से प्रदान की गई थी।
11.	झारखण्ड	• 32120 अ.ज.जा. छात्र बिना किसी वस्तुओं/सुविधाओं के भर्ती किए गए थे।
12.	मणिपुर	• राज्य मिशन द्वारा अ.जा.जा. छात्रों को कोई साधन सहयोग नहीं था।

अनुबंध-24

(पैरा सं. 4.5.1.5(iii) के संदर्भ में : अवसरंचना का विकास न होना)

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1	पश्चिम बंगाल	• हमने छ: चयनित जिलो में 12 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की नमूना जांच की। इन प्रत्येक विद्यालयों ने 10 कम्प्यूटर प्राप्त किए थे। इन 120 कम्प्यूटरों में से, दो जिलों में चार विद्यालयों में कोई कम्प्यूटर नहीं था जैसा नीचे दर्शाया गया है: o बर्धवान में दो विद्यालयों [16] में, दिसंबर 2012 में आपूर्ति किए गए तथा जनवरी 2013 में चालू किए गए 19 कम्प्यूटरों तथा परिधीय जून 2013 तथा जून 2014 के बीच चोरी हो गए थे। o जलपाईगुड़ी में दो विद्यालयों में 20 कम्प्यूटरों की सितंबर 2012 में आपूर्ति की गई थीं तथा बाद में मार्च 2014 में उप-ठेकेदार द्वारा उन विद्यालयों से वापस ले लिया गया था क्योंकि अभिकरण (डब्ल्यू.आई.एल.) ने विलम्ब तथा गैर-निष्पादन के आधार पर अपने उप-ठेकेदारों के साथ संविदा को रद् कर दिया था। • 80 शेष कम्प्यूटरों में से, तीन चयनित जिलों[17] में पांच विद्यालयों में 25 (31 प्रतिशत) खराब थे (जून से सितंबर 2014 तक)। • पश्चिम मिदनापूर में, एक विद्यालय में कम्प्यूटरों को जून 2014 में लगाया गया था तथा कक्षाए लेखापरीक्षा के समय (17 जून 2014) अभी भी प्रारम्भ करनी थीं।
2	त्रिपुरा	• नमूना जांच किए विद्यालयों में, प्रिंटरो, यू.पी.एस. तथा कुर्सी एवं टेबल सहित केवल 8 से 10 कम्प्यूटर प्रदान किए गए थे। अवसरंचना सुविधाओं की संस्थापना की विभाग द्वारा बाहरी अभिकरणों की नियुक्ति करके जांच की जानी थी परंतु यह नहीं किया गया था। किसी भी नमूना जांच किए गए विद्यालय में विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा इंटरनेट संयोजकता स्थापित नहीं की गई थी। भुगतान की स्थिति की एस.सी.ई.आर.टी., त्रिपूरा द्वारा अभिलेखो के गैर प्रस्तुतीकरण के कारण जांच नहीं की जा सकी थी। इस प्रकार, क्या अभिकरण को विद्यालयों हेतु अपेक्षित अवसरंचना सुविधा की सस्थांपना के बिना पूर्ण भुगतान प्राप्त हुआ था, भी सत्यापित नही किया जा सकता था।
	कर्नाटक	• 16 नमूना जांच किए गए सरकारी उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों में से योजना को स्वंय की ईमारत की मांग के कारण 3 विद्यालयों [18] में कार्यान्वित नहीं किया गया था शेष 13 विद्यालयों में योजना को विभिन्न चरणों में कार्यान्वित किया गया था। • संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन ने प्रकट किया कि केवल तीन विद्यालयों [19] में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की गई थी। अन्य 10 विधालयो[20] में मॉनीटर की गैर-आपूर्ति के कारण छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकी थी।
3	राजस्थान	• सेवा प्रदात्ता फर्म द्वारा 23 सितंबर 2010 को सरकारी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, जयसिंहपुरा ब्लाक संगानेर, जयपुर को 10 कम्प्यूटर आदि प्रदान किए गए थे। कम्प्यूटरों की संस्थापना के पश्चात फरवरी 2014 की समाप्ति तक सकांय की नियुक्ति नहीं की गई थी। इसलिए, छात्र आई.सी.टी. परियोजना से वंचित थे। • बाद में प्रदत्त सूचना की संवीक्षा में यह पाया गया था कि सरकारी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय , इंदरगढ़, ब्लाक जामवा रामगढ़, जयपुर से 6 मार्च 2012 को 10 कम्प्यूटर तथा

[16] मोसग्राम हाई स्कूल तथा नूदीपुर भूपेन्द्र स्मृति विघामंदीर

[17] द्रार्जिलिंग: दो विघालयों में सात कम्प्यूटर प्रत्येक, पश्चिम मिदनापूर: एक विघालय में पांच कम्प्यूटर तथा बॉकुर: दो विघालयों में चार कम्प्यूटर।

[18] जी.एच.एस., साम्ब्रा (बेलगांव), जी.एच.एस.एस. वेनेहनमर्दी (गोकाक), जी.एच.एस. अगासनकालू (चित्रदुर्ग)

[19] जी.एस.एस., कासीपूर (दिवांगिरी), जी.एस.एस. मस्तूर (रायचूर)

[20] जी.सी.एच.एस. क्याथासंदरा. डब्ल्यू-34 (तूमकूर), जी.एच.एस. राजोला (बिदर), जी.जे.सी., गोपालन (दिवांगिरी), ए.बी.एस. सरकार प्री विश्वविघालय महाविघालय (अनेकला), (बैंगलोर शहरी), जी.एच.एस., बालिका, मल्लेश्वरम (बैंगलोर शहरी), जी.एच.एस. सी.एस.पूरा, रामदुर्ग (बिलारी), जी.यू.पी. कम्पोसिट महाविघालय, थाकूला (चित्रदुर्ग), जी.जे.एस. बाईफ्रोकेटिड महाराजा (मैसूर), सरकारी पी.यू विश्वविधालय, बालक मानवी (रायचूर), जी.जे.सी. पावगढ़ (तूमकूर)

		तीन सी.पी.यू. चुरा लिए गए थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने 6 मार्च 2012 को पुलिस थाना, जामवा रामगढ़, जयपूर में कम्प्यूटर आदि की चोरी की एफ.आई.आर. दर्ज की। इस मामले की जांच के पश्चात् एस.एच.ओ. पुलिस थाना, जामवा रामगढ़, जयपूर ने 27 जून 2012 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इस प्रकार सेवा प्रदत्ता फर्म कम्प्यूटरों की पुन: संस्थापना हेतु उत्तरदायी थी परंतु फर्म द्वारा उनकी संस्थापना नहीं की गई थीं। इस प्रकार स.उ.मा.वि. रामगढ़ के छात्र आई.सी.टी. परियोजना के लाभ से वंचित थे।
4	असम	• 12 विद्यालयों से, जहाँ आई.सी.टी. योजना कार्यान्वित की गई थी, में से पांच में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किए गए 26 कम्प्यूटर मरम्मत/वापसी की मांग के कारण दो से 36 महीनों के बीच की अवधियों तक गैर-क्रियात्मक रहे। • 12 विद्यालयों जहाँ आई.सी.टी. योजना कार्यान्वित की गई थी, में से तीन में बिजली कनेक्शन उपलब्ध नही था। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा आठ विद्यालयों को आवर्ती व्यय के रूप में 1000/- प्रति माह की दर बिजली प्रभार प्रदान नहीं किया गया था। एक विद्यालय के सबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी। • 12 विद्यालयों , जहां आई.सी.टी. योजना कार्यान्वित की गई थी में से चार में वैकल्पिक पॉवर बैकअप के रूप जनरेटर प्रदान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यघपि जनरेटर प्रदान किया गया था परंतु 1000 प्रति माह की दर पर जनरेटर हेतु डिजल/मिट्टी के तेल पर व्यय हेतु आवर्ती व्यय कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा किसी भी विद्यालय को प्रदान नहीं किया गया था. इसके अतिरिक्त, रसोई गैस से चलने वाला जनरेटर की आठ विद्यालयों में से एक में आपूर्ति की गई थी। परंतु विद्यालय रसोई गैस का उपभोक्ता नहीं था जिसके परिणाम स्वरूप जनरेटर फरवरी 2010 से व्यर्थ पड़ा था। • 12 विद्यालयों, जहाँ आई.सी.टी. योजना कार्यन्वित थी, में से नौ में इंटरनेट सुविधा की कमी थी। तीन विद्यालयों, जहाँ इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई थी, में से एक में इसे गैर-क्रियात्मक स्थिति में पाया गया था। इसके अतिरिक्त 10,000/- प्रति वर्ष की दर पर इंटरनेट/ब्राडबैण्ड प्रभार तीन विद्यालयों, जहाँ इटंरनेट सुविधा उपलब्ध थी, को प्रदान नहीं किए गए थे। इस प्रकार, आई.सी.टी. का लाभ चयनित जिले/विद्यालयों तक नहीं पहुंच सका।

अनुबंध-25

(पैरा सं. 4.5.1.5(iv) के संदर्भ में : आधिष्ठापन तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान न करना)

क्र.सं.	राज्य का नाम	चयनित जिलों की सं.	चयनित विद्यालयों की सं.	प्रशिक्षण प्रदान किया गया हाँ या नहीं में		अन्य अभ्युक्तियां
				अधिष्ठापन	पुनश्चर्या	
1	त्रिपुरा	-	-	नहीं	नहीं	• किसी समर्पित शिक्षका की नियुक्ति नहीं की गई। • आई.सी.टी. सुविधाओं का व्यर्थ होना।
2	केरल,	4	9	-	-	• छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। • समर्पित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई।
3	पश्चिम बंगाल	3 3	12 -	हां नहीं	नहीं नही	• अतंर थे जिसने 3747 अ.ज.जा. छात्रों को प्रभावित किया।
4	महाराष्ट्र	10	16 में से 15	नहीं	नहीं	-
5	असम	-	12 में से 11			
6	राजस्थान	4	8	नहीं	नहीं	• तीन जिलों अर्थात् दुगंरपूर, प्रतापगढ़ तथा सिरोही में 2011-12 तथा 2013-14 के दौरान प्रत्येक जिले के चयनित विद्यालय में एक अ.ज.जा. छात्र को प्रशिक्षित किया गया था। इन जिलों के अन्य विद्यालयों में कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

अनुबंध-26

(पैरा सं. 4.5.2.1(iv) के संदर्भ में : प्रशिक्षण कार्यकलाप में कमी)

राज्य का नाम	अभ्युक्तियां
मध्य प्रदेश	• चयनित सभी तीनों जिलों में प्रशिक्षण पहलू को पूर्णत: अनदेखा किया गया था।
झारखण्ड	• रांची जिले में ओनकोलोजिस्ट की नियुक्ति न करने के कारण एन.पी.सी.डी.सी.एस. से संबंधित कोई गतिविधि नहीं पाई गई थी। • चयनित चार[21] सी.एस.सी. में पर्याप्त स्थान तथा चिकित्सीय एवं पैरा चिकित्सीय स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण कोई कार्यकलाप प्रदान नहीं किए गए थे।
सिक्किम	• राज्य में प्रशिक्षण संस्थान के अभाव के कारण, पांच मुख्य प्रशिक्षकों के सेवा पूल का विभाग द्वारा जिला तथा पी.एच.सी./पी.एच.सी. स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उपयोग नहीं किया जा सका था। • राज्य एन.सी.डी. कक्ष में प्रशिक्षार्थी की प्रत्येक श्रेणी को किसी प्रशिक्षण किटों का संवितरण नहीं किया गया था।
महाराष्ट्र	• हालांकि मुख्य प्रशिक्षको का पूल राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं था। • चन्द्रापुर तथा गदाचिरौली जिले में चिकित्सा स्टाफ को एन.सी.डी. प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।
आन्ध्र प्रदेश	• नमूना जिलों में, प्रशिक्षण चिकित्सा अथवा पैरा चिकित्सा व्यावसायिकों द्वारा प्रदान की जानी थी परंतु केवल 475 ए.एन.एम. को प्रशिक्षित किया गया था।
असम	• फिजियोथेरेपिस्ट का पद सभी पांच एन.सी.डी. जिलों में रिक्त रहा। • लखिमपुर जिले में, उपशामक तथा पुनर्वास देखभाल प्रदान करने हेतु नर्सों के प्रशिक्षित करने की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी।
जम्मू एवं कश्मीर	• नमूना जांच किए गए जिलों (कारगील तथा लेह) में किसी भी चिकित्सा तथा पैरा चिकित्सा व्यावसायकों को 2011-12 से 2013-14 के प्रशिक्षित नहीं किया गया था। • 19 संस्वीकृत एन.सी.डी. क्लीनिकों में से केवल 7 क्लीनिक क्रियात्मक थीं (डोडा में 3, लेह में 2 तथा उधमपुर जिले में 2)।
कर्नाटक	• थूमकूर जिले में, एन.सी.डी. क्लीनिक में डाक्टर तथा नर्सों के संस्वीकृत पद के प्रति कोई डाक्टर तथा नर्सें नहीं थी। • केन्द्र स्तर पर कोई प्रशिक्षण किटों की आपूर्ति नहीं की गई थी। • स्टाफ की एन.पी.सी.डी.सी.एस. के अंतर्गत संविदात्मक आधार पर नियुक्ति की गई थी।
बिहार	• चिकित्सा तथा पैरा चिकित्सा व्यावसायिकों हेतु प्रशिक्षण निर्धारित नहीं किया गया था। • जिला स्तर स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र का क्षमता निर्माण नमूना जांच किए गए जिलों में त्रूटिपूर्ण था।
छत्तीसगढ़	• बिलासपुर तथा जशपुर जिलों की एन.सी.डी. क्लीनिकों के साथ-साथ जिला एन.सी.डी. कक्ष में श्रमशक्ति की कमी थी।

[21] बेरो, कांके, मांडेर तथा नामकूम

अनुबंध-27

(पैरा सं. 4.5.2.2(i) के संदर्भ में : सू.शि.सं. तथा मास मीडिया कार्यकलापों का न किया जाना)

राज्य	अभ्युक्तियां
मध्य प्रदेश	• अनुवाद, अभिग्रहण तथा प्रसार हेतु सू.शि.सं. सामग्री 2011-12 से 2013-14 के दौरान केन्द्रीय एन.सी.डी. कक्ष से प्राप्त नहीं की गई थी। • राज्य स्तर पर स्वास्थ जीवन शैली को प्रोत्साहीत करने हेतु प्रदत नैदानिक सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप तथा ग्राम स्तर पर वयोवृद्ध की वार्षिक स्वास्थ्य जांच के संबंध में सूचना का वर्ष 2011-12 तथा 2013-14 के दौरान उल्लेख नहीं किया गया था। • नमूना जांच किए गए नौ सी.एच.सी.[22] तथा 16 पी.एच.सी.[23] में न तो जिला एन.सी.डी. सैल से अनुवादित सू.शि.सं. सामग्री की गई थी और न ही आठ सी.एच.सी. में लोक जागरूकता हेतु ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दिवस के माध्यम से कोई संदेश दिया गया था।
सिक्किम	• एस.एच.एस. ने 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान अस्पताल तथा पी.एच.सी./पी.एच.एस.सी. को संवितरण हेतु न तो भा.स. से कोई पोस्टर, बेनर प्राप्त किए थे और न ही इनका प्रापण/प्रिंट कराने हेतु कोई कदम उठाया था। • सामुदायिक जागरूकता केवल ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दिवस के दौरान ही सीमित थी। वयोवृद्ध के स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में लोगों को सुग्राही बनाने हेतु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन नहीं किया गया था।
कर्नाटक	• लोगों की जागरूकता हेतु मास मीडिया संदेश नहीं दिए गए थे क्योंकि राज्य द्वारा इसका आयोजन नहीं किया गया था। • लोगों को शिक्षित करने हेतु किसी शिविरों पोस्टरों, बैनरों का उपयोग नहीं किया गया था। • ग्राम स्तर पर वयोवृद्ध हेतु वार्षिक जांच शिवरों का आयोजन नहीं किया गया था • घर तक सीमित/रूग्ण वयोवृद्ध व्यक्तियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था।
छत्तीसगढ़	• चयनित पांच ब्लॉको में से केवल एक ब्लॉक (पथालगांव) ने लोगों की जागरूकता हेतु बैनर तथा पोस्टर प्रकाशित किए थे।

[22] दमूआ, धनोरा, हराई, जमई, कुकशी, नामली, पीथमपुर, सैलाना तथा तमिया

[23] बरेलीपार, बटकाहापा, बिलपंक, बुरीखुर्द, चिंदी, देहरी, डेलाखेरी, धामनोड़, दुंगरिया, हाल्डी, हनोटिया, नाल्छा, ओझाल्धाना, सागोर, श्रवण तथा शिवगढ़

अनुबंध-28

(पैरा सं. 4.5.2.2(ii) के संदर्भ में : कोई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान नहीं की गई)

राज्य	अभ्युक्तियां
सिक्किम	• जिला अस्पताल, सिगंतम में ₹40.93 लाख की कुल लागत पर स्थापित 20 बैड वाले जराचिकित्सा वार्ड (पुरूष एवं महिला प्रत्येक हेतु 10 बैड अलग) को अभी भी (सितंबर 2014) चालू किया जाना था। जराचिकित्सा वार्ड को चालू न किए जाने के कारण, चार बैड वाले जराचिकित्सा वार्ड को जिला अस्पताल, सिगंतम के पुरूष चिकित्सा वार्ड से अस्थायी रूप से चलाया जा रहा था। • पी.एच.सी. स्तर पर साप्ताहिक जराचिकित्सा क्लीनिक का आयोजन नहीं किया गया था। • इसके अतिरिक्त, वयोवृद्ध रोगियों को राहत देखभाल के प्रावधान हेतु कथित वार्ड में कोई अलग कमरे को चिन्हित नहीं किया गया था। • जिला अस्पताल, सिगंतम में एन.सी.डी. क्लीनिक में दैनिक देखभाल किमोथेरेपी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, जिराचिकित्सा चिकित्सीय एंव स्वास्थ्य समस्याओं हेतु प्रयोगशाला जांच तथा औषधीयों के लिए अलग सुविधा का कोई प्रावधान नहीं था।
आन्ध्र प्रदेश (जिला अस्पताल नैलोर)	• सितंबर 2012 में अस्पताल परिसर में एक अलग जराचिकित्सा क्लीनिक की स्थापना की गई थी। 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमश: 16409 तथा 26097 जराचिकित्सा के मामलों की पहचान की गई थी परंतु महत्वपूर्ण मदें[24], जो अपेक्षित थी, उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, इस सबंध में अभिलेखों का उचित रूप से अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश	• तीन जिला अस्पतालों[25], 9 सी.एच.सी. तथा 16 पी.एच.सी. में सुविधाएं मशीनों तथा उपकरणों के सम्पूर्ण सेट से सुसाज्जित नहीं थीं।
पश्चिम बंगाल	• जलपाईगुड़ी तथा दार्जलिंग में 309828 तथा 468046 वयोवृद्ध व्यक्तियों की कुल संख्या के प्रति मार्च 2014 तक क्रमश: केवल 97870 (32 प्रतिशत) तथा 4402 (0.9 प्रतिशत) की जांच की गई थी जिसने खराब निष्पादन को दर्शाया।
कर्नाटक	• दवाईयों तथा उपभोज्यों हेतु किए गए 3.05 लाख की इन्डेन्ट कीमत के प्रति केवल ₹1.42 लाख मूल्य की दवाईयों आपूर्ति की गई थी।
झारखण्ड	• जिला स्तर पर विशेष सेवाओं वाले जराचिकित्सा वार्ड तथा क्लीनिक को स्थान की विलम्ब से उपलब्धता तथा चिकित्सा एवं पैरा चिकित्सा स्टाफ की गैर-नियुक्ति के कारण अभी भी शुरू किया जाना था।

[24] 1 मल्टी चैनल मानीटर 2 नान इनवोसिव वैंटीलेटर 3 शार्टवेव डायथर्मी 4 सर्वीकिल ट्रक्शन (इंटरमिटेट) 5 पेल्विक ट्रेक्शन (इंटरमिटेंट) 6 ट्रान इलेक्ट्रीक नर्व स्टीमूलेटर 7 एडजस्टेबल वाल्कर

[25] छिंदवाड़ा, धर तथा रतलाम

अनुबंध-29

(पैरा सं. 4.5.2.2(iii) के संदर्भ में **:** प्रशिक्षण कार्यकलाप में कमी)

राज्य	अभ्युक्तियां
मध्य प्रदेश	• 3225 प्रशिक्षित व्यावसायिकों के मानदण्ड के प्रति एस.एच.सी. से डी.एच. तक केवल 1391 व्यावसायिक प्रशिक्षित किए गए थे। • प्रशिक्षण संघटक हेतु ₹37.88 लाख के उपलब्ध बजट के प्रति वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान केवल ₹16.59 लाख (44 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था। • 3 डी.एच. तथा 9 सी.एच.सी. की नमूना जांच ने प्रकट किया कि पर्याप्त स्टाफ की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी।
महाराष्ट्र	• तीन चयनित जिलों में यह पाया गया था कि दो जिलो (चन्दरपूर तथा गदचिरोली) में प्रशिक्षण अलग से प्रदान नहीं किया जा रहा था बल्कि इसे एन.पी.सी.डी.सी.एस के प्रशिक्षण के साथ प्रदान किया गया था। अमरावती जिले में योजना को कार्यान्वित नही किया जा रहा था।
आन्ध्र प्रदेश (जिला अस्पताल, नैलोर)	• एन.पी.एच.सी.ई. के कार्यान्वयन हेतु अलग स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई थी इसलिए चिकित्सा व्यावसायिकों को प्रशिक्षणों हेतु नांमाकित नहीं किया गया था।
जम्मू एवं कश्मीर	• कश्मीर तथा जम्मू प्रभाग में एन.पी.एच.सी.ई. के अंतर्गत स्टाफ की भारी कमी थी। कश्मीर प्रभाग में, 53 चिकित्सा तथा पैरा चिकित्सा स्टाफ की संस्वीकृत संख्या के प्रति केवल 34 (64%) तैनात थे। इसी प्रकार, जम्मू प्रभाग में 29 की संस्वीकृत संख्या के प्रति केवल 17 (59%) तैनात थे। • नमूना जांच किए कारगील तथा लेह जिले में 33 की संस्वीकृत संख्या के प्रति केवल 18 (56%) एन.पी.एच.सी.ई. के अंतर्गत तैनात थे। दोनो जिलो में कोई चिकित्सा सलाहकार प्रदान नहीं किया गया था।
कर्नाटक	• जिला एन.सी.डी. में प्रशिक्षण सूची तैयार की गई थी तथा डी.एच.ओ. द्वारा स्वीकृत की गई थी परंतु राज्य एन.सी.डी. सैल द्वारा तैयार नहीं की गई थी। • एन.पी.एच.सी.ई. हेतु प्रशिक्षण मानदण्ड एन.पी.सी.डी.सी.एस. के समान थे। चिकित्सा अधिकारियों तथा पैरा चिकित्सा स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किए गए थे। • 2011-12 से 2013-14 के दौरान साप्ताहिक जराचिकित्सा क्लीनिकों का आयोजन नहीं किया गया था।

अनुबंध-30

(पैरा सं. 4.5.2.3(i) के संदर्भ में : लक्ष्यों तथा उपलब्धियों में कमी)

राज्य	अभ्युक्तियां
तमिलनाडु	• टीकाकरण विस्तार में लक्ष्यों तथा उपलब्धियों में कमी।
झारखण्ड	• केवल 2011-12 से 2013-14 के दौरान उपलब्धि डी.टी. के अंतर्गत 8 से 16 प्रतिशत, टी.टी.-16 हेतु 37 से 42 प्रतिशत तथा टी.टी. 10 हेतु 32 से 37 प्रतिशत थी। • टीकाकरण हेतु 24,25,247 बच्चों का लक्ष्य था, जिसमें से 2011-14 के दौरान बी.सी.जी. के लिए 2095147 बच्चों को टीका दिया गया, 20,11,685 बच्चों को मिजल्स के लिए 20,35,471 बच्चों को डी.पी.टी. के लिए तथा 18,17,945 बच्चों को आई.पी.बी. के लिए टीके दिये गये थे।
त्रिपुरा	• 12 प्रा.स्वा.के. में, एक प्रा.स्वा.के. (अटारोभोल) के सिवाए कोई भी प्रा.स्वा.के. विभाग, निर्धारित पूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका था। अन्य चयनित प्रा.स्वा.के. में उपलब्धि दर 15 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के बीच थी।
मणिपुर	• अवधि के दौरान 5 वर्षों की आयु हेतु डी.टी., 10 वर्षों के आयु वर्ग हेतु टी.टी. तथा 16 वर्षों के आयु वर्ग हेतु टी.टी. की समग्र उपलब्धि क्रमश: 34.35%, 40.04% तथा 62.34% थी। उपलब्धि में कमी के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किए गए थे।
मध्यप्रदेश	• पूर्ण टीकाकरण में कमी 14 से 21 प्रतिशत के बीच थी। इसके अतिरिक्त, दस नमूना जांच किए गए जिलों में टीके में उपलब्धि 47-113 प्रतिशत के बीच थी तथा पूर्ण टीकाकरण में यह 61-101 प्रतिशत थी।
सिक्किम	• एस.एच.एस. एवं डी.एच.एस. (पूर्व एवं पश्चिम) में पूर्ण टीकाकरण में उपलब्धि में कमी क्रमश: 8 से 10 प्रतिशत तथा 5 से 26 प्रतिशत थी। • टी.टी (16) के विस्तार में एस.एच.एस द्वारा उपलब्धि की खराब प्रतिशतता (59 से 67 प्रतिशत) थी। • मिजल्स के विस्तार (लक्ष्य के प्रति 91% से 94%) की उच्च दर के बावजूद, 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान, राज्य में मिजल्स के 300 मामले सूचित किए गए थे।
असम	• 2011-14 के दौरान एम.डी., रा.ग्रा.स्वा.मि. द्वारा, टीकाकरण के लिए ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत कोई निधि प्राप्त नहीं की गई थी। • 2011-14 के दौरान लक्ष्यों की तुलना में, टीकाकरण के अंतर्गत उपलब्धि में कमी 12 से 23 प्रतिशत के बीच थी। • 2011-14 के दौरान, राज्य में गौण टीकाकरण की उपलब्धि में कमी, डी.पी.टी. द्वितीय बूस्टर हेतु 60 से 80 प्रतिशत के बीच, टी.टी. (16 वर्ष) हेतु 72 से 76 प्रतिशत के बीच तथा टी.टी. (16 वर्ष) हेतु 64 से 74 प्रतिशत तक थी।
जम्मू एवं कश्मीर	• 2011-12 से 2013-14 के दौरान, राज्य स्तर पर पूर्ण टीकाकरण, अर्थात् बी.सी.जी., मिजल्स, डी.पी.टी., ओ.पी.वी., डी.टी., टी.टी 16, टी.टी.10 में कमी 8 से 16 प्रतिशत के बीच थी। इसके अतिरिक्त, छ[26] नमूना जांच किए गए जिलों में, टीकाकरण लक्ष्यों की उपलब्धि में भी कमी पाई गई थी। यद्यपि, राज्य में यू.आई.पी. कुछ वर्षों से कार्यान्वित था फिर भी राज्य में 2011-12 से 2013-14 के दौरान, पोलियों की बिमारी के मामले को छोड़कर, बचपन निवारणीय रोग मामलों के पर्याप्त मामले थे।

[26] अनंतनाग, कारगिल, लेह, पुंछ, राजौरी तथा रियासी

बिहार	• उनके क्षेत्रों से संबंधित नवजात पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित नहीं थे, क्योंकि लक्ष्यित जनसंख्या के केवल 67 से 75 प्रतिशत को शामिल किया जा सका था।
ओडिशा	• 2011-14 के दौरान, नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, 25,73,872 के लक्ष्य के प्रति 20,99,484 बच्चों (82 प्रतिशत) को प्रतिरक्षित किया गया था। • पल्स पोलियों प्रतिरक्षण के अतंर्गत, 2011-14 के दौरान 25,96,197 के लक्ष्य के प्रति 2108040 बच्चों (81 प्रतिशत) का प्रतिरक्षण किया गया था। पूर्ण प्रतिरक्षण के अंतर्गत, 25,73,872 के लक्ष्य के प्रति 20,99,484 बच्चों को प्रतिरक्षित किया था।
गुजरात	• राज्य के 12 जनजातीय जिलों में डी.टी., टी.टी. (16) तथा टी.टी. (10) के प्रतिरक्षण में क्रमश: 19.01 प्रतिशत, 11.54 प्रतिशत तथा 11.16 प्रतिशत की कमी थी। जबकि आठ चयनित जिलों के मामले में डी.टी., टी.टी.(16) तथा टी.टी.(10) के प्रतिरक्षण में ऐसी कामियां क्रमश: 33.11 प्रतिशत, 14.39 प्रतिशत तथा 17.97 प्रतिशत के बीच थी। बी.सी.जी. के मामले में, आठ चयनित जिलों में 10.03 प्रतिशत की कमी थी। • राज्य में पोलियों का कोई नया मामला नहीं था परंतु 2011-14 की अवधि के दौरान पी.पी.आई. की समग्र उपलब्धि 6.24 प्रतिशत से 9.71 प्रतिशत के बीच थी।
छत्तीसगढ़	• बी.सी.जी., मिजल्स, डी.पी.टी. तथा ओ.पी.वी. के अंतर्गत शून्य से एक वर्ष के आयु वर्ग के बीच के बच्चों के प्रतिरक्षण के लक्ष्य में उपलब्धि 2011-12 से 2013-14 के दौरान 85 से 82, 86 से 80, 87 से 83 तथा 86 से 83 तक गिरावट आई। • 2011-12 के दौरान सरगुजा (35 प्रतिशत) तथा 2012-13 के दौरान बलरामपुर (42 प्रतिशत) को छोड़कर बी.सी.सी. टीकाकरण 71 से 112 प्रतिशत के बीच था। • 2011-12 के दौरान सरगुजा (45 प्रतिशत), 2012-13 के दौरान बलरामपुर (46 प्रतिशत) तथा कोडंगावं (58 प्रतिशत) को छोड़कर मिजल्स टीकाकरण 72 से 107 प्रतिशत के बीच था। • सरगुजा (41 प्रतिशत) में 2011-12 के दौरान और बलरामपुर में (42 प्रतिशत) 2012-13 के दौरान को छोड़कर, डी.टी.पी. टीकाकरण 74 से 117 प्रतिशत के बीच किया गया था। • 2011-12 के दौरान सरगुजा में (39 प्रतिशत) तथा 2012-13 के दौरान बलरामपुर में (42 प्रतिशत) को छोड़कर, ओ.पी.वी. टीकरकरण 68 से 108 प्रतिशत के बीच था। • राज्य में पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्यों की उपलब्धि 2011-12 से 2013-14 के दौरान तेजी से कम 85 से 79 प्रतिशत हुई। जबकि नमूना जांच किए गए आठ जिलों में, 2012-13 के दौरान कोडंगांव में (58 प्रतिशत) तथा 2011-12 के दौरान सरगुजा में (45 प्रतिशत) को छोड़कर 74 से 109 प्रतिशत के बीच थी। • राज्य में, 2011-12 से 2013-14 के दौरान, डी.टी., टी.टी. (10) तथा टी.टी.(16) के लक्ष्य की उपलब्धि क्रमश: 53 से 59, 80 से 86 तथा 73 से 75 के बीच थी। नमूना जांच किए गए जिलों में, 2011-12 से 2013-14 के दौरान डी.टी. प्रतिरक्षण की उपलब्धि, सरगुजा (30 प्रतिशत) को छोड़कर, 55 से 100 प्रतिशत के बीच थी। • 2011-12 से 2013-14 के दौरान, राज्य में 34,729 तीव्र श्वसन सक्रंमण मामलों, 9,515 मिजल्स मामलों, 331 कुकर खांसी मामलों, 151 रोहिणी मामलों तथा 28 टेटनस मामलों की पहचान की गई थी। जबकि, आठ चयनित जिलों में, 34,088 तीव्र श्वसन सक्रंमण, 1635 मिजल्स मामलों, एक रोहिणी तथा आठ आ.टेटनस मामलों की पहचान की गई थी।
राजस्थान	• चयनित 10 जिलों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को, ₹6.85 लाख, ₹7.25 लाख तथा ₹7.44 लाख के प्रति 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमश: ₹5.24 लाख (76.50%), ₹5.59 लाख

	(77.10 प्रतिशत) तथा ₹5.92 लाख (79.57 प्रतिशत) की टेटनस टोक्साईड खुराक दी गई थी। • कारौली, सवाई माधोपुर तथा सिरोही में पूर्ण प्रतिरक्षण की प्रतिशतता राज्य औसत की प्रतिशतता से कम थी जबकि शेष 6 जिलों में यह राज्य औसत से अधिक थी।

अनुबंध-31

(पैरा सं. 4.5.2.3(i)(ग) के संदर्भ में *:* गर्भवती महिलाओं की जाँच एवं आई.एफ.ए. गोलियों में कमियां)

<table>
<tr><th>राज्य</th><th>अभ्युक्तियां</th></tr>
<tr><td>झारखण्ड</td><td>• 2011-12 से 2013-14 के दौरान कुल 22,52,825 पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से 5,51,594 (24 प्रतिशत) को 26 वें सप्ताह की जांच तथा 14,66,892 (65 प्रतिशत) को 32 वें सप्ताह की जांच प्राप्त हुई थी। 32 वे सप्ताह की जांच तथा चिकित्सीय उपयोग हेतु आई.एफ.ए. गोलियों के संवितरण का डाटा प्रदान नहीं किया गया था। केवल 12,06,581 (54 प्रतिशत) महिलाओं को चिकित्सीय उपयोग हेतु आई.एफ.ए. गोलियां प्रदान की गई थी।</td></tr>
<tr><td>तमिलनाडु</td><td>• 2011-12 से 2013-14 के दौरान पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के प्रति, प्रसव पूर्व जांच, प्रसवोतर जांच आदि में कमी।</td></tr>
<tr><td>असम</td><td>• जांच हेतु आई पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की पहली जांच तथा अनुवर्ती जांचों, दूसरी से चौथी जांच के बीच काफी अंतर था। पंजीकरण के पश्चात अनुवर्ती जांच में गर्भवती महिलाओं की संख्या में कमी के कारण अभिलेख में नहीं थे।

• गर्भवती महिलाएं जिन्हें सलाह दिए गए स्तर तक आई.एफ.ए. गोलियां प्रदान की गई थीं, 2011-14 के दौरान अपर्याप्त थीं। कमी 10 से 20 प्रतिशत के बीच थी।</td></tr>
<tr><td>गुजरात</td><td><table>
<tr><td>स्थिति</td><td>12 जनजातीय जिलों में</td><td>चयनित आठ जिलों में</td></tr>
<tr><td>प्रसवोत्तर जांच प्रदान करना</td><td>21.14%</td><td>28.31%</td></tr>
<tr><td>टेटनस डीयोक्साईड प्रदान करने में कमी</td><td>नही</td><td>72.02% (सा.स्वा.के. स्तर)</td></tr>
<tr><td>गर्भ के पंजीकरण के पश्चात तीन प्रसव पूर्व जांच</td><td>16.13%</td><td>83.07%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>मध्य प्रदेश</td><td>• कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से, गर्भ के दौरान केवल 49 से 53 प्रतिशत महिलाओं को प्रथम तिमाही में ए.एन.सी. तथा 77 से 79 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को 26 वें सप्ताह से 36 वें के बीच ए.एन.सी. तथा 21 से 23 प्रतिशत महिलाओं को 2011-14 के दौरान ए.एन.सी. जांच प्रदान की गई थी।

• 2011-14 के दौरान 17 से 22 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को टेटंनस से प्रतिरक्षित नहीं किया गया था तथा कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से 4.07 लाख महिलाओं को आई.एफ.ए. गोलियों का संवितरण नहीं किया गया था।</td></tr>
</table>

छत्तीसगढ़	• 2011-12 से 2013-14 के दौरान, कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की प्रतिशतता, जिन्होने गर्भ के दौरान पूर्ण जांच प्राप्त की 73 से 74 प्रतिशत के बीच थी, महिलाएं जिन्हें टेटंनस डियोक्साईड खुराक दी गई थी 75 से 78 प्रतिशत तथा महिलाएं जिन्हें आई.एफ.ए. गोलियां प्रदान की गई थी 63 से 84 प्रतिशत के बीच थी। इस प्रकार, 2011-12 से 2013-14 के दौरान 27 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व देखभाल से वंचित थीं। • 2011-12 से 2013-14 के दौरान, कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं, जिन्होनें पी.एन.सी. प्राप्त की थी, की प्रतिशतता 78 से 92 प्रतिशत थी।
पश्चिम बगांल	22 नमूना जांच किए गए सा.स्वा.के. में, 2011-14 के दौरान, 2,26,638 पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से 1,40,356 (62 प्रतिशत) ने चार प्रसवपूर्ण जांच प्राप्त किए थे, 1,66,198 महिलाओं (73 प्रतिशत) को 100 दिनो की आई.एफ.ए. गोलियां प्रदान की गई थी तथा 1,97,397 महिलाएं (87 प्रतिशत) टी.टी. से पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित थीं। • ब्लॉक स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी (बला.स्वा.चि.अ.) ने तीन प्रसवपूर्ण जांचो में कमी (38 प्रतिशत) को ज्ञान की कमी, एल.एम.पी. को गलत बताने, काम के लिए प्रवर्सन आदि को तथा आई.एफ.ए. गोलियां (26 प्रतिशत) तथा टी.टी (13 प्रतिशत) प्रदान किए जाने में कमी को, अ.जा. को आई.एफ.ए. गोलियों तथा टी.टी. की खुराकों की गैर-आपूर्ति अथवा कम आपूर्ति को आरोपित किया ।
सिक्किम	• उन महिलाओं की संख्या, जिन्हें टेटनस डिओक्साईड खुराक दी गई थी, उसी अवधि अर्थात् 2011-12 से 2013-14 के दौरान पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या के अनुरूप नहीं थी जो एस.एच.एस. के साथ-साथ डी.एच.एस., पूर्व तथा पश्चिम जिला द्वारा टेटनस डिओक्साईड खुराक प्रदान करने में गर्भवती महिलाओं के कम आवृतन (11 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के बीच) को दर्शाताहै। • एस.एच.एस. ने गर्भवती महिलाओं को आई.एफ.ए. गोलियों जारी करने के आवृतन के अलग अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया था, फिर भी प्रोफलाईटिक तथा थेराप्युटिक दोनों हेतु आई.एफ.ए. गोलियां जारी करने का आवृतन, समीक्षा रिपोर्ट में शामिल अवधि के दौरान 76 प्रतिशत से 85 प्रतिशत के बीच था। • 2011-12 से 2013-14 के दौरान, पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या क्रमश: 10079, 9288 तथा 9434 थीं। एस.एच.एस. तथा डी.एच.एस. (पश्चिम) ने गर्भवती महिलाओं के तिमाही-वार (26वां, 32वां तथा 36वां सप्ताह) पंजीकरण का अनुरक्षण नहीं किया था।
जम्मू एवं कश्मीर	• राज्य स्तर पर कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से 44 से 50 प्रतिशत महिलाओं ने 12वें सप्ताह के भीतर ए.एन.सी. जांच प्राप्त नहीं की थी तथा 38 से 61 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं ने गर्भ के 12वें तथा 36वें सप्ताह के बीच ए.एन.सी. जांच प्राप्त नहीं की थी। • नमूना जांच किए गए चार जिलों[27] (कारगिल, पुंछ, राजौरी तथा रियासी) में 30 से 70 प्रतिशत महिलाओं को ए.एन.सी. नहीं मिली थी। जबकि अनन्तनाग तथा लेहवास के संबंध में जिला स्तरीय पूर्ण सूचना, संबंधित मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं थी। • राज्य स्तर पर 51 से 61 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को टेटनस से प्रतिरक्षित नहीं किया गया था 39 से 85 प्रतिशत महिलाओं को आई.एफ.ए. (प्रोफलाईटिक) प्रदान नहीं की गई थीं तथा विभाग राज्य स्तर पर आई.एफ.ए. (थेरोपेडिक) गोलियों के संवितरण के संबंध में मौन रहा। • इसके अतिरिक्त आई.एफ.ए. (थेरापेडिक) गोलियों का नमूना जांच किए गए 10 सी.एच.सी. तथा 25 पी.एच.सी. में से केवल 6 सी.एच.सी. तथा 14 पी.एच.सी. में संवितरण किया गया था। ए.एन.सी. टीका तथा आई.एफ.ए. गोलियां प्रदान करने का सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. वार वितरण।

[27] कारगिल 29%, पुंछ 70%, राजौरी 61% तथा रियासी 35%

त्रिपुरा	• बोरखा पी.एच.सी. तथा मधुपुर पी.एच.सी. द्वारा 2011-12 से 2013-14 के दौरान गर्भवती महिलाओं को कोई आई.एफ.ए. गोलियां जारी नहीं की गई थी, जबकि केवल तीन पी.एच.सी./सी.एच.सी. ने सभी गर्भवती महिलाओं, जो कथित अवधि के दौरान स्वास्थ्य केन्द्रों में गई थीं, को आई.एफ.ए. गोलियां जारी की हैं। 10 अन्य पी.एच.सी./सी.एच.सी. के संबंध में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को आई.एफ.ए. गोलियों का जारी किया जाना, व्यक्तिगत पी.एच.सी./सी.एच.सी. में 41 प्रतिशत से 96 प्रतिशत के बीच था।
महाराष्ट्र	• कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से लगभग 67% गर्भ के दौरान जांच तथा प्रसवोत्तर जांच हेतु आई थीं।
मणिपुर	• नमूना जांच किए गए जिलों में, अवधि के दौरान पंजीकृत 64,613 गर्भवती महिलाओं में से 9,906 महिलाओं (15.33 प्रतिशत) को आई.एफ.ए. गोलियां प्रदान की गई थी। • 64,613 पंजीकृत महिलाओं में से 32,245 को टी.डी. प्रदान नहीं की गई थी (48.55 प्रतिशत)।

अनुबंध-32

(पैरा सं. 4.5.2.3(i)(घ) के संदर्भ में: प्रशिक्षण में कमी)

राज्य	अभ्युक्तियां
गुजरात	• राज्य के 12 जनजातीय जिलों में 2011-14 के दौरान विभिन्न चिकित्सा स्टाफ तथा पैरा-चिकित्सा स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने में कमी थीं जो 11.43 प्रतिशत (पी.एच.एन.) तथा 38.24 प्रतिशत (पी.एम.) के बीच थी। आठ चयनित जिलों में जिला स्तर पर पैरा चिकित्सा में ऐसी कमियां 15.19 प्रतिशत (आशा) तथा 66.67 प्रतिशत के बीच थी। आठ चयनित जिलों में तालूका स्तर पर।
राजस्थान	• 2012-13 के दौरान, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/ए.एन.एम. को प्रशिक्षण में कमी निधियों की कमी के कारण थी।
तमिलनाडु	• निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धि के बीच आशा के प्रशिक्षण में कमी थी।
झारखण्ड	• 2011-12 से 2012-13 के दौरान 600 के लक्ष्य के विरुद्ध 219 तथा 193 एम.ओ. को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, जबकि वर्ष 2013-14 में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। • वर्ष 2011-12 में, 25 ए.एन.एम. को प्रशिक्षण बिना कोई लक्ष्य निर्धारित किए प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, 2012-13 तथा 2013-14 में 8,370 तथा 1280 के लक्ष्य के प्रति क्रमश: 1255 तथा 499 ए.एन.एम. को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। • 2011-14 के दौरान प्रतिरक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की न तो योजना की गई थी और न ही आशा, टी.बी.ए./आर.एम.पी., पी.एच्.एन., स्टाफ नर्स तथा बी.पी.एम. को प्रतिरक्षण प्रदान की गई थी।
सिक्किम	• 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान, एस.एच.एस. ने केवल चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया था। प्रतिशतता उपलब्धि केवल 65 प्रतिशत से 94 प्रतिशत के बीच थी। डी.एच.एस. (पूर्व) ने कोई वर्ष-वार लक्ष्यों को निर्धारित किए बिना आशा, ए.एन.एम., स्टाफ नर्स तथा कार्यक्रम प्रबंधक के प्रशिक्षण का आयोजन किया।
महाराष्ट्र	• राज्य सरकार ने आशा तथा आर.एम.पी./टी.बी.ए. को विशेष रूप से प्रतिरक्षण हेतु प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया है हालांकि प्रतिरक्षण के प्रशिक्षण को सामान्य प्रशिक्षण के दौरान शामिल किया गया था। • 2011-14 के दौरान ए.एन.एम. लोक स्वास्थ्य नर्स तथा स्टाफ नर्सों को टीकाकरण के प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्त करने में कमी थी जो 20 से 51 प्रतिशत के बीच थी।
जम्मू एंव कश्मीर	• 2011-12 से 2013-14 के दौरान आशा, आर.एन.टी./टी.बी. लोक स्वास्थ्य नर्सों, स्टाफ नर्सों तथा कार्यक्रम प्रबंधको को प्रतिरक्षण के अंतर्गत कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। • 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान टीकाकरण प्रशिक्षण लक्ष्यित 2500 के प्रति केवल 2500 ए.एन.एम./स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, लक्ष्यित 625 में से 508 चिकित्सा अधिकारियों तथा लक्ष्यित 2001 में से 1716 कोल्ड चैन हैण्डलरों को प्रदान किया गया था।
बिहार	• 10 नमूना जांच किए गए जिलों में से पांच[28] में 2011-14 के दौरान चिकित्सा अधिकारियों को टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। तथापि, बंका जिले में एम.ओ. को प्रतिरक्षण के संबंध में प्रशिक्षण 2013-14 के दौरान प्रदान किया गया था। • दो नमूना जांच किए गए जिलों[29] में आशा को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। यघपि चार नमूना जांच किए गए जिलों[30] आशा को प्रशिक्षण का आयोजन केवल 2013-14 में किया गया था। पश्चिम

[28] किशनगंज, कटिहार, प.चम्पारन (बेतिया), भागलपूर एंव कैमूर (भभुआ)

[29] भागलपुर एंव कटिहार

[30] पश्चिम चम्पारण, बंका, कैमूर एंव किशनगंज

	चम्पारण, भागलपुर, भभुआ, कटिहार एंव किशनगंज के कार्यक्रम प्रबंधको को 2011-14 के दौरान प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। • दस नमूना जांच किए गए जिलों में 2011-14 के दौरान, 1,446 स्टाफ नर्सों के प्रशिक्षण के लक्ष्य के प्रति प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु केवल 493 स्टाफ नर्षों को ही प्रशिक्षित किया जा सका था।
राजस्थान	• 2012-13 के दौरान लक्ष्यित 90363 के प्रति 62,003 आशा, 12500 के प्रति 2440 ए.एन.एम. तथा 759 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था। इसी प्रकार, 9472 आशा, 4,470 ए.एन.एम. तथा 912 चिकित्सा अधिकारियों को 2013-14 के दौरान प्रशिक्षित किया गया था। • केवल 645 चिकित्सा अधिकारियों को टीकाकरण हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। आशा तथा ए.एन.पी. आधि को वर्ष 2011-12 के दौरान प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

अनुबंध-33

(**पैरा सं.** 4.5.2.4(i) **के संदर्भ में** : **अपर्याप्त अवसरंचना**)

राज्य	अभ्युक्तियां
राजस्थान	• राज्य सरकार ने या.भा., चिकित्सा तथा वर्दियों, जो वेतन का भाग नहीं थे, की प्रतिपूर्ति हेतु अनियमित रूप से ₹9.18 करोड़ (2012-13 ₹4.36 तथा 2013-14 : ₹4.82 करोड़) का दावा प्रस्तुत किया था।
गुजरात	• 12 जनजातीय जिलों में 2011-14 के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य तथा जिला परिवार कल्याण ब्यूरों हेतु किसी वाहन का प्रापण नहीं किया गया था।

अनुबंध-34

(पैरा सं. 4.5.2.4(ii) के संदर्भ में : स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी)

राज्य	अभयुक्तियां
मध्य प्रदेश	• दस जिलों में, एम.पी.डब्ल्यू.(एम. तथा एल.एच.वी. का कार्य-बल आवश्यकता के प्रति क्रमश: 54 से 177 पदों तथा 1 से 15 पदों के बीच रिक्त पड़े थे।
सिक्किम	• अवसरंचना का सृजन (प्रा.स्वा.के. तथा पी.एच.एस.सी.) भा.स के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं था, क्योंकि उत्तर जिले में प्रा.स्वा.के. तथा पी.एच.एस.सी. का अधिक सृजन था। • स्पॉट निरीक्षण के दौरान पाया कि पश्चिमी एवं उत्तरी जिलों के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रा.स्वा.के./पी.एच.एस.सी.) पर स्वास्थ्य कर्मचारियों हेतु सरकारी निधि से आवास एवं प्रशिक्षण आवास हेतु सृजित पाई सम्पत्तियां निष्क्रिय पड़ी थी। क्योंकि मूल सुविधाओं, रखरखाव, पानी, सिवेज आदि की कमी के कारण स्टाफ इन्हें लेने का इच्छुक नहीं था।
कर्नाटक	• पांच प्रा.स्वा.के. में 2500 से कम जनसंख्या वाले आठ उप-केन्द्र तथा चार प्रा.स्वा.के. में 10,000 से अधिक वाले चार उप-केन्द्र थे। • चित्रदुर्ग जिले हेतु नमूना जांच में 70 प्रा.स्वा.के. और 24 स्वा.के., 193 उप केन्द्र (12 प्रा.स्वा.के./पी.एच. से) में ए.एन.एम या पुरुष स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं थे और अन्य आठ जिलों की स्थिती बताई नहीं गई थी।
राजस्थान	• सवाई माधोपुर तथा उदयपुर में, कुल 716 उप-केन्द्रों में से, 386 उप-केन्द्रों (उदयपुर-252 तथा सवाई माधोपुर-134) की स्थापना समतल तथा जनजातीय/पर्वतीय क्षेत्रों हेतु जनसंख्या मापदण्डों का अनुपालन किए बिना की गई थी। • 386 उप-केन्द्रों में से, 11 उप-केन्द्रों की, वहां स्थापना की गई थी जहां जनसंख्या 1000 से भी कम थी। • कुल 156 उप-केन्द्रों (सवाई माधोपुर-58 तथा उदयपुर-98) में कोई ए.एन.एम. नहीं थीं।

अनुबंध-35

(पैरा सं. 4.5.2.4(iii): यू.एफ.डब्ल्यू.सी. की अनुपलब्धता)

राज्य	अभ्युक्तियां
मध्यप्रदेश	• विभाग जनसंख्या मापदण्डों के अनुसार राज्य हेतु यू.एफ.डब्ल्यू.सी. तथा यू.एच.पी. की वास्तविक आवश्यकता तथा प्रकार के संबंध में सूचना प्रदान करने में असमर्थ था। • यू.एफ.डब्ल्यू.सी. तथा यू.एच.पी. की योजनाओं एंव गतिविधियों, लक्ष्य एवं उपलब्धियों तथा सर्वेक्षण/मानीटरिंग रिपोर्ट निदेशालय स्तर पर उपलब्ध नहीं थीं।
पश्चिम बंगाल	• छः नमूना जांच किए गए जिलों में, शहरी जनसंख्या को सुविधा प्रदान करने हेतु रघुनाथपुर, पुरूलिया में एक को छोड़कर यू.एफ.डब्ल्यू.सी. की स्थापना नहीं की गई थीं।
सिक्किम	• अन्य तीन जिलों (उत्तर: 4644, दक्षिण: 21199, पश्चिम: 5248) में 31,091[31] शहरी जनसंख्या के रहने के बावजूद, इन जिलों में यू.एफ.डब्ल्यू.सी. तथा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना नहीं की गई थी।
कर्नाटक	• नमूना जांच किए गए जिला स्वास्थ्य कार्यालयों में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि क्या स्वास्थ्य केन्द्र को या तो दूरवर्ती क्षेत्र या फिर मलिनावास क्षेत्रों में स्थापना की गई थी। • स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त सभी स्टाफ संविदात्मक स्टाफ है।
राजस्थान	• निदेशक, परिवार कल्याण, जयपुर ने सूचित किया 2011-12 के दौरान राज्य में आकस्मिकता (कार्यालय व्यय) पर ₹4.20 लाख की राशि का व्यय किया गया था।

अनुबंध-36

(पैरा सं. 4.5.2.4(iv) के संदर्भ में : ए.एन.एम./एल.एच.वी./ए.पी.डब्ल्यू (पुरूष) के आधारभूत प्रशिक्षण में कमी)

राज्य	अभ्युक्तियां
मध्य प्रदेश	• विभाग क्रियात्मक/गैर-क्रियात्मक प्रशिक्षण केन्द्रों, इन केन्द्रों में संस्वीकृत एंव कार्यरत कार्यबल, वर्ष-वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां, प्रशिक्षण केन्द्रों के परिणानों आदि के सबंध में सूचना प्रस्तुत करने में असमर्थ था। इसलिए लेखापरीक्षा इन प्रशिक्षण केन्द्रों के निष्पादन का पता नहीं लगा सकी। • 10 नमूना जांच किए गए जिलों में आठ ए.एन.एम. तथा एक एम.पी.डब्ल्यू(एम.) प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रकट किया कि इन विद्यालयों में तैनात मानव संसाधन की सीमा त्रूटिपूर्ण थी जो छः प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक थी। • नौ प्रशिक्षण विद्यालयों में से सात प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद रिक्त पड़ा था।
झारखण्ड	• एल.एच.वी. प्रशिक्षण केन्द्र, रांची में 1992 से प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया गया था, ए.एन.एम. प्रशिक्षण विद्यालय, पूर्व सिंहभूम तथा जमशेदपुर में 2012-13 से प्रशिक्षार्थियों का दाखिला नहीं किया गया था।
छत्तीसगढ़	• ए.एन.एम./एल.एच.वी., एच.एफ.डब्ल्यू.टी.सी. के प्रशिक्षण था एम.पी.डब्ल्यू.(पुरूष) के प्रशिक्षण के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान को 2011-12 से 2013-14 के दौरान सामान्य, ज.जा.उ.यो. तथा एस.सी.एस.पी. के शीर्षों अंतर्गत विभक्त नहीं किया गया था जबकि शेष योजना की सहायता अनुदान सामान्य, एस.सी.एस.वी. तथा ज.जा.उ.यो. के अंतर्गत जारी की गई थी।
राजस्थान	• चयनित जिलों में, 2011-12 के दौरान ₹5.79 लाख का व्यय आधिक्य में किया गया था तथा राज्य प्राधिकरण तथा जिला प्राधिकरण द्वारा सूचित किया गया व्यय 6 नमूना जांच किए गए (चयनित)

[31] डी.ई.एस.एवं एम.ई. का सांख्यिकीय जर्नल 2013

	जिलों (बांसवारा, डोसा, डुंगरपुर, कारौली, सिरोही तथा उदयपुर) में एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। • दो राज्य स्तरीय स्वास्थ्य एवं प.क. प्रशिक्षण केन्द्रों (अजमेर तथा जयपुर) में वर्ष 2011-12 में आकस्मिकता पर ₹0.15 लाख प्रति वर्ष के निर्धारित मापदण्डो के प्रति ₹6.72 लाख (जयपुर ₹4.40 लाख तथा अजमेर ₹2.32 लाख) का व्यय किया गया था।

अनुबंध-37

(पैरा सं. 4.5.2.5(i) के सदंर्भ में : मातृ स्वास्थ्य)

(क) अपर्याप्त मातृ स्वास्थ्य सुविधांए

राज्य	अभ्युक्तियां
पश्चिम बंगाल	• छ: नमूना जांच किए गए जिलों में, प्रसूति कक्ष, चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्सों आदि के अभाव के कारण, प्रसूति सेवाओं की अनुबलब्धता सांस्थानिक सुपूदर्गियों में कमी के मुख्य कारण थे। • 22 नमूना जांच किए गए सा.स्वा.के. में, आपातकालीन प्रासाविक देखभाल सा.स्वा.के. में उपलब्ध नहीं थी। यह सा.स्वा.के. में प्रासविकी तथा स्त्री रोग में विशेषज्ञ, एनेस्थेटिकों का अभाव, गैर-क्रियात्मक ऑपरेशन थियेटर, पर्याप्त अवसरंचना, सहायक स्टाफ, रक्त भण्डारण सुविधा की कमी आदि को आरोपनीय था।
झारखण्ड	• घर में प्रसूतियों के संबंध में किसी डाटा का अनुरक्षण नहीं किया गया था। • पांच जिलों के 18 सा.स्वा.के. नमूनो में, कुल अनुमानित 1,44,453 प्रसूतियों में से, केवल 75,951 प्रसूतियां सांस्थानिक सुविधाओं के अतंर्गत की गई थीं।
सिक्किम	• राज्य के साथ-साथ पूर्व तथा पश्चिम के सभी चयनित जिलों में 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान की गई सभी घर पर प्रसूतियों में से एस.बी.ए. प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (डाक्टरों/नर्सों/ए.एन.एम.) द्वारा की गई घर पर प्रसूतियों की प्रतिशतता केवल 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच है जो दर्शाता है कि 50 प्रतिशत से अधिक घर पर प्रसूतियां असुरक्षित थी जिसमें माँ तथा नवजात शिशुओं के जीवन तथा मृत्यु दरों को प्रभावित करने का भी जोखिम है। • सांस्थानिक प्रसूतियों को पर्याप्त रूप से बढ़ावा नहीं दिया गया था क्योंकि ज.सु.यो. योजना के अंतर्गत माता को अदा किया गया नगद प्रोत्साहन राज्य स्तर के साथ-साथ नमूना जांच हेतु चयन किए गए जिला स्तर पर 15 प्रतिशत से 49 प्रतिशत था।
जम्मू एवं कश्मीर	• 2011-12 से 2013-14 के दौरान लेह, कारगिल तथा रिआसी जिलों में छ:[32] स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा शून्य प्रसूति सूचित की गई थी। • चयनित छ:[33] जिलों में, कुछ मामले थे जिनमें ज.सु.यो. प्रोत्साहनों के अतंर्गत प्रोत्साहन के भुगतान में विलम्ब एक दिन से 470 दिनों के बीच था।
असम	• नमूना जांच किए गए सभी आठ जिलों में, मातृ मृत्यु के मामले पहले ही अ.स. तथा भा.स. को सूचित किए गए थे परंतु अ.स. तथा भा.स. द्वारा मातृ मृत्यु से बचाव/कम करने हेतु अनुवर्ती उपायों के रूप में किसी कार्य योजना/शोधक उपायों का सुझाव दिया गया नहीं पाया गया था। • स्वास्थ्य केन्द्रों में अनिवार्य 48 घण्टों की प्रसवोत्तर अवधि को सुनिश्चित किए बिना ज.सु.यो. प्रोत्साहन 2,11,990 लाभार्थियों को अदा किया गया था।

[32] प्रा.स्वा.के., थिकसे, सी.एच.सी. सुकरबुचन, पी.एच.सी. लेह जिले में तेमिसगम, पी.एच.सी. वियामबत तथा कारगिल जिले में पी.एच.सी. तथा रियासी जिले में एस.सी. गरन

[33] अनन्तनाग 360, कारगिल 300 दिन, लेह 155, पूंच 470, राजौरी 200 तथा रियासी 54 दिन

<table>
<tr><td>छत्तीसगढ़</td><td>• 2011-12 से 2013-14 के दौरान पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या के प्रति सांस्थानिक प्रसूतियों में कमी राज्य में 45 से 48 प्रतिशत थी तथा नमूना जांच किए गए जिलों में यह 52 से 56 प्रतिशत थी।</td></tr>
<tr><td>राजस्थान</td><td>• राजस्थान के 10 चयनित जिलों में यह पाया गया था कि कुल सांस्थानिक प्रसूतियों के प्रति अधिकृत नीजि अस्पतालों/सुविधाओं में प्रसूति की प्रतिशतता 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमश: 6.86 से 45.29, 6.63 से 51.22 तथा 1.27 से 45.59 प्रतिशत थी।
• मातृ मृत्यु के मामले पिछले वर्ष 2011-12 के प्रति 2012-13 में अलवर (132 प्रतिशत), बांसवारा (46 प्रतिशत), ढोसा (33 प्रतिशत), जयपुर (18.75 प्रतिशत) तथा कारौली (38.89 प्रतिशत) में बढ़े जो दर्शाते हैं कि लोक स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्ता सेवाएं प्रदान नहीं की गई थीं।
• चयनित 10 जिलों में सुरक्षित गर्भपात की कमी थी क्योंकि 3 वर्षों के दौरान कुल 52 मृत्यु (2011-12:18, 2012-13:15 तथा 2013-14:19) गर्भपात में हुई थीं।
• चयनित 10 जिलों में गर्भ, शिशु ट्रेकिंग तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रबंधन प्रणाली (पी.सी.टी.एस.) के अनुसार 295 (2011-12), 432 (2012-13), 373 (2013-14) मातृ मृत्यु के मामले गर्भवती महिलाओं को उपयुक्त चिकित्सा सुविधा/सहायता प्रदान न किए जाने के कारण थे।</td></tr>
<tr><td>मणिपुर</td><td>• सांस्थानिक प्रसूतियों की उपलब्धि 2011-14 के दौरान 30 से 37 प्रतिशत के बीच थी। ब्यौरे निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>पंजीकृत गर्भवती महिलाएं</th><th>संस्थानिक प्रसूतियां (सं.प्र.)</th><th>गृह-प्रसूतियां</th><th>उपलब्धि की प्रतिशतता (सं.प्र.)</th></tr>
<tr><td>2011-12</td><td>92233</td><td>27735</td><td>7987</td><td>30</td></tr>
<tr><td>2012-13</td><td>78523</td><td>27922</td><td>8752</td><td>36</td></tr>
<tr><td>2013-14</td><td>87252</td><td>31974</td><td>9310</td><td>37</td></tr>
<tr><td>कुल:</td><td>258008</td><td>87631</td><td>26049</td><td>34</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

(ख) स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी अर्थात् एफ.आर.यू. तथा 24×7 प्रा.स्वा.के.

राज्य	अभ्युक्ति
राजस्थान	• 10 चयनित जिलों में, कुल 87 प्रा.स्वा.के. का चयन किया गया था तथा यह पाया गया था कि 87 प्रा.स्वा.के. में से केवल 50 प्रा.स्वा.के. 24×7 तथा शेष 37 प्रा.स्वा.के. और गैर 24×7 थे जो इस प्रकार यह प्रकट करते है कि 42.53 प्रतिशत प्रा.स्वा.के. को प्रसूतियों की सुविधा प्रदान करने हेतु शामिल नहीं किया गया था। • 2011-12 के दौरान राजस्थान में 33 जिलें, 237 ब्लॉक तथा 368 सा.स्वा.के. है। योजना अवधि 2005-11 के दौरान सा.स्वा.के. को एफ.आर.यू. के रूप में चालू किया जाना था परंतु मार्च 2011 तक केवल 62 को एफ.आर.यू. के रूप में चालू 24×7 किया जा सका था। वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमश: केवल 51,52 तथा 36 एफ.आर.यू. को चालू किया जा सका था। • 10 चयनित जिलों के 23 ब्लाकों में 44 सा.स्वा.के. का चयन किया गया है जिसमें से 26 सा.स्वा.के. गैर-एफ.आर.यू. थे तथा 18 एफ.आर.यू थे। 18 एफ.आर.यू. में से 15 एफ.आर.यू. में सिजेरियन सेक्शन चालू नहीं थे। तथा केवल 3 एफ.आर.यू. (राजगढ़, संगनेर तथा आबू रोड़) में सी-सेक्शन चालू थे।
पश्चिम बंगाल	• 22 नमूना जांच किए गए सा.स्वा.के. तथा 41 प्रा.स्वा.के. में से क्रमश: सा.स्वा.के. में केवल पांच एफ.आर.यू, 15 (24×7) पी.एच.यू थे तथा छ: नवजात कोर्नर (एन.बी.सी.सी.) तथा एक विशेष नवजात

		देखभाल इकाई (एस.एन.सी.यू.) उपलब्ध थीं जबकि कोई नवजात स्थिरीकरण इकाईयां (एन.बी.एस.यू.) उपलब्ध नहीं थे। इसने अवसरंचना की बड़ी कमी को दर्शाया।
जम्मू एवं कश्मीर	•	2011-12 से 2013-14 के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं अर्थात् एफ.आर.यू. 24×7 पी.एच.यू, एन.बी.सी.सी.एस., एस.एन.सी.यू. तथा एन.बी.एस.यू. को अपेक्षित स्तर तक उपलब्ध नहीं कराया गया था। कमी 26 से 72 प्रतिशत के बीच थी।
मध्य प्रदेश	•	एस.एन.सी.यू. के सिवाए अन्य सुविधाएं अर्थात् एफ.आर.यू., बी.ई.एम.ओ.एन.सी. एन.बी.सी.सी. तथा एन.बी.एस.यू. को अपेक्षित स्तर तक प्रदान नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्त, प्रसूति स्थान पर एन.बी.सी.सी. की स्थापना हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
केरल	•	फ्लैक्सीबल पूल के अंतर्गत चार चयनित जिलों के नौ ब्लाकों में 33 सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. में से 20 प्रा.स्वा.के. की नमूना जांच की गई थी जिसमें केवल पांच प्रा.स्वा.के. (25 प्रतिशत) 24×7 प्रा.स्वा.के. के रूप में कार्य कर रहे थे।
त्रिपुरा	•	14 प्रा.स्वा.के./सा.स्वा.के. में प्रा.स्वा.के./सा.स्वा.के. को मानव संसाधन, प्रापण, रक्त भण्डारण केन्द्रों (बी.एस.सी.), लोजिस्टिक्स तथा प्रशिक्षण के साथ जोड़ कर प्रथम रेफरल इकाई के रूप में बनाने हेतु मूल सुविधांए प्रदान नहीं की गई थीं। यघपि 2011-12 से 2013-14 के दौरान प्रथम रेफरल इकाईयों को स्थापित करने का लक्ष्य 35 था परंतु उपलब्धि केवल 2 थी।
गुजरात	•	12 जनजातीय जिलों में, 2011-14 के दौरान नई अवसरंचना अर्थात् तीन एफ.आर.यू. आठ 24×7 प्रा.स्वा.के., 307 एन.बी.सी.सी., 14 एस.एन.सी.यू. तथा 78 एन.बी.एस.यू. को सृजित करने की योजना की गई थी। 2011-14 के दौरान एस.एन.सी.यू. के रूप में अवसरंचना के सृजन में 35.71 प्रतिशत की कमी थी।

अनुबंध-38

(पैरा सं: 4.5.2.5 (ii): बाल स्वास्थ्य सुविधाएं की कमी)

राज्य	अभ्युक्तियां
	(*क*) आवश्यक दवाओं का अभाव
बिहार	• ओ आर एस, जिंक, प्रतिजीवों, विटामिन ए तथा लौह एवं फॉलिक एसिड के संबंध में आपूर्ति एवं भण्डार की स्थिति उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि एस.एच.एस.बी. पटना के पास ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नही था।
जम्मू एवं कश्मीर	➢ 2011-12 से 2013-14 के दौरान चयनित 35 सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. में दवाइयों की स्थिति यथावत है: ➢ 2011-12 से 2013-14 तक के पूरे तीन वर्षों में, 13 सा.स्वा.के. एवं प्रा.स्वा.के., दो वर्षों में चार सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. तथा एक वर्ष में पाँच सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. में ओ.आर.एस. उपलब्ध/प्राप्त नहीं था ➢ पूरे तीन वर्षों में 32 सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. तथा दो वर्षों में तीन प्रा.स्वा.के. में, जिंक उपलब्ध/प्राप्त नहीं हुए। ➢ पूरे तीन वर्षों में 20 सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. तथा दो वर्षों में चार प्रा.स्वा.के. में प्रतिजीवों (कॉन्ट्री मोक्साजोल) प्राप्त नहीं हुए थे। ➢ तीन वर्षों में 17 सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. में, दो वर्षों में आठ तथा एक वर्ष में एक सा.स्वा.के. में विटामिन ए उपलब्ध/प्राप्त नहीं हुए थे। ➢ तीन वर्षों में 16 सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के., दो वर्षों में चार सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. तथा एक वर्ष में पांच सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. में लौह एंव फॉलिक एसिड उपलब्ध/प्राप्त नहीं हुए थे।
महाराष्ट्र	• दस चयनित जिलों जैसे नासिक, जलगाँव, धूले, गढचरौली, चन्द्रपुर, नन्दपुर, नागपुर में से सात जिलों में विटामिन ए या अन्य पूरक पथ्य जैसे ओ.आर.एस., जिंक, प्रतिजीवों, विटामिन ए, लौह तथा फॉलिक एसिड राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
	(*ख*) एन.बी.सी.सी., एस.एन.सी.यू. तथा एन.बी.एस.यू. में सुविधाओं की कमी
असम	• सभी आठ चयनित जिलों में अनिवार्य एन.बी.सी.सी. की समग्र कमी थी जबकि एन.बी.एस.यू. को उचित रूप से वितरित नहीं किया गया था। विभाग, इस तथ्य को नजरअन्दाज करते हुए कि बाल मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत[34] से काफी अधिक था, स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त एन.बी.सी.सी. उपलब्ध कराने में विफल था।
जम्मू एवं कश्मीर	• योजना 51 अवसरंचनाओं के प्रति, चार[35] नमूना जांच किए गए जिलों में मात्र 34 (67 प्रतिशत) उपलब्धि थी। इसके अतिरिक्त निम्न जिलों में अधोलिखित कार्रवाई बिलकुल ही नहीं की गई थी।

कार्रवाई	जिले
आई.ई.सी./बी.सी.सी.	रिआसी
योजना की गई आई.ई.सी. सामग्रियों का प्रावधान	पुंछ, रजौरी, तथा रिआसी
नवजात शिशु देखभाल	कारगिल
स्तनपान की शीघ्र शुरूआत	रिआसी तथा अनन्तनाग
संक्रमण से सुरक्षा	कारगिल, पुंछ, रजौरी, रिआसी तथा अनन्तनाग
हाइपोथर्मिया से सुरक्षा	कारगिल, लेह, पुंछ, रजौरी, रिआसी तथा अनन्तनाग

[34] स्त्रोत: PIP असम 2012-13- पृष्ठ

[35] कारगिल 47%, पुँछ शून्य, राजौरी शून्य एवं रिआसी 38%

		खतरनाक संकेतो की पहचान	कारगिल, पुंछ, रजौरी, रिआसी तथा अनन्तनाग
		बी.सी.सी.	पुंछ, रजौरी, रिआसी तथा अनन्तनाग
		अन्य क्रियाकलाप	पुंछ, रजौरी, रिआसी तथा अनन्तनाग
केरल	• नमूना जांच किए गए सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के., सिवाय दो सा.स्वा.के. (सा.स्वा.के. अगली तथा सा.स्वा.के. मीनांगडी) जहाँ प्रसव केन्द्र तथा एन.बी.सी.सी. उपलब्ध थे, में प्रसव केन्द्र, नवजात देखभाल केन्द्रों (एन.बी.सी.सी.), विशिष्ट नवजात देखभाल इकाईयों (एस.एन.सी.वी.) तथा नवजात स्थिरीकरण इकाइयों (एन.बी.एस.यू.) जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी।		
कर्नाटक	• 11 नमूना जांच किए गए इकाइयों में एन.बी.सी.सी. की पहचान नहीं हुई थी। राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए क्रमश: लक्ष्य तय किये गये थे, तथापि वर्ष 2011-12 तथा 2013-14 के दौरान 15 तथा 101 की कमी थी।		
राजस्थान	• चयनित 87 प्रा.स्वा.के. में से केवल 22 प्रा.स्वा.के. में एन.बी.सी.सी. की पहचान की गई। 50 प्रा.स्वा.के. (24×7) में से केवल 23 प्रा.स्वा.के. में एन.बी.सी.सी. थे और 27 प्रा.स्वा.के. में एन.बी.सी.सी. की सुविधाएं नहीं थी। • यद्यपि राज्य सूचि में एन.बी.सी.सी. में 8 प्रा.स्वा.के. दर्शाये गये थे। लेकिन इन प्रा.स्वा.के. में ये सुविधाएं उपलब्ध नही थी। यह दर्शाता है कि इन प्रा.स्वा.के. में एन.बी.सी.सी. क्रियात्मक नहीं थे। • चयनित 44 सा.स्वा.के. में से, 23 सा.स्वा.के. में (15 एफ.आर.वी. तथा 8 गैर-एफ.आर.वी.) एन.बी.एस.यू. स्थापित किए गए थे। • 15 एन.बी.सी.सी. में से केवल तीन एफ.आर.वी. (संगेनर,राजगढ़ तथा सपोतारा) में ही शिशु रोग विशेषज्ञ तैनात थे तथा बाकी 12 एफ.आर.वी. बिना शिशु रोग विशेषज्ञ के ही चल रही थी। अत: 12 एन.बी.एस.यू. क्रियात्मक नही थे।		
तमिलनाडु	• 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान नवजात स्थिरीकरण इकाई की उपलब्धियों में क्रमश: 24% तथा 41% की कमी थी		

अनुबंध 39

(पैरा सं. 4.5.2.5(iii): परिवार नियोजन का अपर्याप्त प्रशिक्षण का संदर्भ)

राज्य	अभ्युक्तियां
(क) चिकित्सा कर्मचारी को परिवार नियोजन का अपर्याप्त प्रशिक्षण	
आंध्र प्रदेश	• चिकित्सा अधिकारियों को लैपरोस्कोपिक बन्ध्याकरण तथा गैर-स्कैलपेल नसबन्दी (एन.एस.वी.) का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।
मध्य प्रदेश	• 2011-14 के दौरान प्राय: परिवार नियोजन का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, 2011-12 के दौरान केवल 62 लैप्रोस्कोप की खरीद की गई। • 58 सा.स्वा.के. में ट्यूबेकटामी के लघु-प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं था तथा 60 सा.स्वा.के. में एन.एस.वी. सेवाएं उपलब्ध नही थी। • वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान, ₹51.35 करोड़ में से ₹28.70 (56 प्रतिशत) करोड़ के प्रशिक्षण बजट का उपयोग नही हो सका था जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु योजनागत लक्ष्य के प्रति कमी को प्रदर्शित करता था। • नमूना जांच किए गए सात जिलों में, वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान 50 प्रतिशत बजट का उपयोग नही हो सका था। • 50 जिलों में से, रजोधर्म-विषयक स्वच्छता के प्रोत्साहन का क्रियान्वयन केवल आठ जिलों में हुआ जहाँ ग्रामीण किशोर युवतियों को स्वच्छता नैपकिन उपलब्ध कराया गया था।

जम्मू एवं कश्मीर (दस चयनित जिले)

2011-12 से 2013-14 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु जारी की गई निधियों के उपयोग में कमी 52 से 80 प्रतिशत के बीच थी।:

प्रशिक्षण के सबंध में निधियों की स्थिती **(₹लाख में)**

क्र.सं.	वर्ष	नियुक्ति	व्यय	(कमी प्रतिशतता)
1	2011-12	257.96	79.25	178.71 (69)
2	2012-13	486.39	95.33	391.06 (80)
3	2013-14	509.02	245.17	263.85 (52)

- 2011-12 से 2013-14 के दौरान नमूना जांच किए गए छ: जिलो में से किसी में भी लैपरोस्कोपिक बन्ध्याकरण, मीनीलैप तथा एन.एस.वी. के संबंध में परिवार नियोजन का प्रशिक्षण किसी भी चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा व्यवसायी को नही दिया गया।
- 2011-12 से 2013-14 के दौरान किसी भी परिवार नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए लक्ष्य तय नही था। .
- 22 जिलो में से, किशोर युवतियों (10-19) के बीच रजोधर्म विषयक स्वच्छता के प्रोत्साहन हेतु रजोधर्म विषयक स्वच्छता कार्यक्रम की शुरूआत केवल 10[36] जिलों में प्रायोजिक स्तर पर की गई जिसके अन्तर्गत किशोर युवतियों को छूट प्राप्त स्वच्छता नैपकिन वितरीत किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़

- लैपरोस्कोपिक बन्ध्याकरण प्रशिक्षण में 73 से 94 प्रतिशत, मीनीलैप प्रशिक्षण में 72 से 85 प्रतिशत तथा एन.एस.वी. प्रशिक्षण में 45 से 92 प्रतिशत तक की कमी थी।

गुजरात

- आठ चयनित जिलों में से केवल दो जिलों सूरत और बडोदरा में योजना क्रियान्वित की गई थी। 2246 गावों में 1.16 लाख ग्रामीण लड़कियों में से केवल 0.83 लाख लड़कियों को रजोधर्म विषयक स्वच्छता योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया था। भा.स. ने तालुका स्तर पर 28.87 लाख स्वच्छता नैपकिन (एस.एन.) (सूरत में 15.05 लाख तथा बड़ोदरा में 12.82 लाख) की आपूर्ति की थी। एस.एन. के पैकेट की आपूर्ति लाभार्थियों को ₹6 प्रति पैकेट की दर से की गई थी। तथापि, यह देखा गया कि ₹28.87 लाख एस.एन. में से ₹21.05 लाख एस.एन.[37] (73 प्रतिशत नैपकिन सितम्बर-2014 तक अप्रयुक्त पड़े थे।
- प्रा.स्वा.के. में तय दिनों में महिला बन्ध्याकरण हेतु योजनागत लक्ष्य में 28.20 प्रतिशत की कमी थी।
- प्रा.स्वा.के. में एन.एस.वी. शिविरों की संचालन संख्या में 88.26 प्रतिशत की कमी
- मीनीलैप प्रशिक्षण: जिला स्तर पर एम.ओ./एम.बी.बी.एस. को उपलब्ध कराने में केवल 20 प्रतिशत की कमी तथा सा.स्वा.के. एंव प्रा.स्वा.के. स्तर पर 100 प्रतिशत की कमी।

(ख) **गर्भ निरोधक उपकरण (आई.यू.डी.) तथा अन्य उपकरणों का अभाव**:

आन्ध्र प्रदेश (2 **जिला**[38])

- स्वास्थ्य सुविधा पर आई.यू.डी. सेवाएं उपलब्ध नहीं थी।
- चिकित्सा अधिकारी/ए.एन.एम. को लैपरोस्कोपिक वन्ध्यीकरण तथा आई.यू.डी. प्रविष्टि प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

पश्चिम बंगाल

- टी.वी. एवं रेडियो, पोस्टर आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो में किशोर युवतियो (10-19 वर्षों) के बीच रजोधर्म विषयक स्वच्छता हेतु प्रोत्साहन अभियान संचालित नही हुए।

मध्य प्रदेश

- 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान आई.यू.सी.डी. सेवाओं के लिए लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था, तथापि, 2012-13 में स्थिति में सुधार हुआ था तथा आई.यू.सी.डी. कैंप के संबंध में कोई लक्ष्य नहीं बनाई गई थी।

[36] बांदीपोर, बारामुला, डोडा, कठुआ, किस्तवाड़, कूपवाड़ा, पुंछ, रजौरी, रामबन और ऊधमपुर

[37] सूरत जिला में ₹10.08 लाख एस.एन. में तथा बड़ोदरा जिलामें ₹10.97 लाख एस.एन. में

[38] आदिलाबाद एवं खम्माम

जम्मू एवं कश्मीर	• 2011-12 से 2013-14 के दौरान अं.ग.उ. सेवा के लिए तय लक्ष्यों की उपलब्धता में कमी का प्रतिशतता 45 से 56 प्रतिशत तक था तथा अवधि के दौरान कोई भी अं.ग.उ. कैम्प आयोजित नहीं किया गया था, यद्यपि 2013-14 के लिए 4 कैंपो की योजना थी. • नमूना जाँच जिलों में, अनंतनाग, पूंछ तथा रिआसी जिलों में कोई अं.ग.उ. सेवाएँ उपलब्ध नहीं करवायी गयी थी तथा नमूना जाँच छः जिलों में से किसा में भी गर्भनिरोधक के सामाजिक विपणन हेतु कोई सी.बी.डी. बाजार स्थापित नहीं किए गए थे। • सभी नमूना जाँच 26 सा.स्वा.के./प्रा.स्वा.के. में परिवार नियोजन हेतु आवश्यक दवाएँ/किट्स जैसे एन.एस.वी. किट्स, अं.ग.उ. प्रवेश किट्स, मिनिलैप सेट्स, लैप्रोस्कोप का गैर-प्रापण।
गुजरात	• आठ चयनित जिलों[39] में उपलब्ध करायी गयी अं.ग.उ. सेवाओं में 7.21 प्रतिशत तथा जिला स्तर पर अं.ग.उ. कैंपों के संचालन में 6.85 प्रति शत की कमी थी, ऐसी कमियाँ प्रा.स्वा.के. स्तर पर 19.28 प्रति शत तथा 10.15 प्रति शत पायी गयी थी.
राजस्थान	• पी.आई.पी. 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में राजस्थान में अन्तः गर्भाशयी उपकरण (अं.ग.उ.) कैंपों की योजना नहीं बनाई गयी थी।

[39] साबरकांथा, पंचमहल, दाहोद, नवसारी, वलसाड़, सूरत, तापी, वड़ोदरा

अनुबंध-40

(पैरा सं. 4.5.2.5(iv) के संदर्भ में : अर्श कार्यों का न किया जाना)

राज्य	अभ्युक्तियां	
(क)	**अर्श को स्थापित नहीं किया जाना**	**सू.शि.सं. कार्य**
झारखण्ड	• अर्श हेतु हैल्पलाईन स्थापित नहीं की गई थी।	• अर्श हेतु सू.शि.सं. कार्यों को प्रारम्भ नहीं किया गया था।
पश्चिम बंगाल	• यह देखा गया था कि किसी भी नमूना जांच किए गए प्रा.स्वा.के. तथा एस.सी. में किसी क्लीनिक का आयोजन नहीं किया गया था।	-------
जम्मू एवं कश्मीर	• अर्श हेतु हैल्पलाईन की न तो योजना की गई थी और न ही सृजित की गई थी।	• सू.शि.सं. कार्य की न तो योजना की गई थी और न ही संगठित थे
गुजरात	• साबरकंठा जिले, जहाँ 2013-14 से ममता सेतु की हैल्पलाईन का अर्श हेतु हैल्पलाईन के रूप में उपयोग किया जा रहा था, के सिवाय किसी भी स्तर पर अर्श हेतु हैल्पलाईन को स्थापित नहीं किया गया था।	• नवसारी (2012-14), तापी (2011-14) तथा साबरकांथा (2013-14) में अर्श हेतु सू.शि.सं. के सिवाय जिला स्तर पर इन कार्यों हेतु कोई योजना नहीं की गई थी।
छत्तीसगढ़	• किसी भी जिले में अर्श हेतु हैल्पलाईन प्रदान नहीं की गई थी तथा मासिक स्वच्छता के प्रोत्साहन के अंतर्गत, स्वास्थ्य केन्द्रों के किसी भी स्तर पर किसी स्वच्छ नैपकिनों का संवितरण नहीं किया गया था।	• 2013-14 में सूरजपुर जिले में अर्श हेतु सूचना शिक्षा अभियान का आयोजन किया गया था तथा शेष जिले अर्श के अंतर्गत कोई सुविधा प्रदान नहीं कर रहे थे। .
(ख)	**किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (अर्श) हेतु एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला**	
छत्तीसगढ़	• चयनित आठ जिलों में, अर्श हेतु एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला का आयोजन छः जिलों में नहीं किया गया था जबकि रायगढ़ में 2011-12 से 2013-14 तथा सूरजपुर में 2013-14 में कार्यशाला का वर्ष में एक बार आयोजन किया गया था।	
मध्य प्रदेश	• अर्श हेतु सू.शि.सं. कार्यों के सबंध में वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान अर्श हेतु केवल एक एकदिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला की योजना तथा आयोजन किया गया था।	

अनुबंध-41

(पैरा 4.5.2.5(vi) के संदर्भ में : अव्ययित रोगी कल्याण समिति अनुदानें)

(₹ करोड़ में)

राज्य	अव्ययित	कम निर्गम	अभ्युक्तियां
मध्य प्रदेश	**1.93**	**10.12**	• दस नमूना जांच किए गए जिलों में यह पाया गया था कि 2011-12 से 2013-14 के दौरान 33.95 प्रतिशत रो.क.स. निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका था।
जम्मू एवं कश्मीर	**3.83**	**--**	• छ: जिलों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि 1.87 करोड़ को 2011-12 में जारी किया गया था जिसे निधियों के अनुपयोग के कारण 2012-13 में ₹1.41 करोड़ तथा 2013-14 में ₹1.34 करोड़ तक कर दिया गया था। • 2011-14 के दौरान छ: नमूना जांच किए गए जिलों में रो.क.स. निधियों की ₹73.00 लाख (15.72%) की राशि का उपयोग नहीं किया जा सका था।
गुजरात	**0.46**	**--**	• 31 मार्च 2014 को चयनित जिलों में विभिन्न प्रा.स्वा.के./सा.स्वा.के. में राशि अव्ययित पड़ी थी।
तमिलनाडु	**1.78**	**--**	• 2011-12 से 2013-14 के दौरान चयनित नौ जिलों में रोगी कल्याण समिति के प्रति 17.33 करोड़ की राशि जारी की गई थी तथा इन जिलों के पास मार्च 2014 की समाप्ति पर ₹1.78 करोड़ का अप्रयुक्त शेष था। • इन नौ जिलों में चयनित 93 प्रा.स्वा.के. के पास मार्च 2014 की समाप्ति पर ₹13.83 लाख का अप्रयुक्त शेष था।
राजस्थान	**2.97**	**--**	• जिला अस्पताल (जि.अ.), सा.स्वा.के. एवं प्रा.स्वा.कें द्वारा चयनित सभी 10 जिलों के लिए अवमुक्त कार्पस अनुदान का पूर्ण उपयोग नही किया गया था फलत: 2011-14 के दौरान कुल अवमुक्त किए गए ₹12.05 करोड़ में से ₹2.97 करोड़ (जि.अ. ₹0.23 करोड़, सामु.स्वा.कें ₹0.50 करोड़ तथा प्रा.स्वा.कें ₹2.24 करोड़) अव्ययित शेष रहा।
कुल	**10.97**	**10.12**	

अनुबंध 42

(पैरा सं. 4.5.2.5(vii) के संदर्भ में : अप्रयुक्त वार्षिक अनुरक्षण अनुदान)

राज्य	अव्ययित अनुदान (₹करोड़ में)	कम निर्गम (₹करोड़ में)	अभ्युक्तियाँ
मध्य प्रदेश	---	**8.48**	• पिछले तीन वर्षों के दौरान भा.स. द्वारा अनुदान के कम उपयोग के कारण ₹8.48 करोड़ का कम निर्गम • दस नमूना जांच किए गए जिलों में से आठ में यह पाया गया था कि 35.06 प्रतिशत वा.अ.प. निधियों का 2011-12 से 2013-14 के दौरान उपयोग नहीं किया जा सका था।
जम्मू एवं कश्मीर	**1.87**	--	• नमूना जांच किए गए छ: जिलों में यह पाया गया था कि वा.अ.अ. हेतु निधियों के निर्गम को इष्टतम रूप से निधियों के अनुपयोग के कारण प्रत्येक वर्ष कम किया गया था। • छ: में से पांच नमूना जांच किए गए जिलों में ₹0.58 करोड़ (26.30%) वा.अ.अ. निधियों का 2011-14 के दौरान उपयोग नहीं किया जा सका था।
गुजरात	**0.66**	---	• चयनित जिलों में, 31 मार्च 2014 को विभिन्न प्रा.स्वा.के. तथा सा.स्वा.के. में ₹66.03 लाख अव्ययित पड़े थे। • नौ चयनित प्रा.स्वा.के.[40] को ₹6.00 लाख[41] की अधिकृत राशि के प्रति 2012-14 के दौरान ₹9.21 लाख की राशि जारी की गई थी जिसका परिणाम ₹3.21 लाख की वा.अ.अ. के अधिक भुगतान में हुआ।
तमिलनाडु	**0.31**	--	• नौ जिलों के चयनित 93 प्रा.स्वा.के में मार्च 2014 की समाप्ति पर ₹30.57 लाख का अप्रयुक्त शेष था।
राजस्थान	--	--	• ₹1.47 करोड़ की जारी की गई राशि का चयनित जिलों में सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. द्वारा उपयोग नहीं किया जा सका था।
कुल	**2.84**	**8.48**	

[40] अमलीधाम, बोधान, कमलापूर, सधवव (सूरत), अंतरसूबा, खेरोज, कोडवाड़ा, लूसादिया तथा उंचीधानल सबरकंठा

[41] 2012-13: 05 प्रा.स्वा.के. *0.50 लाख = ₹2.50 लाख+ 2013-14: 07 प्रा.स्वा.के ₹0.50 लाख ₹3.50

अनुबंध-43

(पैरा 4.5.2.5(viii) के सदंर्भ में : आशा की कमी)

राज्य	कमी	अभ्युक्तियां
मध्य प्रदेश	764	• 58245 आशा की आवश्यकता के प्रति 56218 आशा की नियुक्ति की गई थी तथा उनमें से केवल 41420 आशा को छठे एंव सांतवे मॉड्यूल तक प्रशिक्षित किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य में दवा तथा प्रशिक्षण किटे केवल 56070 आशा को प्रदान की गई थीं। • 10 नमूना जांच किए गए जिलों में 14134 आशा की आवश्यकता के प्रति 13370 आशाओं की नियुक्ति की गई थी। जिनमें से 7914 आशा पूर्ण रूप से प्रशिक्षित थी तथा 1140 आशा अप्रशिक्षित थी तथा दवा किटे 8484 आशा को प्रदान की गई थीं।
पश्चिम बंगाल	2059 (47%)	• नमूना जांच किए गए जिलों में 4383 संस्वीकृत आशा में से 2324 (53 प्रतिशत) की मार्च 2014 तक नियुक्ति की गई थी। दार्जलिंग गो.भू.प्रा.प्र. क्षेत्र में राजनीतिक अशांति तथा कठनाईयों के कारण 1440 की संस्वीकृत संख्या के प्रति कोई आशा नियुक्त नहीं की गई थी।
जम्मू एवं कश्मीर	786	• संस्वीकृत 12000 आशा के प्रति केवल 11214 (93 प्रतिशत) तैनात थी तथा केवल 7248 (65%) को छठे मॉड्यूल (31.03.2014 को राउंड 1) तक प्रशिक्षित किया गया था। • राजौरी तथा रियासी के नमूना जांच किए गए जिलों में क्रमश: 26 तथा 45 प्रतिशत से आशा की कमी थी जबकि कारगील में 143 आशा आधिक्य में थी (129 के प्रति 212)।
राजस्थान	2160	• नौ चयनित जिलों में अपेक्षित 16983 आशा के प्रति मार्च 2014 की समाप्ति पर केवल 14823 आशा की नियुक्ति की गई थीं। आशा की कमी 2160 थी जिसने जिले में प्र.बा.स्वा. तथा टीकाकरण कार्यों को प्रभावित किया।
कर्नाटक	3794	• नौ चयनित जिलों में, ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करने में स.दा.न. को सहायता प्रदान करने हेतु ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार अपेक्षित 15,885 आशा कार्यकर्ताओं के प्रति मार्च 2014 को कार्य कर रही आशा कार्यकर्ता 12,091 थीं तथा आशा कार्यकर्ताओं में कमी कुल 3,794 (24%) थी।

अनुबंध 44

(पैरा सं. 4.5.2.5(ix) के संदर्भ में : स्वास्थ्य देखभाल अवसरंचना की कमी)

राज्य	अभ्युक्तियाँ
मध्य प्रदेश	• 10 नमूना जांच किए गए जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का भा.लो.स्वा.मा. मानदण्डों के अनुसार सुधार नहीं किया गया था। • नमूना जांच किए गए 24 सा.स्वा.के., 44 प्रा.स्वा.के. तथा 34 उ.स्वा.के. में ग्रामीण जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य सुविधाएं अनिवार्य दवाईयों तथा सामग्री से पूर्ण रूप से सुसज्जित नहीं थी।
सिक्किम	• इन उप-केन्द्रों में भू.स्खलन (थारपू) द्वारा पाईपलाईन की क्षति के कारण तथा लोगो द्वारा पानी के गैर कानूनी उपयोग (पदमछह) के कारण जल आपूर्ति की कमी थी। • पूर्व तथा पश्चिम के नमूना जिलों में दो प्रा.स्था.के. तथा नौ प्रा.स्वा.उ.के. के भौतिक सत्यापन ने मूल सुविधाओं के अभाव तथा रोगी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की हाईजीन तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के अभाव तथा रोगी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की हाईजीन तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के अभाव को प्रकट किया। • मोबाईल ओपर्थल्मक व्यय के अनुपयोग तथा उपकरण की गैर-संस्थापना के कारण ₹19.99 लाख का पूर्ण व्यय व्यर्थ रहा जिसने प्रत्याशित स्वास्थ्य सुविधाओं से ग्रामीण लोगो को वंचित रखा। • ₹20.38 लाख के मूल्य का उपकरण गैर-संस्थापना तथा तकनीकी कार्मिक की नियुक्ति न करने के कारण व्यर्थ रहा। • उप-केन्द्र 30 दिनों से 1050 दिलों की अवधि के बीच मूलभूत दवाओं अर्थात् सेपट्रान, पी.सी.एम., मैट्रोजिल, फ्लाजिल आदि के बीच कार्य कर रहे थे।
महाराष्ट्र	• मूल अवसंरचना अर्थात् 287 प्र.सं.ड., 613 24x7 प्रा.स्वा.के., 108 न.जा.दे.को. इकाईयों तथा 4 वि.न.जा.दे.इ. के सृजन में कमी थी।
गुजरात	• चयनित जिलों में, अवसरंचना अर्थात् सरकारी बिल्डींग की कमी थी। चयनित 18 ज.जा.स्वा.के. तथा 46 प्रा.स्वा.के. में से चार ज.जा.स्वा.के.[42] तथा चार प्रा.स्वा.के.[43] के पास अपनी स्वंय की बिल्डिगं नहीं थी। वह मार्च 2014 तक या तो सा.स्वा.के. बिल्डिंग में कार्य कर रहे थे।
राजस्थान	• 44 चयनित सा.स्वा.के. में से 27 सा.स्वा.के. में बिल्डिंग उपलब्ध थी तथा 16 सा.स्वा.के. के पास बिल्डिंग नहीं थी जो अपेक्षित है। एक सा.स्वा.के. से सूचना प्रतीक्षित है। 16 सा.स्वा.के. में से 11 सा.स्वा.के. प्रा.स्वा.के. बिल्डिंग में कार्य कर रहे थे क्योंकि इसका प्रा.स्वा.के. से सा.स्वा.के. में सुधार कर दिया गया था। तथापि, निदेशक लोक स्वास्थ्य (लो.स्वा.) ने सूचित किया (दिसंबर 2014) कि चयनित सभी 10 जिलो में कोई भी सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के., उन बिल्डिंगों से कार्य नहीं कर रहे थे जिनका भा.लो.स्वा.मा. मानदण्डों के अनुसार निर्माण किया गया था।
जम्मू एवं कश्मीर	• एफ.एम.आर. की संवीक्षा के दौरान, राज्य में 22 जिलों में से मो.चि.ई. को अब तक केवल 11[44] जिलों में प्रदान किया गया है।
पश्चिम बंगाल	• नमूना जांच किए गए सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में सुविधाओं अर्थात् अंत: रोगी सेवाओं, प्रसूति कक्ष, रोगनिदान सुविधांए, आपरेशन थियेटर, रक्त भण्डारण सुविधाएं तथा 24×7 प्रसूति सुविधाओं की कमी थी। • छ: नमूना जांच किए गए जिलों में से मो.चि.ई. चार (बाँकुड़ा, पूरूलिया, पश्चिम मिदनापूर तथा जलपाईगुडी में उपलब्ध थी।
छत्तीसगढ़	• आठ जिला अस्पतालों के 15 सा.स्वा.के. तथा 34 प्रा.स्वा.के. में यह पाया गया था कि • 2010-11 से 2012-13 के दौरान संस्वीकृत कूल 3121 निर्माणकार्यों में से केवल 675 निर्माण क्रायों (22 प्रतिशत) को पूरा किया जा सका था जबकि 1518 निर्माण कार्य (50 प्रतिशत) प्रगति

[42] धरमपूर, झालोड़, संतरामपूर तथा विजयनगर

[43] दबखल, खांगेला, उकई तथा खेरवाड़ा

[44] बंदीपूर, ड़ोडा, कारगील, किश्तवाड़, कुपवाड़ा, लेह, पुंछ, राजौरी, रामबाण, रियासी, उधमपुर

	में थे तथा 868 निर्माणकार्यों (28 प्रतिशत) को लेखापरीक्षा की तिथि तक आरम्भ भी नहीं किया जा सका था। • इस प्रकार, ₹106.69 करोड़ के संस्वीकृत 722 निर्माण कार्यों में से केवल 229 (32 प्रतिशत) को पूरा किया जा सका था जबकि 349 (48 प्रतिशत) को पूरा नहीं किया जा सका था जो ₹35.16 करोड़ का व्यय करके प्रगति में थे तथा 143 (20 प्रतिशत) को लेखापरीक्षा की तिथि तक आरम्भ नहीं किया जा सका था। • अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि राज्य में ₹1.96 लाख की जनजातिय एवं गैर-जनजातिय ग्रामीण जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) हेतु मानदण्डो के अनुसार 44 सा.स्वा.के. तथा 14 प्रा.स्वा.के. की कमी थी जबकि 112 उ.स्वा.के. आवश्यकता से अधिक थे।

अनुबंध-45

(पैरा सं. 4.5.2.5(x) के संदर्भ में : मानवशक्ति की कमी)

राज्य	अभ्युक्तियां
मध्य प्रदेश	• 10 जिलो के नमूना जांच किए गए जि.अ., सी.एच., सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. में चिकित्सा तथा पैरा-चिकित्सा से सबंधित मानव संसाधन में संस्वीकृत संख्या के तथा विशेष रूप से विशेषज्ञ तथा डाक्टरो के पद में प्रति काफी कमी थीं जहां 76 प्रतिशत तथा 31 प्रतिशत पद खाली थे।
असम	• सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. स्तरों पर विशेषण डाक्टरों, दन्तय शल्य-चिकित्सको, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, कनिष्ठ लोक स्वास्थ्य नर्स/ए.एन.एम. आदि जैसे स्टाफ की सभी श्रेणियों में मुख्य स्वास्थ्य देखभाल कार्मिक की कमी थी।
छत्तीसगढ़	• जि.अ., सा.स्वा.के. तथा प्रा.स्वा.के. स्तरों पर मुख्य चिकित्सा तथा पैरा चिकित्सा स्टाफ की कमी थी। • सात नमूना जांच किए गए जिला अस्पतालों (जि.अ.) में से छ: जि.अ. में 30 से 60 प्रतिशत के बीच मानवशक्ति में कमी थी जबकि जि.अ., सरगुजा में आठ प्रतिशत तक अधिक मानवशक्ति थी। • नमूना जांच किए गए सा.स्वा.के. में मानवशक्ति में कमी 19 से 74 प्रतिशत के बीच थी। • नमूना जांच किए गए प्रा.स्वा.के. में मानवशक्ति में कमी 8 से 70 प्रतिशत के बीच थी।
गुजरात	• चयनित जिलों में मार्च 2014 को चिकित्सा/पैरा-चिकित्सा स्टाफ में 25.78 प्रतिशत की कमी थी।
तमिलनाडु	• चयनित नौ जिलों में कमी थी, जो 2011-12 से 2013-14 के दौरान, 22.2% से 24.27% के बीच थी तथा चयनित 93 प्रा.स्वा.के. में अवधि के दौरान कमी 19.49% से 20.14% के बीच थी।
पश्चिम बंगाल	• छ: नमूना जांच किए गए जिलों में 44 नमूना जांच किए गए एस.सी. में से 18 एस.सी. (41 प्रतिशत) में या तो नियमित या फिर संविदा आधार पर केवल एक ए.एन.एम. थी। सत्ताईस एस.सी में कोई व.उ.का. नहीं था (61 प्रतिशत) 1 निर्गम सम्मेलन (02.12.2014) के दौरान प्र.सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि ब.उ.का. की नीति के मामले के कारण तैनाती नहीं की जा रही थी। • 41 प्रा.स्वा.के. में से एक (दार्जलिंग जिले घूम) में कोई डाक्टर नहीं था। 41 नमूना जांच किए गए प्रा.स्वा.के. में से पांच प्रा.स्वा में एक भी स्टाफ नर्स के बिना कार्य कर रहे थे।
मणिपुर	• नमूना जांच किए गए 22 प्रा.स्वा.उ.के. में इन.प्रा.स्वा.उ.के. हेतु 22 पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (पु.स्वा.का.) तथा 44 ए.एन.एम. की अपेक्षित संख्या के प्रति क्रमश: 17 पु.स्वा.का. तथा 12 ए.एन.एम. की कमी थी।

अनुबंध 46 (i)

(पैरा सं. 5.2.14 के संदर्भ में : राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग)

राज्य/सं.शा.क्षे.	अभ्युक्तियां
4.7: सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.)	
ज.एवं क.	• राज्य स्तरीय कार्यान्वयन अभिकरण ने योजना में स.शि.अ. की नियमित मॉनीटरिंग तथा समीक्षा हेतु एक सरंचना स्थापित नहीं की है। न ही जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समितियों (जि.स्त.मा.स.) का गठन किया गया था। जबकि विभाग से इसके कारण मांगे गए थे (8/2014 एवं 10/2014) परंतु उत्तर प्रतीक्षित था।
असम	• ज.जा.उ.यो. हेतु कोई अलग मॉनीटरिंग नहीं की गई थी।
महाराष्ट्र	• 2011-14 के दौरान बारह के बजाय सात कार्यकारी समिति की बैठके की गई थीं तथा इस प्रकार पांच बैठकों की कमी थी।
गुजरात	• राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति ने 2011-14 के दौरान 12 के प्रति केवल 10 बैठके की थी। चार नमूना जांच किए गए जिलों में से दो[45] में जिला स्तर पर कार्यकारी समिति का गठन किया गया था। यद्यपि इसका दाहोद तथा पंचमहल जिले में गठन किया गया था फिर भी प्रत्येक इन जिलों में 2011-14 के दौरान केवल एक बैठक की गई थी।
राजस्थान	• 30 जिला प्रभारी अधिकारियों (राज्य स्तरीय अधिकारियों) द्वारा प्रत्येक वर्ष 300 निरीक्षण किए गए थे परंतु निरीक्षण के परिणाम प्रस्तुत नहीं किए गए थे तथा डी.ई.ओ. सह डी.पी.सी. तथा ए.डी.पी. द्वारा 2011-12 से 2013-14 के दौरान आयुक्त, आर.सी.ई.ई, जयपूर को कोई निरीक्षण रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी। इस प्रकार मॉनीटरिंग का सत्यापन नही हो सका।
4.8: दोपहर का भोजन (दो.भो.)	
राजस्थान	• अपेक्षित 480056 निरीक्षणों के प्रति केवल 217332 निरीक्षण किए गए थे। इस प्रकार, 2011-14 की अवधि के दौरान कुल 262724 कम निरीक्षण थे। इसने प्रकट किया कि सभी विद्यालयों/केन्द्रो के 2011-14 के दौरान जिला/ब्लॉक तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किए गए थे।
झारखण्ड	• निरीक्षण का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। लेखापरीक्षा ने चयनित पांच जिलों में 64 विद्यालयों का दौरा किया जिन्होने बताया कि 2011-14 के दौरान किसी भी अधिकारी द्वारा दो.भो. का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।
महाराष्ट्र	• 2011-12, 2012-13 में दो.भो. के निरीक्षण में क्रमश: 40% एवं 58% तक कमी थी। चयनित 10 जिलों में से 8 जिलों में दो.भो. का ऐसा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।
ज. एवं क.	• दो.भो. के निरीक्षण में कमी थी जो 2011-14 की अवधि के दौरान 34% तथा 54% के बीच थी।
असम	• 64 चयनित विद्यालयों में से 62 विद्यालयों में अधिकारियों द्वारा दो.भो. का निरीक्षण नहीं किया गया था।
मध्य प्रदेश	• 2141 निरीक्षणों की कमी पाई गई थी।
तमिलनाडु	• कुल 2077 निरीक्षणों की कमी थी।
गुजरात	• 2011-14 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त रूप से दौरा किए गए 76 चयनित विद्यालयों में से 66 विद्यालयों का दो.भो. प्राधिकारियों द्वारा कभी भी निरीक्षण नही किया गया था।
अण्डमान एवं निकोबार	• राज्य स्तरीय प्राधिकारियों द्वारा अवसरिक निरीक्षण थे। आ.सं.अ. के निरीक्षण के मामले में भी न तो कोई निरीक्षण सारणी थी और न ही निष्कर्ष को प्रलेखित किया गया था।
त्रिपुरा	• 28 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में अधिकारियों द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।
4.9: राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.मा.शि.अ.)	

[45] वडोदरा तथा वलसाड

मध्य प्रदेश	• 10 चयनित जिलो तथा विद्यालयों में मॉनीटरिंग से संबंधित अभिलेखों का आठ[46] उच्च विद्यालयों (30वि.) तथा नौ[47] उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (उ.मा.वि.) में अनुरक्षण नहीं किया गया था।
असम	• ग्राम सभाएं ग्राम पंचायते मॉनीटरिंग में शामिल नहीं थीं। ज.जा.उ.यो. की कोई अलग मॉनीटरिंग नहीं की गई थी।
राजस्थान	• 10 जिलों में न तो जिला परियोजना समन्वयकों न ही फील्ड दौरो द्वारा मॉनीटरिंग की गई थी परंतु निरीक्षण तथा नमूना जांचे नियमित आधार पर की गई थी
ओडिशा	• मॉनीरिंग हेतु अलग क्रियाविधि स्थापित नहीं की गई थी।
सिक्किम	• अकादमीय तथा निर्माण उप-समिति दोनों का वि.प्र.वि.स. को सहायता करने हेतु नमूना जांच किए गए विद्यालयों (8 विद्यालयों) में से चार विद्यालय में विद्यालय स्तर पर गठन नहीं किया गया था। • दौरा किए गए आठ विद्यालयों में से दो[48] विद्यालयों में वि.प्र.वि.स. की बैठकों का अभिलेख नहीं था।
4.11: सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सू.सं.प्रौ.)	
कर्नाटक	• 2013-14 हेतु क.शि.यो. तैयार की गई थी परंतु 2013-14 से पहले की क.शि.यो. लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी। • योजना के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटको के लिए तथा ज.जा.उ.यो. सघटंक के लिए परिप्रेक्ष्य योजना/क.शि.यो. तथा वार्षिक कार्य योजना को अलग से तैयार किया गया था परंतु इसे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। • राज्य सरकार ने किसी भी स्तर पर मॉनीटरिंग समिति का गठन नहीं किया था।
केरल	• बाह्य अभिकरण द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया था।
गुजरात	• कोई बाह्य प्रभाव निर्धारण नहीं किया गया था।
असम	• राज्य/जिला स्तर पर मॉनीटरिंग का अभाव।
राजस्थान	• जिला तथा विद्यालय स्तर पर वैब पोर्टल विकसित नहीं किया गया था। • मैसर्स प्लानमैन कंसलटिंग इण्डिया प्राईवेट लि. द्वारा पूरे राजस्थान में 250 सरकारी विद्यालयों में 2013-14 के दौरान किए गए एक तृतीय दल प्रभाव अध्ययन ने प्रकट किया कि राज्य में केवल 29.2 प्रतिशत विद्यालय है जिनमें सू.सं.प्रौ. आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति है तथा सू.सं.प्रौ. आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष अकादमीय विभाग वाले केवल 16 प्रतिशत विद्यालय हैं।

[46] बारवानी: पिसनावल, बेतूल: हमलपूर, छिदंवाड़ा: हनौलिया, धार: कुक्शी, दिनबौरी: रायपूर, मॉडला: धूरी, रतलाम: रतागिरी, सिऔनी: भूमा बाल्कि

[47] बालघाट: उकवा, बारवानी: बालिका, सेंदवाड़ा, बेतूल: छिछौली, छिंदवाड़ा: एम.एल.बी., घिदंवाड़ा, दिनदौरी: प्राचीन दिनदौरी, खारगांव: भाग्यपूरा, मांडला: कौडीलिंगा, रत्तलाम: एक्सिलैन्स, सियोनी: छपरा

[48] सकयोंग एस.एस, पश्चिम सिक्किम तथा नामचे बोंग एस.एस., पूर्व सिक्किम

अनुबंध-46 (ii)

(पैरा सं. 5.2.7 के संदर्भ में : राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग)

राज्य	अभ्युक्तियां
4.12: राष्ट्रीय कैंसर मधुमेय, हृदय रोग एंव दौरे से बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम (रा.कै.म.ह.रो.दौ.ब.नि.का.)	
महाराष्ट्र, एवं झारखण्ड	• योजना की प्रगति रिपोर्ट के संचार हेतु राज्य द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) को विकसित नहीं किया गया था तथा केरल तथा ओडिशा में विकास प्रगति में था।
सिक्किम	• गै.सं.रो. सैल ने मॉनीटरिंग सैल की स्थापना नहीं की थी।
महाराष्ट्र	• राज्य सरकार द्वारा 2011-12 के दौरान मास मीडिया अभियानों का आयोजन नहीं किया गया था। 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान केवल कैंसर/मधुमय/ह.रो./दौरे आदि को बताने वाले सचेत सकेंतों हेतु अभियान किया गया था।
असम	• 2011-14 के दौरान रा.के.म.ह.रो.दौ.वा.नि.का. की प्रथम मॉनीटरिंग नहीं की गई थी। 2011-14 के दौरान रा.कैं.म.ह.रो.दौ.ब.नि.का. की अलग मॉनीटरिंग/समीक्षा की 10 बैठकें की गई थी परंतु रा.कै.म.ह.रो.दौ.ब.नि.का. की मॉनीटरिंग/समीक्षा नहीं की गई थी।
झारखण्ड	• फील्ड दौरो हेतु वाहनों की कमी के कारण किसी भी स्तर पर फील्ड अवलोकन नहीं किए गए थे।
मध्य प्रदेश	• उन रोगियों के विवरण, जिन्हे गै.सं.रो. क्लीनिकों पर अनुरक्षण, फिजयोथेरेपी तथा काउसलिंग प्रदान की गई थी, सूचित नहीं किए गए थे। • त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट केन्द्रीय गै.सं.रो. सैल को प्रेषित नहीं की जा रही थीं। • राज्य स्तर पर समीक्षा बैठके त्रैमासिक आधार पर नहीं की गई थी। • कार्यक्रम के स्वतंत्र मूल्यांकन तथा गै.सं.रो. जोखिम घटको की निगरानी राज्य गै.सं.रो. सैल द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान नहीं की गई थी।
बिहार	• राज्य सरकार/राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति (रा.स्त.का.स.) ने रा.कै.म.ह.रो.दौ.ब.नि.का. के अंतर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नियमित मॉनीटरिंग तथा समीक्षा हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर नोडल अधिकारी द्वारा अध्यक्षता वाले गै.सं.रो. सैल का गठन किया। परंतु रा.स्वा.स.बि. द्वारा समीक्षा/मॉनीटरिंग से उजागर किसी भी विशिष्ट अभ्युक्ति को शोधक कार्रवाई करने हेतु इंगित नहीं किया गया था।
4.13: **राष्ट्रीय वयोवृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (रा.व.स्वा.दे.का.)**	
असम, महाराष्ट्र	• राज्य द्वारा योजना की प्रगति रिपोर्ट के संचार हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) को विकसित नहीं किया गया था।
सिक्किम	• नोडल अधिकारी के साथ केवल त्रैमासिक बैठकें की जा रही थीं।
महाराष्ट्र	• 2011-12 के दौरान कोई कोई मॉनीटरिंग नहीं की गई थी। • राज्य सरकार ने 2011-14 के दौरान रिपोर्टिंग हेतु प्रारूप तैयार नही किए थे। 2013-14 के दौरान केन्द्र से प्राप्त प्रारूपो का राज्य सरकार द्वारा रिपोर्टिंग हेतु उपयोग किया जा रहा था। • राज्य सरकार द्वारा अब तक कार्यक्रम की कोई समीक्षा आरम्भ नहीं की गई थी।
झारखण्ड	• राज्य गै.सं.रो. सैल में कोई मॉनीटरिंग नहीं थी।
मध्य प्रदेश	• उ.स्वा.के. से विभिन्न केन्द्रों के माध्यम से राज्य गै.सं.रो. सैल को रिपोर्टिंग की जा रही थी जिसमें केवल बा.रो.वि. में देखे गए, वार्ड में दाखिल किए गए वयोवृद्ध रोगियो तथा की गई प्रयोगशाला जांच के संबंध ही सूचित किया जा रहा था। वयोवृद्ध को प्रदान की गई पुर्नावास सेवाओं, सहायक उपकरणों की कुल संख्या, आवृत लोगों एंव प्रदत्त स्वास्थ्य कार्ड की कुल संख्या, गृह आधारित देखभाल आदि कि सबंधित सूचना सूचित नहीं की जा रही थी। • राज्य स्तर पर प्रगति रिपोर्ट जिलों से प्राप्त की गई थी परंतु त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट केन्द्रीय गै.सं.रो. सैल को नहीं भेजी जा रही थीं।

	• राज्य स्तर पर समीक्षा बैठको का आयोजन तिमाही आधार पर नहीं किया गया था। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान राज्य गै.सं.रो. सैल कार्यक्रम के विभिन्न घटको का स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया था।
बिहार	• साप्ताहिक अंतराल पर नियमित मॉनीटरिंग हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में गै.सं.रो. सैल की मौजूदगी के बावजूद रा.व.स्वा.दे.का. की कोई मॉनीटरिंग नहीं की गई थी।
4.15: अवसंरचना अनुरक्षण योजना (अ.अ.यो.)	
त्रिपुरा	• कोई मॉनीटरिंग क्रियाविधि स्थापित नहीं थी।
सिक्किम	• राज्य सरकार ने सितंबर 2014 तक किसी मॉनीटरिंग दल का सृजन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, सृजित कुछ अवसरंचना जैसे कि प्रा.स्वा.उ.के. में स्टाफ मकानो, नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र आदि तथा वाहन/मशीनरी जैसे अन्य परिसम्पत्तियां लम्बे समय से व्यर्थ पड़ी थी जिसने ग्रामीण जनसंख्या को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से वंचित किया।
ओडिशा	• 2011-14 के दौरान, मॉनीटरिंग समिति ने प.का.यो. के सामयिक प्रस्तुतीकरण तथा संकलन, निधियों के उपयोग, गुणवत्ता सेवा सुपूदर्गी आदि जैसे मामलों पर चर्चा करने हेतु 15 बार बैठक की परंतु बैठक की कार्रवाईयों की प्रतियां लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थीं।
4.12 टीकाकरण	
सिक्किम	• कार्यक्रम की नियमित मॉनीटरिंग, जैसा संबंधित प्राधिकारी द्वारा सूचित किया गया था, के बावजूद रा.स्वा.स. तथा जि.स्वा.स. नियमित टीकाकरण तथा जांच हेतु गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण की 100 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने में विफल रही। • प्रा.स्वा.उ.के. स्तर पर निष्पादन की मॉनीटर हेतु उच्च प्राधिकारियों द्वारा नियमित दौरे अपर्याप्त थे जो लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए नौ उप-केन्द्रों के संबंध में शून्य से दस दौरो के बीच थे।
महाराष्ट्र	• राज्य स्तर पर मॉनीटर, कार्यान्वयन की समीक्षा तथा टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा हेतु कोई सरंचना तैयार नहीं की थी।
त्रिपुरा	• केवल 7 बैठक की गई थी तथा यघपि समिति ने पूर्ण-टीकाकरण लक्ष्यों की अप्राप्ति पर चिंता व्यक्त की थी तथा 2011-12 से 2013-14 के दौरान पूर्ण टीकाकरण पर पूरा जोर दिया था परंतु फील्ड परिणामो ने प्रकट किया कि पूर्ण टीकाकरण को अभी भी प्राप्त किया जाना था।
राजस्थान	• मॉनीटरिंग राज्य स्तर पर परियोजना निदेशक, टीकाकरण तथा जिला स्तर पर प्र.बा.स्वा.अ. द्वारा की गई थी। • मॉनीटरिंग के दौरान, परियोजना निदेशक, टीकाकरण द्वारा लेखापरीक्षा को व्यय के बेमेल होने को एक मुख्य अनियमितता के रूप में सूचित किया गया था
ओडिशा	• टीकाकरण कार्यक्रम की मॉनीटरिंग राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से की जा रही थी तथा समीक्षा भी तिमाही रूप से की गई थी। • 2011-14 के दौरान, मॉनीटरिंग हेतु 138 बैठके की गई थी जबकि समीक्षाएं 11 अवसरों पर की गई थीं।